सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

14 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा सोमवार, तिथि 14 मार्च, 2016 (ई0)

द्वितीय सत्र 24 फाल्गुन,1937 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, तारांकित प्रश्न मैं देख रहा था, उसमें कई मा0 सदस्यों का देख रहा था कि अल्पसूचित लायक राज्य स्तरीय क्वेश्चन है ।

अध्यक्ष: आगे अल्प सूचित के लायक जो होगा उसको कर देंगे ।

श्री प्रेम कुमार: श्री संजय सरावगी जी का मैंने देखा था और माननीय नंद किशोर यादव जी का राज्यस्तरीय था, दोनों प्रश्न राज्यस्तरीय हैं ।

अध्यक्ष: सभा सचिवालय इसको देख लेगा ।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष जिन सवालों को उठा रहे हैं, क्या वह नियम संगत है कि आसन पर माननीय सदस्य उंगली उठायें ? विधान सभा का जो आसन का अधिकार क्षेत्र है क्या माननीय सदस्य उस पर उंगली उठाने का काम करेंगे?

श्री प्रेम कुमार: मैं आग्रह कर रहा हूं उंगली नहीं उठा रहा हूं लेकिन महोदय ये बात को डायवर्ट कर रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, मैं एक सूचना पर हूं । नवादा के दलित गरीब लोगों को जमीन का पर्चा ....

अध्यक्ष: सत्यदेव जी अभी यह विषय उठाने का कोई वक्त नहीं है ।

श्री सत्यदेव राम: दलितों के घर जला दिये गये हैं महोदय । गरीबों पर अत्याचार है महोदय।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-102 (श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री जयकुमार सिंह: महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-16 में जिला उद्योग केन्द्र अररिया द्वारा 131 आवेदन पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति से चयनित कराकर विभिन्न बैंकों में ऋण स्वीकृति एवं भुगतान हेतु भेजा गया है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बैंको द्वारा अबतक 36 आवेदकों को ऋण स्वीकृत की गई है । शेष 95 आवेदन बैंकों में लंबित हैं ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि आवेदकों के चयन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति गठित है जिसमें बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, एल0डी0एम0 एवे अन्य बैंको के जिला समन्वय रहते हैं । समिति द्वारा चयनित आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति एवं भुगतान हेतु बैंकों में भेजा जाता हैं । बैंकों द्वारा आवेदनों के ऋण स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जाता है । राज्य में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना के सतत अनुश्रवण उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है । असंतोषजनक उपलब्धि वाले बैंकों को चिन्हित कर नियमानुकूल कठोर कार्रवाई करने का निदेश मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला अधिकारी को दिया गया है ताकि चालू वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । दिनांक 10.02.2016 को बैंकर्स के साथ राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा सभी बैंकों को दिनांक 31.03.2016 तक सारे लंबित आवेदनों के संदर्भ में ऋण स्वीकृत करने अथवा नियमानुकूल कारण के साथ अस्वीकृत करने का निदेश दिया गया है । बिना ठोस कारण के आवदेनों को अस्वीकृत करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री अचमित ऋषिदेव: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो वर्ष 2008 से पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और प्रधानमत्री रोजगार योजना को मिलाकर चलाया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अररिया जिला के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है और वास्तविक उपलब्धि क्या है ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या लक्ष्य था और कितने की ऋण स्वीकृति हुई।

श्री जय कुमार सिंह: महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2015-16 का बिहार स्तर पर लक्ष्य है, खादी ग्रामोद्योग जिसको तीन भाग में बांटा गया है 30-30-40 के रेशियो में । खादी एवं ग्रामोद्योग को 909 भौतिक लक्ष्य है, खादी एवं ग्रामोद्योग के0भी0आई0पी0 909 जिला उद्योग केन्द्र (डी0आई0सी0)-1211

जहां तक सवाल है महोदय, अररिया का भौतिक लक्ष्य 75, वित्तीय 150 बैंको के प्रेषित आवेदन 131 बैंकों द्वारा स्वीकृत आवदेन 36, मार्जिन मनी राशि 55.38 लाख, बैंको द्वारा वितरित आवेदन संख्या 24 मार्जिन मनी 38.74

श्री अचमित ऋषिदेव: महोदय, वर्ष 2008 से 2015-16 तक लक्ष्य के अनुरूप अररिया जिला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल कितने व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया है ?

अध्यक्ष: मंत्री जी आपको बताये हैं ।

श्री जय कुमार सिंह: महोदय, 36 दिया गया है और बैंको को निदेश दिया गया है, कुछ बैंक ऐसे हैं जिस पर असंतोष हैं उनपर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है ।

अध्यक्ष : अचमित जी आपको और कुछ पूछना है ?

श्री अचमित ऋषिदेव : जी । महोदय, सरकार इस कार्यक्रम के निमित्त उपलब्यिों को बढ़ाने के लिए कौन सी कार्य योजना का विचार रखती है ।

श्री जय कुमार सिंह: महोदय, इसकी एक बड़ी मिटिंग हुई थी बैंकर्स के साथ और माननीय मुख्यमंत्री इसको सक्सेस करने के लिए पूरे बिहार स्तर के बैंकों को यहां तक कह डाले कि किसी भी अभिभावक के साथ कोई भी इलेक्ट्रोल नहीं लेना है बिहार सरकार हर तरह की गारंटी लेने के लिए तैयार है । तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है महोदय ।

अध्यक्ष: आप चाहते क्या हैं अचमित जी ।

श्री अचमित ऋषिदेव: महोदय हम चाहते हैं हमारे अररिया जिला में अभी तक बहुत बड़ी समस्या है इसीलिये मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो शेष बच गया है उनको अविलंब भुगतान कर दिया जाय बैंक द्वारा ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1170 (मो0 नेमतुल्लाह)</u>

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद: महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 का भुगतान कर दिया गया है। एक भी पैसा किसानों का बकाया नहीं है ।

मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, मंत्री जी को जानकारी है नहीं । इनको एकदम जानकारी नहीं है इनको मिसलीड किया गया है । हमारे पास रसीद मौजूद है जो भुगतान नहीं हुआ है । बकाया है किसानों का महोदय । महोदय, महाराष्ट्र न बनायें भूखमरी के चलते आत्म हत्या करने के लिए किसानों को मजबूर न करें माननीय मंत्री जी । यह नीतीश जी का हुकूमत है । नीतीश जी का सुशासन है । नीतीश जी एक आदमी को भूख से मरने नहीं देंगे । यह नीतीश जी की सरकार है । महोदय, मंत्री जी इसको धूमिल न करें । सही समीक्षा करें और रिपोर्ट मंगायें । मेरे पास रसीद मौजूद है कि भुगतान नहीं हुआ है । और मर रहा है किसान, शादी विवाह है महोदय, लगन का टाइम है महोदय और मर रहा है किसान । आए दिन हमलोग को लोग घेर लेता है कल हमलोग गए माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था । पच्चीसों आदमी घेर लिया हमको और कहा कि भुगतान नहीं हुआ है, रसीद दिये और ये कह रहे हैं कि सारा भुगतान हो गया है महोदय ।

अध्यक्ष: नेमतुल्लाह जी।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, ये भुगतान करायें निदेश दें कि भुगतान जल्द से जल्द कराया जाय । किसानों का किसी का पचास हजार बाकी है, किसी का पच्चीस हजार बाकी है, किसी का दो लाख बाकी है । गठन कर दें कमिटी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नेमतुल्लाह जी आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और उनका कहना है कि उनके पास रसीद है जो बकाया है । नेमतुल्लाह जी आप रसीद सरकार को उपलब्ध करा दीजिये, मंत्री जी,आप किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करा दीजिये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद: अध्यक्ष महोदय, 07.03.16 का जेनरल मैनेजर का वो रसीद दिखा रहे हैं जेनरल मैनेजर से रिपोर्ट मैंने स्वयं मोनीटरींग किया जेनरल मैनेजर का है यह कि यह नील है । अगर माननीय सदस्य के पास रसीद है वह हमें जो है अब रहा सवाल लाखों किसान होते हैं किसी एक का मैं नहीं कह सकता हूं ।

टर्न-2/बिपिन/14.3.2016

श्री मो. नेमतुल्लाह: महोदय, पूरे जिला में है । सासामूसा मिल है वहीं, सिधवलिया मिल है वहीं, कहीं भी नहीं मिला है ।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रेम कुमार जी ।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, माननीय मंत्री महोदय ने गलतबयानी किया है । माननीय सदस्य प्रमाण रखे हुए हैं । हम चुनौती देना चाहते हैं सरकार को । यह तो गोपालगंज नमूना है, उत्तर बिहार में बगहा, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, इन तमाम जिलों में महोदय, लगभग तीन सौ करोड़ का बकाया है । हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य में गन्ना किसानों का बकाया राशि जो लम्बे समय से चला आ रहा है, सरकार कब तक भुगतान करेगी ?

अध्यक्ष : ठीक है नेमतुल्लाह जी, आप अपनी रसीद दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, हमारा आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने दीजिए कि वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा कि तीन सौ करोड़ बाकी है । मैं जानना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता से कि यह तीन सौ करोड़ किस वित्तीय वर्ष का है, किस फैक्ट्री का है ? यह हमको वे बताने का कष्ट करें ।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, बगहा में, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी - यहां बड़े पैमाने पर लम्बे समय से बाकी चला आ रहा है । हम सरकार से आग्रह करेंगे कि मामले की समीक्षा कर लीजिए और बाकी जो राशि है उसका जल्दी भुगतान कराइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नन्दकिशोर जी ।

(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय, विषय बहुत गम्भीर है । मंत्री महोदय सुने तो न !

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप मंत्री जी, इधर ध्यान दीजिए न !

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय, विषय बहुत गम्भीर है और जब माननीय विधायक ने यह कहा कि भुगतान नहीं हुआ है और महोदय, आसन ने, जो सर्वोच्च आसन है विधान सभा के अंदर में, हम सब आपके संरक्षण में यहां काम करते हैं, आपने जब कोई निर्देश दिया कि उनकी रसीद लेकर जांच करा दीजिए, उसकी बात को मानने के लिए मंत्री महोदय तैयार नहीं हैं ?

अध्यक्ष : नहीं, वह तैयार हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव: सरकार के मंत्री सदन के अध्यक्ष का आदेश मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं, उस पर भी सहमत नहीं हैं, होगा क्या महोदय ?

आप सर्वोपरि हैं महोदय । आपके निदेश का भी पालन सरकार के मंत्री नहीं करेंगे, कौन करेगा महोदय, प्रश्नों का जवाब कैसे आएगा महोदय ?

अध्यक्ष : नन्दकिशोर बाबू, माननीय मंत्री ने जांच कराने से इंकार नहीं किया है। वह रसीद कब का है, इसके बारे में पूछ रहे थे ।

श्री नन्दकिशोर यादव: और स्वीकार भी नहीं किया है ।

अध्यक्ष : एक मिनट । जो हमने आसन की तरफ से कहा है माननीय मंत्री जी, कि आप उनकी रसीद को देख लीजिए, अगर वह 2014-15 और 2013-14 की रसीद है, उसका भुगतान नहीं हुआ है तो वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराकर अविलम्ब भुगतान भी हो जाए और इस तरह का गलत प्रतिवेदन किसी ने दिया है तो उसको भी देखवा लीजिए ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 1171 (श्रीमती कुन्ती देवी)</u>

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या अनुपस्थित।)

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 1172 (श्री कृष्ण कुमार ऋषि)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी स्थित अग्निशमन कार्यालय में अग्निशमन गाड़ियों में पानी भरने हेतु पम्पसेट की व्यवस्था अविलम्ब करने का निदेश राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को दिया गया है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: अध्यक्ष महोदय, 2011 से बनमनखी अनुमंडल में अग्निशामक के दो गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है । मंत्रीजी बोल रहे हैं कि निर्देश दिया गया है। जानना चाहता हूं कि अब गर्मी का मौसम आ गया महोदय, पछुवा हवा जब शुरू होगी, मेरे यहां कम-से-कम सभी जगह फूस का घर है सर, और आग लगने की भयंकर संभावना रहती है । मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप अविलम्ब कब तक वहां पम्प सेट की व्यवस्था करा दीजिएगा ?

अध्यक्ष : वह तो निर्देश दे दिए हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर । कहीं पानी नहीं मिलता है ।

अध्यक्ष : कृष्ण कुमारजी, महत्वपूर्ण क्या है ? आप ही उसमें लिख रहे हैं कि सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था भी है । अगर कहीं आगलगी की घटना होती है, तो पानी चाहिए न ! पानी प्राइवेट पम्प से जा रहा है या सरकारी पम्प से, इसमें क्या फर्क पड़ता है ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: 10बजे के बाद वह बंद हो जाता है महोदय । बंद हो जाता है तो पानी कहां से लेगा ? रात में आग लग जाती है ।

अध्यक्ष : सरकार इसको जल्द करा देगी ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1173 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि मनीगाछी थाना कांड सं0 214/15 दिनांक 15.8.2015 धारा 341,323,324,307,504,506/36 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वादी महफूज आलम द्वारा प्राथमिकी के तीन नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज कराया गया है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि मनीगाछी थाना कांड सं0-218/15 दिनांक 20.8.2015 धारा-341,323,324,307,379,504/34 भारतीय

दंड विधान के अंतर्गत कांड के दो नामजद अभियुक्त एवं तीन अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। यह कांड 2014/15 का प्रतिलोम है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि मनीगाछी थाना कांड सं0-214/15 एवं कांड सं0 218/15 एक दूसरे के प्रतिलोम होने के कारण पुलिस निरीक्षक, बहेड़ा अंचल द्वारा संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित की गई है जिसमें कांड सं0-214/15 धारा 341,323,324,307,,504, 506/34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मो0 रजी आलम को छोड़कर शेष दोनों नामजद अभियुक्त तौकिर एवं असफाक के विरूद्ध सख्त एवं कांड सं0-218/15 धारा 341,323,324,307,504/34 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत प्राथमिकी के दोनों नामजद अभियुक्त मो0महफूज एवं मो0 आजाद के विरूद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है । कांड सं0-214/15 में धारा 307 भारतीय दंड विधान का समावेश न करते हुए शेष धाराओं में जिसमें सात वर्ष से कम की सजा होने के कारण अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दंड प्रावधान की धारा 41(1) के तहत तामिला कर आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है ।

4. वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस निरीक्षक बहेड़ा अंचल के द्वारा समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी को वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा धारा 341,323,,324,307,504/34भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। निर्गत पर्यवेक्षण प्रतिवेदन के अंतिम पारा में टंकण भूल के कारण धारा 307 छूट गया । अनुसंधान के द्वारा कांड में धारा 341,323,324,504,506/34में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत सत्य पाया गया । नामजद अभियुक्तों को संशोधित धारा 41(1) के तहत नोटिस तामिला कराते हुए आरोप-पत्र समर्पित किया गया है । चूंकि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के द्वारा पुलिस निरीक्षक, बहेड़ा अंचल के पर्यवेक्षण टिप्पणी को अनुमोदित किया गया है, परंतु अनुसंधानकर्त्ता सहायक आरक्षी निरीक्षक श्री नन्द कुमार सिंह के द्वारा इसे नजरअंदाज करते हुए आरोप-पत्र समर्पित किया गया है जो अनुसंधानकर्त्ता के लापरवाही का द्योतक है । अत: इस त्रुटि के लिए अनुसंधानकर्त्ता सहायक आरक्षी निरीक्षक श्री नन्द कुमार सिंह को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है ।

साथ ही, भी.ओ. प्रभारी श्री राजेश कुमार को उक्त टंकण भूल के लिए निन्दन की सजा दी गई है । पुलिस मुख्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि जो आई.ओ. था उसको निलंबित कर दिया गया है ।

महोदय, यह 15 अगस्त की घटना है । खंड-1 को देखा जाए महोदय। जो मुख्य अभियुक्त हैं, 214/15 का, वह कितने केस में आरोपी है अभी तक ?

टर्न-3/राजेश/14.3.16

अध्यक्ष:- आप तो केस संख्या-214/15 के बारे में पूछ रहे हैं न ।

श्री ललित कुमार यादव:- अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि एस0एस0पी0 को, डी0आई0जी0 को, सारे लोगों को आवेदन दिया गया 15 अगस्त को, संयोग से हम भी क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे थे, झंडोतोलन का समय था, दूसरे जगह हम थे, हमें मालूम हुआ कि एक आदमी जख्मी होकर आया है अस्पताल में, तो उनको देखने हम चले गये, तो मैंने देखा की बुरी तरह से उनके साथ मार-पीट की गयी थी, जिससे वह घायल था, उनको डी0एम0सी0एच0 भेजा गया, फिर डी0एम0सी0एच0 में उनका इलाज संभव नहीं हो सका, तो फिर उन्हें पी0एम0सी0एच0 भेजा गया, तो इतने गंभीर ....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- आप क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव:- महोदय, हम यह चाहते हैं कि 214/15 में जो अभियुक्त हैं, जिनका नाम हटाया गया, वे कितने केस में अभी तक वांछित हैं, ये माननीय मंत्री जी बताये और ऐसे अपराधी को कैसे इस केस से निकाल दिया गया ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:- अध्यक्ष महोदय, कोई भी कितने भी केस में शामिल हो, सुपरवीजन पुलिस मैनुएल के अनुसार होता है और सुपरवीजन में अगर कोई

आदमी 10 केस में एक्यूज्ड है और 11वॉं केस में उनका नाम दे दिया गया, तो इसके आधार पर उसको नहीं किया जा सकता है सुपरवीजन नोट में और बाकी जितने भी अभियुक्त हैं, सबों को सत्य पाया गया और हमने कहा कि 307 में उनको जमानत कैसे मिल गयी, उसपर जो आई0ओ0 थे, वे सस्पेंड हो गये, उनपर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग स्टार्ट हो गया, इसके बाद तो अब कोई भी प्रश्न नहीं बचता है।

श्री ललित कुमार यादवः- महोदय, मेरे प्रश्न को देखा जाय। हमने स्पष्ट लिखा है कि राघोपुर पूर्वी पंचायत के नजरा मुहमन्दा चौक पर दिनांक 15 अगस्त, 2015 को झंडोतोलन के बाद मो0 महफूज आलम पर कई मुकदमों में आरोपित, हम तो इसी पर प्रश्न पूछ रहे हैं, हम कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जो सन्निहित है आरोपी, कई केस में है आरोपित, तो माननीय मंत्री बतावें कि कितने केस में लूट, हत्या, बलात्कार, रोड रौबरी का है, वैसे मुख्य अभियुक्त को कैसे इस केस से वंचित कर दिया गया है, हटा दिया गया है।

दूसरा महोदय, जिस डाक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, आप देखिये 4/13 दूसरे केस में डिस्ट्रिक्ट जज ने उसपर इनक्वायरी सेट-अप किया है, वैसे फर्जी इनजुरी के आधार पर, जो आदमी मौत के घाट पर उतार रहे हैं, वैसे अपराधी द्वारा हमला हुआ और उसको बचाने के लिए महोदय इतना बड़ा और एस0एस0पी0 को/डी0आई0जी0 को तुरत केस के 10 दिनों के बाद आवेदन दिया गया और अब तक उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ ।

अध्यक्षः- आप क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादवः- हम चाहते हैं कि फर्जी डाक्टर पर जिस डिस्ट्रिक्ट जज के यहॉं इनक्वायरी हो रहा है और थाना प्रभारी को सारे घटनाओं का एक सप्ताह के अंदर 15 को केस हुआ है और दूसरा केस 20 या 21 को संभवतः हुआ है, एक सप्ताह के बाद दूसरा केस होता है, इससे भी प्रतीत होता है कि यह झूठा केस है, जिस डाक्टर ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, उस डाक्टर पर डिस्ट्रिक्ट जज दरभंगा के यहॉं दूसरे केस में, फर्जी सर्टिफिकेट इशू करने में, इनक्वायरी सेट-अप है महोदय, तो इतने बड़े एस0एस0पी0, डी0आई0जी0 को घटना के तुरत बाद सूचना देने के बावजूद सदन में यह जब सवाल आया है और छः

महीना के बाद मंत्री महोदय बता रहे हैं कि आई0ओ0 पर कार्रवाई कर दी गयी, महोदय, सारे वरीय पदाधिकारी इसमें इनभौल्व हैं, जो लोग बचाने का काम किये हैं, उसपर माननीय मंत्री जी कार्रवाई करें

(व्यवधान)

और सदन की समिति से इन सारे मामलों की जांच करायी जाय।

अध्यक्षः- माननीय सदस्य, आप अपने प्रश्न के खण्ड-4 को देखें। आपने कहा है कि जो अभियुक्तों को गलत ढंग से मुक्त कर दिया गया है, तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करना चाहती है और सरकार ने जिसने गलत ढंग से मुक्त कर दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करके, निलंबित करके, सदन को बताया है, तो अब क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादचः- महोदय, आप आधा बता रहे हैं। आप खण्ड 1 को भी देखे, खण्ड दो को भी देखा जाय, तीन को देखा जाय और चार पर तो आईये ही, तो आप कहें तो फर्जी इनजुरी का हमारे पास सारा डौकुमेन्ट्स हैं.........(व्यवधान)

अध्यक्षः- आपके पास जितने डौकुमेन्ट्स हैं, आप मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री ललित कुमार यादवः- महोदय, आप इन सारे मामलों की जांच सदन की समिति से ....

अध्यक्षः- सदन की समिति से अब कहाॅ ?

श्री ललित कुमार यादवः- नहीं तो गृह सचिव से जांच करा दीजिये। महोदय, इतने बड़े, यह सब महोदय हमलोग सिनेमा में ही देखते हैं,जब फिल्म देखते हैं, तो ऐसी घटना होती है,उसी तरह की यह घटना है...........(व्यवधान)

अध्यक्षः- आप सारा कागज माननीय मंत्री जी को दे दीजिये न ।

श्री ललित कुमार यादवः- महोदय, यह न्याय का सबसे उच्च पंचायत है, यदि आप यहाॅ न्याय नहीं करते हैं, तो न्याय के लिए लोग कहाॅ जायेंगे महोदय। अब उच्च न्यायालय जायेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट जायेंगे क्या लोग, कहाॅ न्याय के लिए जायेंगे, अब आप ही बताइये, थाना प्रभारी के सारी मिलीभगत के कारण यह सब हुआ है, आप थाना प्रभारी पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते है मंत्री जी ?

अध्यक्षः- माननीय सदस्य ललित जी, आप इस केस से मुतल्लिक कागजात या आप जो कह रहे हैं कि गलत मेडिकल सर्टिफिकेट या जो है, वह सब आप सरकार को उपलब्ध करा दीजिये, सरकार उसको देखेगी। तारांकित प्रश्न संख्या-1174 ।

श्री ललित कुमार यादवः- नहीं, इसपर जांच तो करवा दीजिये महोदय ।

अध्यक्षः- आप सारा कागज दे तो दीजिये। सरकार इसको दिखवा लेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-1174 (श्री मुजाहिद आलम)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के हिम्मतनगर व नजरपुर पंचायत में पिपला कब्रिस्तान है। पूर्व में निर्मित कब्रिस्तान की प्राथमिकता सूची में उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु सूचीबद्ध नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी ढंग से क्रमबद्ध कराने की नीति है।

श्री मुजाहिद आलमः- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कब्रिस्तान है, वह सरकारी कब्रिस्तान है और इसके चारों ओर महादलित परिवारों का गॉव है और इसमें अक्सर विवाद होते रहता है,तो जो प्राथमिकता सूची निर्धारित है,हमारा किशनगंज जिला जो अल्पसंख्यक डोमिनेटेड जिला है, वहॉ 500 से अधिक सरकारी कब्रिस्तान हैं, एक साल में चार, पॉच ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती है, तो पॉच साल में इस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा आग्रह करता हूॅ कि यह जब सरकारी कब्रिस्तान है, इसलिए जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक इसको प्राथमिकता सूची में नहीं दिया है, बार-बार यहॉ घटनाएॅ होती हैं, इसलिए इसको प्राथमिकता सूची में देते हुए इसकी घेराबंदी कराने की कृपा की जाय।

अध्यक्षः- ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1175 (श्री लक्ष्मेश्वर राय)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना थाना पथ निर्माण विभाग के भवन में संचालित है एवं ललमनिया ओ0पी0 मध्य विद्यालय ललमनिया को दान में प्राप्त भूमि में संचालित है। दोनों भवनों की स्थिति ठीक है एवं दोनों भवनों में पुलिसकर्मी एवं हथियार सुरक्षित हैं। खुटौना थाना के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रिया में है। भूमि चयन के पश्चात् भवन निर्माण की कार्रवाई की जायगी। ललमनिया ओ0पी0 के भवन निर्माण हेतु खाता संख्या-470, खेसरा संख्या-198, 199,

2000 एवं 2003 गैर मजरुआ जमीन के हस्तांतरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। भूमि हस्तांतरण हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दे दिया गया है।

टर्न: 04/कृष्ण/14.03.2016

तारांकित प्रश्न संख्या : 1176 (श्री ललन पासवान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक,रेलवे बिहार, पटना द्वारा रेल प्रक्षेत्रादेश संख्या 47/2014 द्वारा 4 वर्षो एवं उससे अधिक से एक ही रेल जिला में पदस्थापित कुल 144 सिपाहियों का स्थानान्तनण विभिन्न रेल जिलों में किया गया था जिसमें से स्थानान्तरित कुल 57 कर्मियों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचार करते हुये बीमारी,पारिवारिक समस्या,सेवा निवृत्ति की निकटता के आलोक में रेल प्रक्षेत्रादेश संख्याा 54/2014 एवं 77/2014 द्वारा कुल 10 कर्मियों का स्थानान्तरण रद्द किया गया है । महिला सिपाही-178 श्रीमती चन्द्र कलिया देवी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक,रेलवे बिहार,पटना द्वारा विचारोपरांत अस्वीकृत किया गया । इसके अलावे 46 अन्य कर्मियों का अभ्यावेदन भी को गुण-दोष के आधाार पर अस्वीकृत किया गया । महिला सिपाही-71 श्रीमती चम्पा देवी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया था । वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक, रेल को निर्देश दिया जा रहा है कि सभी स्थानान्तरण, जो स्थगित किये हैं या जिन्होंने अभ्यावेदन दिया है, उनकी पुनर्समीक्षा करें एवं पुलिस-हस्तक के अनुसार नियमानुकूल निर्णय लें ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि स्थानान्तरण हुआ और रद्द भी किया गया ।

अध्यक्ष : और उसकी फिर से समीक्षा करने के लिये भी कह चुके हैं ।

श्री ललन पासवान : सर, मैं पछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्रीमती चम्पा पासवान ने अभ्यावेदन नहीं दिया है । मेरी चुनौती है और यह खबर भी है, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है, उसका पत्रांक संख्या सब है । महोदय, मामला यहां नहीं है । उसका वेतन 11 महीने से, 12 महीने से और खासकर जो

दलित महिला सिपाही हैं, श्री पी0एन0ओझा जी, क्या हैं, नहीं है, जाति पर मैं संज्ञान नहीं लेना चाहता, लेकिन आपका संरक्षण प्राप्त होना चाहिए । इन्होंने दो बार, तीन बार इन महिलाओं को बुलाया । कहा जाये, सदन अगर तैयार हो तो उनको साक्ष्य के लिये उपस्थित किया जा सकता है । इन्होंने कहा कि मैं जो कहूंगा, वह मान जाओगी, तब ट्रांसफर होगा और जबरन इसलिए कि अनुसूचित जाति की हैं, दर्जनभर महिलायें हैं और इन्होंने शोषण करने का भी प्रयास किया और शारीरिक शोषण का भी इन्होंने सवाल किया । खबर छपी हुई है, शर्म की बात नहीं है । प्रभात खबर का यह न्यूज है माननीय मंत्री जी । यह खबर छपी हुई है । इन्होंने कहा कि मेरी बात मान जाओगी तो मैं रद्द कर दूंगा । मैं ए0डी0जी0 से भी मिला, डी0जी0पी0 से भी मैंने कहा । कहा कि मैं समीक्षा करा रहा हूं । जो भी है, एस0पी0जो हैं, पूरी तरह जातीय भावनाओं से ग्रसित थे, इसलिए अनुसूचित जाति की महिलाओं का इन्होंने रद्द किया, निलंबन भी किया और उसके बाद उसके वेतन पर भी रोक लगा दिया । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किस नियम-कानून के तहत अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और किया गया तो दोषी एस0पी0 पर और शोषण के सवाल पर और अनुसूचित जाति ऐक्ट की बात किया जाय तो उन्होंने एक्ट भी दिखाया और धमकाया भी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विशिष्ट पूरक पूछिये न ।

श्री ललन पासवान : वही मैं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने तो बताया कि सिर्फ इन्हीं दोनों का नहीं, 40 आरक्षियों का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, देख लीजिये न, इसमें मैक्सिमम महिलायें अनुसूचित जाति की हैं एक दो को छोड़कर । मैं यह कह रहा हूं कि एस0पी0 ने जो आचरण किया, व्यवहार किया, एक तो उसका निलंबन वापस हो, स्थानान्तरण रद्द किया गया है, वह जाने के लिये तैयार है । लेकिन उन्होंने जो शोषण का चर्चा किया, गलत निर्णय किया तो माननीय मंत्री उसका निलंबन वापस करने का विचार रखते हैं और उसका वेतन का भुगतान और साथ ही एस0पी0 ने

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो उसपर एफ0आई0आर0 होने का विचार रखते है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप पुराने हैं, सदनमें तो एफ0आई0आर0 होता नहीं है, सदन में एफ0आई0आर0 होने लगे, एफ0आई0आर0 तो संबंधित जो पीड़ित होते है, उनको करना पड़ता है । सदन में एफ0आई0आर0 का आदेश तो होता नहीं है ।

श्री ललन पासवान : आदेश नहीं होता है लेकिन मैं कह रहा हूं कि अनुशासनिक कार्रवाई करके ..

अध्यक्ष : ठीक है । सरकार जांच करा लेगी ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिलना चाहिए । अनुसूचित जाति दलित महिला का मामला है । इस पर भी आसन से गरीब दलितों, शोषितों को न्याय नही मिलेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललन जी, सरकार ने कहा है कि पूरे मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया है और आपके पास जो भी कागज या प्रमाण उपलब्ध हैं

(व्यवधान)

आप पूरी बात तो सुन लीजिये । आप पूरी बात भी नहीं सुनते हैं । आप पूरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री ललन पासवान : जी बोलिये ।

अध्यक्ष : सरकार ने जब कहा है सारे आदेशों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है, आप सारे कागजात और प्रमाण सरकार को उपलब्ध करा दीजिये, समीक्षा में उन बातों पर भी गौर किया जायेगा । आप उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री ललन पासवान : उपलब्ध करा देंगे महोदय, लेकिन आप के तरफ से यह तो आदेश होना चाहिए कि उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ।

अध्यक्ष: यह तो निर्देश दे दिया न । समीक्षा के बाद ही न ।

श्री ललन पासवान: तो जांच का आदेश दे दीजिये ।

अध्यक्ष : बिना समीक्षा के कार्रवाई का आदेश कैसे हो जायेगा ?

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, जांच का निर्देश दीजिये न ।

अध्यक्ष : समीक्षा में आपके सारे कागजातों को देखा जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1177 (श्री श्रीनारायण प्रसाद)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेतिया जिलान्तर्गत श्रीनगर थाना वर्तमान में जल संसाधन विभाग के गंडक योजना के डाक बंगला में कार्यरत है । श्रीनगर थाना भवन निर्माण हेतु भ-ूअर्जन के लिये कुल प्राक्कलित राशि 26,54,284/- माात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । भू-अर्जन के पश्चात् श्रीनगर थाना भवन, पुलिस बैरक एवं चाहरदिवारी की निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री श्रीनारायण प्रसाद : महोदय,कबतक हो जायेगा ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : जो प्रशासनिक स्वीकृति है,जो राशि है, वह उपलब्ध करा दिया गया है । वह तो बन ही जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तो हो ही चुका है ।

तारांाकित प्रश्न संख्या : 1178(श्रीमती अरूणा देवी)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वारसलीगंज चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1933 में हुई थी, जो 1992-93 से बंद है ।

2. उत्तर स्वीकारात्तमक है ।

3. बिहार राज्य चीनी निगम की बंद 15 इकाईयों को पुनर्जीवित करने/अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु अबतक 4 निविदा प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है जिसमें 7 इकाईयों का निस्तार हुआ है । शेष बची 8 इकाई, जिसमें वारिसलीगंज भी सम्मिलित है, को पुनर्जीवित करने/अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु पंचम निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में यह बंद हो गयी, करीब 22-22 वर्ष

बंद हुये हो गया, इससे किसानों के समक्ष बहुत समस्यायें हैं । गेहूं और धान से वहां कुछ मिलने वाला नहीं है । एक नंबर चीनी मिल था, वहां गन्ना सप्लाई होता था और चीनी अन्य राज्यों मे भी जाता था, अब वे बंद पड़ा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उक्त चीनी मिल को कबतक चालू कराना चाहते हैं और नहीं तो क्यों ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पंचम निविदा के लिये प्रक्रिया की जा रही है । बहुत जल्द ही पंचम निविदा, सरकार इसके लिए है कि जितने भी चीनी मिल बंद है, उसको चालू कराया जाये, खासकर वारिसलीगंज चीनी मिल के लिये विशेष रूप से यह है कि वहां की चीनी मिल शीघ्र ही चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, जब चार बार, पांच बार निविदा हो गयी और कोई टर्नअप नहीं हो रहा है तो क्या सरकार निविदा डॉकुमेंट में कोई परिवर्त्तन करके ताकि इन्विेस्टर वहां ले सके, डॉकुमेंट में परिवर्तन करके कबतक निविदा करना चाहती है ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : महोदय, प्रक्रिया चालू है । सरकार की जो मार्गदर्शिका है उस के अनुरूप जो नियम संगत है, उसी के तहत निविदा की कार्रवाई की जा रही है, नियम को शिथिल करके निविदा की प्रक्रिया की नहीं जा सकती है ।

श्री सनन्द किशोर यादव : महोदय, मैंने कोई शिथिल करने की बात नहीं की । शायद मंत्री महोदय पहली बार मंत्री बने हैं तो इनको जानकारी नहीं है । निविदा का डौकुमेंट सरकार ही बनाती है और निविदा के डौकुमेंट में परिवर्त्तन सरकार ही करती है। अगर किसी डौकुमेंट के आधार पर निविदा नहीं आ रही है तो सरकार समीक्षा करती है, सरकार विचार करती है कि हमको इस काम को करना है, इन्वेस्टर से सरकार बात करती है, उनके साथ मीटिंग करती है, उनके सुझावों पर सरकार अमल भी करती है जो मानने योग्य होता है । तो मैं आपके माध्यम से यह पूछ रहा हूं कि जब चार बार निविदा हो गयी, नहीं कोई आ रहा है तो क्या सरकार समीक्षा करके जो शर्त्त सरकार रखी है डौकुमेंट्स में, उसमें कोइ संशोधन करने का विचार रखती है । यह मैं पूछ रहा हूं ।

टर्न-5/सत्येन्द्र/14-3-16

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदय,मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कहीं न कहीं तीन चीनी मिल है और प्रक्रियात्मक जो लेगा एक साथ बड़ा चीनी मिल खोलेंगे। तीन छोटे मिल का अलग प्रक्रिया होने से यह दिक्कतें आ रही है इसलिए माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे इसमें पूरा परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है। मेरे यहां मधुबनी में तीन चीनी मिल है तीनों चीनी मिल का बिक्री हो गया और खुल एक भी नहीं रहा है तो इसलिए सही मायने में मेरा भी आग्रह होगा और आपका,आसन का हमको संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष: आपलोग पूरी तरीके से संरक्षित हैं तो बार-बार संरक्षण क्यों मांग रहे हैं?

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय,जवाब दिलवा दीजिये। सरकार जवाब तो दे दे, दो दो प्रश्न हुए हैं महोदय, सरकार का क्या कहना है?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद: महोदय,28/12/15 को मुख्यमंत्री ने स्वयं समीक्षा की थी और समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देशित किया है कि ये अंतिम प्रक्रिया है निविदा की यदि इस अंतिम निविदा में भी कोई नहीं ले पाता है तो सरकार इसके लिए अलग करके कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष: यही बात आपको पहले बतला देना चाहिए था।

तारांकित प्रश्न संख्या-1179 (श्री मुजाहिद आलम)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के मौजाबाड़ी में मोजाबाड़ी कब्रिस्तान है। उक्त कब्रिस्तान के घेराबंदी हेतु कोचाधामन प्रखंड के लिए बने पूर्व के प्राथमिकता सूची में घेराबंदी हेतु क्रमांक 22 पर अवस्थित है। इस जिला अन्तर्गत वर्त्तमान में माननीय सांसद/ माननीय विधायक के अनुशंसा के आलोक में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। मौजाबाड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्राथमिकता के आधार पर कराने एवं भविष्य में कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य प्राथमिकता सूची में क्रमबद्ध ढंग से कराने हेतु जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।

श्री मुजाहिद आलम: माननीय अध्यक्ष महोदय,हमारे यहां बहुत सारे ऐसे सरकारी कब्रिस्तान है।

अध्यक्षः इसमें तो आपकी बात सरकार ने मान ली है।

श्री मुजाहिद आलमः मान तो ली है लेकिन पैसा बहुत कम है। बहुत पहले ही हमलोग अनुशंसा किये हुए हैं लेकिन डी0एम0 यही बोलते हैं कि मेरे पास फंड नहीं है तो मेरा आग्रह होगा कि किशनगंज जिले के लिए ज्यादा फंड दिया जाय चूंकि वहां ज्यादा कब्रिस्तान है।

अध्यक्षः लेकिन प्रश्न के अनुसार तो मुजाहिद जी,आपके मौजाबाड़ी कब्रिस्तान के बारे में ही न सरकार बतायेंगी। उसके बाहर की बात तो बतायेगी नहीं इसलिए वो अलग से पूछिये।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1180(श्री राजकुमार राय)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर एवं विथान थाना में क्रमशः 2004 एवं 2005 मॉडल जीप उपलब्ध है। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त दो थानों के लिए एक-एक अदद वाहन 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1181(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)</u>

श्री अब्दुल गफूरः 1-उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदधिकारी सीतामढ़ी के कार्यालय से विषयगत योजना में माननीय सदस्या के पत्रांक 15(आ0), पटना दिनांक 4-1-13 माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के निर्गत आदेश संख्या 13(आ0) दिनांक 4-1-16 द्वारा प्राप्त हुआ था। वर्ष 2013 में मदरसा जामिया मन्नीरूल मुनाफ, रूपौली, बेलसंड को सरकार के स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

2-वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में उक्त मदरसा में 6 खपड़पोष कमरा एवं एक सुलभ शौचालय निर्मित है जो उपयोग में है।

3-एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत केवल 6 प्रखंडों ही अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड के रूप में भारत सरकार के द्वारा चयनित है जिसमें बेलसंड प्रखंड सम्मिलित नहीं है। अतः एम0एस0डी0पी0 के तहत उक्त मदरसा में भवन एवं शौचालय का निर्माण संभव नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत मदरसा एवं शौचालय निर्माण की कोई अन्य योजना संचालित नहीं है।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः महोदय,मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या सरकार मान्यता प्राप्त मदरसा में भवन शौचालय आदि निर्माण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कोई योजना है तो बतावें?

अध्यक्षः उन्होंने तो कह दिया कि नहीं है।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः महोदय,राज्य सरकार सच्चर कमिटी के सिफारिश के अलोक में सभी सरकारी मान्यता मदरसों में भवन निर्माण हेतु योजना चलाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था तो अबतक मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसों में भवन निर्माण नहीं कराये जाने का क्या औचित्य है?

श्री अब्दुल गफूरः महोदय,एम0एस0डी0पी0 योजना भारत सरकार की योजना है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार ने भारत सरकार को लिखा है अन्य प्रखंडों के बारे में भी। अगर बेलसंड प्रखंड एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत चयनित हो गया तो इनके प्रश्नकर्त्ता के मदरसा में भवन एवं शौचालय बना दिया जायेगा।

श्री शकील अहमद खांः महोदय,मेरा प्रश्न है बिहार सरकार को अपनी जिम्मेदारी के तहत शौचालय मदरसा में बनाने की जिम्मेवारी है कि नहीं नं01,और नम्बर 2 जो मान्यता प्राप्त मदरसा है और बोर्ड के तहत उसको पेमेंट भी जाता है तो उस बुनियाद पर क्या वहां भवन बन सकता है कि नहीं? अगर एम0एस0डी0पी0 का इंतजार हम करते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसा हम आने का इंतजार करते रहेंगे और ये लिखना पढ़ना चलता रहेगा और उस बुनियाद से हम रोकते रहेंगे तो इसका क्या औचित्य है, यह बात माइनोरिटी मिनिष्टर बतलायें?

श्री अब्दुल गफूरः अभी माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खां साहब ने जो प्रश्न किया है पी0एच0ई0डी0 से संबंधित, चूंकि प्रश्न में उन बातों का जिक्र नहीं है इसलिए उसका उत्तर देने के लिए तो अभी मुनासिव नहीं है लेकिन मदरसे में शौचालय निर्माण के लिए जो सरकार की अन्य योजना है माननीय सदस्या,उनसे उनका उपयोग करायें तो वह बन सकता है लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अभी कोई योजना नहीं है।

श्री शकील अहमद खांः ये समस्या अगर है तो आपके जेहन में या सदन के पटल पर आया है तो इस समस्या के निदान में मानननीय मिनिष्टर, अल्पसंख्यक कल्याण क्या सोचते हैं? वो सवाल है उसका जवाब चाहिए।

तारांकित प्रश्न संख्या-1182(भाई वीरेन्द्र)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमदः उत्तर अस्वीकारात्मक है। बिहटा चीनी मिल में कुल 42.02 एकड़ भूमि है। उसमें से दिनांक 19-3-13 को प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य चीनी निगम एवं मे0 प्रिस्टाइन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के बीच हस्ताक्षरित लीज डीड के अनुसार मे0 पिस्टाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 को 23.78 एकड़ भूमि लीज पर दी गयी है। उसे चिन्हित कर निवेशक को उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी,बिहटा को विभाग के स्तर से निर्देश दिये गये हैं

बिहटा इकाई की शेष बची 18.24 एकड़ भूमि राज्य सरकार की है,जिसका उपयोग राज्य सरकार अपने आवश्यकतानुसार करेगी।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय,इसमें साफ तौर पर मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है आपके माध्यम से कि वो चीनी मिल था अंग्रेज के जमाने का चीनी मिल, जो चालू नहीं हो सका। सरकार ने उसको एक कम्पनी मे0 पिस्टाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको 23.78 डी0 लीज पर दे दी और वो 42 एकड़ 02 जमीन है, जो चीनी मिल का बाउन्ड्री है उसके भीतर और सब पर वो कब्जा करना चाह रहा है। बिहार राज्य चीनी निगम के भी जो पदाधिकारी है उनकी उनसे मिलीभगत है। वो प्राइवेट कम्पनी वहां बनाना चाह रहा है और जमीन को जो सरकारी जमीन है भूमि है उसको अपना कब्जा में रखना चाहता है। हम वहां खुद गये थे वहां मीटिंग भी किया गया। वहां चीनी मिल के जो कर्मचारी थे उनका भी क्वार्टर बना हुआ है हुजूर। (क्रमशः)

टर्न-6/मधुप/14.3.16

श्री भाई वीरेन्द्र : ..क्रमश:.. वहाँ मंदिर तोड़वा दिया जबकि 23 एकड़ 78 डिसमल से अलग वह जमीन है । मंदिर तोड़वा दिया, जब स्कूल को भी तोड़वाने जा रहा था तो मैं वहाँ पहुँचा था । वहाँ मैंने देखा कि उस कम्पनी के लोगों से चीनी मिल निगम के लोगों की मिलीभगत है, वह सारे जमीन को....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये न !

श्री भाई वीरेन्द्र : जो लीज की जमीन दी गई है उससे ज्यादा पर उसका अधिकार बना हुआ है, उसपर घेराबंदी जो कर रहा है, क्या सरकार उसपर कार्रवाई करना चाहेगी ?

श्री खुर्शीद उफ फिरोज अहमद : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक को विभाग द्वारा निदेश दिया जा चुका है कि 23.78 एकड़ जमीन उनको चिन्हित करके दे दें और बाकी 18.24 एकड़ जमीन बिहार सरकार की है और रहेगी। डी0एम0 और एस0पी0 को पूर्व में ही निदेश दिया जा चुका है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : लेकिन चीनी मिल के जो प्रबंधक हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, उससे उनकी मिलीभगत है और वे चाहते हैं इस जमीन को उसके कब्जे में दे देना और उसके बदले रकम लेना । क्या सरकार उसकी जॉच पुनः कराकर जो ज्यादा जमीन है, उसको सरकार छुड़ाना चाहती है ?

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि उन्होंने जिलाधिकारी और एस0पी0 को संयुक्त रूप से देखने का निदेश दिया है कि प्रीस्टाईम इन्फ्रास्ट्रक्चर को 23.78 एकड़ भूमि दी गई है, उतनी ही पर वे बाउंड्री करावें । डी0एम0 और एस0पी0 को इन्होंने निदेश दिया है । अब क्या चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : समय-सीमा चाहते हैं कि वह निदेश कितने दिनों बाद इम्प्लीमेंट होगा ?

अध्यक्ष : टाइम-बाउंड बता दीजिये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : शीघ्र ही उसको हम करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1183 (श्री रमेश ऋषिदेव)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत टेंगराहा भतनी ओ0पी0 अधिसूचित है । यह ओ0पी0 भतनी बाजार में जन सहयोग से बने भवन में चल रहा है । इसकी 8 डिसमल भूमि राज्य सरकार को स्थानांतरित है । टेंगराहा भतनी में ओ0पी0 भवन का निर्माण हो चुका है एवं 27.1.2015 को उद्घाटन हुआ है । उद्घाटन के उपरांत भतनी स्थित ओ0पी0 को टेंगराहा में स्थानांतरण के क्रम में भतनी बाजार के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया जिसके कारण ओ0पी0 टेंगराहा में स्थानांतरित नहो सका ।

वर्त्तमान में टेंगराहा ओ0पी0 में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था हेतु एक पदाधिकारी एवं एक-चार सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त हैं । ओ0पी0 भतनी

बाजार स्थित भवन से कार्य कर रहा है तथा टेंगराहा से इसकी दूरी 5 कि0मी0 है ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, टेंगराहा में ओ0पी0 है, भवन में है लेकिन भतनी में नहीं है । हम भतनी के बारे में पूछे हैं, टेंगराहा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : भतनी के बारे में तो मंत्री जी बताये ।

श्री रमेश ऋषिदेव : टेंगराहा के बारे में बताया और कह रहे हैं कि भतनी को वहीं स्थानांतरित किया गया है । टेंगराहा में है लेकिन भतनी में नहीं है, हम भतनी के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, हमने उत्तर में बताया कि जो ओ0पी0 वहाॅं अधिसूचित है, वह टेंगराहा भतनी ओ0पी0 के नााम से अधिसूचित है । उस ओ0पी0 का भवन बन गया है टेंगराहा में । लेकिन भतनी में चूंकि पहले से चल रहा था, बाजार का इलाका है, वहाॅं के लोगों ने उसको शिफ्ट नहीं करने दिया और उसकी 5 कि0मी0 मात्र दूरी है । अब 5 कि0मी0 - 4 कि0मी0 पर अलग-अलग ओ0पी0 तो स्थापित नहीं किया जा सकता है ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले से भतनी में ओ0पी0 है, तो वहाॅं भी भवन चाहिये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब को आपने ठीक से नहीं सुना । उन्होंने कहा कि भतनी में जो ओ0पी0 कार्यरत है, उसी के लिए मकान बना है, वह टेंगराहा में बना है । भतनी टेंगराहा एक ही ओ0पी0 से सम्बद्ध है । अब वहाॅं बन गया है लेकिन यहाॅं के लोग उसको शिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं । वह माननीय मंत्री जी बता रहे हैं ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, जब यहाॅं के लोग शिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं तो मंत्री जी फिर यहाॅं भतनी में बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : उसके बारे में तो ये बता दिये कि 4 कि0मी0 पर नहीं बन सकता है ।

श्री रमेश ऋषिदेव : 5-7 कि0मी0 दूरी है और नक्सल एरिया है । टेंगराहा नक्सल एरिया है, 50-60 नक्सली माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाॅं गये थे तो उनके सामने सरेंडर किया था । इसलिये वहाॅं भी बना है । नक्सल एरिया है, इसलिये भतनी में भवन जरूरी है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1184 (श्री जय वर्धन यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : स्वीकारात्मक है । मुख्य तौर पर कारा का निर्माण वहीं होता है जहाँ फौजदारी न्यायालय कार्यरत होता है । पालीगंज अनुमंडल में वर्त्तमान में कोई फौजदारी न्यायालय कार्यरत नहीं है । इसलिए पालीगंज अनुमंडल के कैदियों का उपस्थापन दानापुर अवस्थित फौजदारी न्यायालय में ही होता है ।

अत: ऐसी परिस्थिति में वर्त्तमान में पालीगंज अनुमंडल में कारा निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूँ कि दो बार वहाँ पर कारा के लिए निरीक्षण हो चुका है, जमीन प्रचुर मात्रा में है। वहाँ तीन महीना पहले सिविल कोर्ट खुल चुका है लेकिन क्रिमिनल कोर्ट अभी खुलना बाकी है । वहाँ भी जमीन-जगह उपलब्ध है क्रिमिनल कोर्ट खोलने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि अनुमंडल बने हुए 10 साल हो गये लेकिन अनुमंडल की अभी भी कोई सुविधा नहीं दी गई है पालीगंज अनुमंडल को । एक पोस्ट-मॉर्टम के लिए भी हमलोगों को वहाँ से 40 कि0मी0 दूर आना पड़ता है । क्रिमिनल कोर्ट अभी चालू नहीं है, जेल नहीं है । नगर परिषद् और नगर पंचायत का क्षेत्र भी नहीं हुआ है । साथ-ही महोदय, वहाँ रेल की सुविधा नहीं है, हालाँकि यह तो केन्द्र सरकार का विषय है लेकिन आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि रेल का वहाँ पर शिलान्यास किया गया था माननीय लालू प्रसाद जी द्वारा, उसका सर्वे भी हुआ था । वहाँ बस डिपो भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसका प्रश्न मैंने दिया था लेकिन सूची में पीछे होने के चलते मैं सदन में उठा नहीं पाया ।

अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, एक समय निर्धारित कर देते फौजदारी मुकदमों के लिए कोर्ट और जेल के लिए, अगर बनाना सम्भव हो सरकार के लिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जय वर्धन यादव जी, आपको माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कहीं भी अनुमंडल मुख्यालय में कारा भवन की आवश्यकता तब होती है जब वहाँ पर अनुमंडलीय क्रिमिनल कोर्ट का कार्य प्रारम्भ हो जाता है । चूंकि अभी पालीगंज में क्रिमिनल कोर्ट शुरू नहीं हुआ है इसलिए वहाँ पर नहीं बन रहा है । यह उन्होंने आपसे कहा है ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि क्रिमिनल कोर्ट की व्यवस्था वहाँ पालीगंज में की जाय ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1185 (डॉ0 सुनील कुमार)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लहेरी थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सरकारी कार्य में बाधा डालने हेतु लहेरी थाना कांड संख्या 336/15 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा धारा 147, 149, 153, 188, 283 भा0द0वि0 एवं नव बिहार कंट्रोल लॉ ऑफ यूज एण्ड प्ले लाउडस्पीकर ऐक्ट दर्ज किया गया है । उक्त कांड के सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, घटना के इम्पौर्टेंस को देखते हुए थाना प्रभारी लहेरी ने 11 दिसम्बर, 2015 को ही एफ0आई0आर0 किया, तीन महीने गुजर गए । यह सरकार बोलती है कि कानून की सरकार है, कानून का राज है और तीन महीने तक अपराधी पकड़े नहीं गये । सरकारी काम में बाधा डाले, नाजायज मजमा बनाकर गुंडागर्दी किये, मंदिर में पथराव किये ।

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या समर्थक जातियों के लिए आई0पी0सी0 का रूल अलग है ? अगर जो सरकार को समर्थन दे, उन जातियों के लिए आई0पी0सी0 का रूल अलग है ? महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से जानना चाहता हूँ ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है कि 11 दिसम्बर, 2015 की घटना है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त पकड़े नहीं गये हैं, फरार हैं । महोदय, मैं सरकार से

जानना चाहता हूँ कि जब कोई अभियुक्त फरार हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, गिरफ्तारी भी नहीं होती है तो सरकार उसके आगे कुर्की-जब्ती बाकी चीजों का प्रोसेस करती है । तो क्या इस केस में इस प्रकार की कोई आगे की कार्रवाई की गई है ?

टर्न-7/आजाद/14.03.2016

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो उसका अनुसंधान जारी है, इसलिए कि वह मामला थोड़ा संवेदनशील है और जिस दिशा में माननीय सदस्य उसको ले जा रहे हैं, वह भी इस बात का प्रमाण है कि वहां थोड़ा संवेदनशील मामला है । जब संवेदनशील मामले होते हैं तो उसमें सरकार को थोड़ा सतर्कता से काम करना पड़ता है । इसलिए जब तक उसके अनुसंधान पूरी नहीं हो जायेंगे, तब तक आगे की, यह बात सही है कि अगर कोई अभियुक्त है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन अभियुक्त जो उस केस के हैं, वे अभी वहां नहीं हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है ।

श्री नन्दकिशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, कुर्की जप्ती का वारेन्ट लिया गया या क्या किया गया, प्रोसेस इसमें क्या किया गया, क्या हुआ, यह तो बताईए न ? अनुसंधान कब समाप्त होगा आपका, तीन महीना हो गया, आखिर यह क्या विषय है ? आप एक तरफ कहते हैं कि कानून का राज है तो यह क्या कानून का राज है ? 90 दिनों से ज्यादा हो गया, आप चाहते हैं कि अभियुक्त बरी हो जाय । जो अभियुक्त है , वह अभियुक्त है । मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, अपराधियों को अपराधी के निगाह से देखने का काम करिए, जाति या धर्म के निगाह से देखने का काम नहीं करिए और कह रहे हैं कि कानून का राज है, न कुर्की जप्ती कर रहे हैं और न आगे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कब करियेगा कार्रवाई बताईए ?

श्री(डॉ0) सुनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए .....

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हमलोगों का आरोप है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है और यह कह करके बचा रही है कि अपराधी फरार हैं । सरकार के स्तर पर महोदय कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन पदाधिकारियों के वजह से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, वैसे पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, बताईए ?

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उसे सदन पटल पर रख दिया जाय ।

कार्य-स्थगन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 14 मार्च,2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल तीन कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री सुदामा प्रसाद ।

आज दिनांक 14 मार्च,2016 को सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से सहकारिता विभाग की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव में जिन विषयों को उठाने की सूचना दी गई है, उसके संबंध में पहले भी विचार हो चुका है या विचार के लिए समय नियत है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-99 (1) के (ii) एवं (iii) के तहत उपुर्यक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है ।

शून्य-काल

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया नगर निगम में नगर निगम की धारा-127 एवं धारा-293 को दरकिनार कर वर्ष 2015-16 का टैक्स एक वर्ष मं दोगुणा कर दिया गया है तथा इसकी सम्पुष्टि बोर्ड से दुबारा नहीं करायी गयी है । जिससे वार्ड पार्षद एवं कारदाताओं में भारी रोष है ।

अत: जनहित में नियमानुसार टैक्स निर्धारण की मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिले में अवस्थित थावे शक्ति पीठ में 15-16 अप्रील को पर्यटन विभाग द्वारा थावे महोत्सव आयोजित होना है । जिला प्रशासन ने ''रॉक बैण्ड पार्टी'' को आमंत्रित किया है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है । भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु महोत्सव से ''रॉक बैण्ड'' को हटाया जाय ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के राजनगर प्रखण्ड सहित जिला के सभी प्रखण्डों में किसानों का डिजल अनुदान की राशि वितरण में वर्ष 2013-14 एवं

2015-16 तक बड़े पैमाने पर गड़बड़ियॉं हुई हैं । मैं सरकार इसकी जॉंच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूॅं ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर में 'मैं जे0एन0यू0 बोल रहा हूॅं' पर आयोजित गोष्ठी को गोरक्षा समिति की आपत्ति पर रोक देने, तत्पश्चात् बाहर में आयोजित सभा के दौरान कविता कृष्णन व अन्य विद्वानों पर संघी अपराधियों द्वारा हमला लोकतांत्रिक अधिकारों व अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है । हमलावरों पर मुकदमा कर गिरफ्तार किया जाय ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के कझिया गांव में 60 दलितों के झोपड़ियों को सामन्ती दबंगों के द्वारा 8 मार्च,2016 को आग के हावाले कर दिया गया लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पुनर्वास, मुआवजा व अपराधियों की गिरफ्तारी की व्यवस्था नहीं हो सकी है । सरकार अविलम्ब कार्रवाई करे ।

श्री भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, प0चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के ग्राम कैरी, खैरवा टोला का विद्युतीकरण तथा ग्राम-धनौजी, पटकौल एवं प्रखण्ड रामनगर के पंचायत मंचगंवा के ग्राम बनकटवा तथा तौलाहा के ग्राम ठूठी में जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करता हूॅं ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के आजमनगर प्रखण्ड अन्तर्गत दमाईपुर, दामोदरपुर, खरसौता तथा पासोल में अपराधियों का तांडव होता है । अपराधी अपराध कर बंगाल राज्य प्रवेश कर जाता है ।

अत: खरसौता में एक थाना या पुलिस चौकी अविलम्ब स्थापित किया जाय ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत सिरीस-नवीनगर रोड में बैरिया के पास रामरेखा नदी में पुल न होने के कारण जनता को भारी परेशानी होती है। नवीनगर सिरीस जाने-आने में 20कि0मी0 अधिक दूरी तय करना पड़ता है । समय व धन बर्बाद होते हैं ।

सरकार उक्त पुल का निर्माण शीघ्र करावे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के वित्त रहित इन्टर एवं डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को नियमित करने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नौजवान एवं

सांख्यिकी स्वयं सेवकों को नियोजित करे । क्योंकि हजारों नौजवानों की स्थिति दयनीय हो गयी है एवं भूखमरी के कगार पर हैं ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड चेनारी, पंचायत सदोखर के ग्राम सदोखर में स्टेडियम निर्माण में घोटाला किया गया है और कार्य अधूरा है ।

सरकार से माँग करते हैं कि घोटाले की जाँच करावे एवं अधूरा स्टेडियम का निर्माण शीघ्र करावें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला सहित पूरे बिहार में हजारों कमजोर वर्ग के गरीब परिवार फुटपाथ और स्लम बस्तियों में रहने को मजबूर हैं । सरकारी सुविधाओं से वंचित है ।

अत: सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को स्थयी घर, राशन किरासन सहित सरकारी सुविधा मुहैय्या करावें ।

टर्न-8/अंजनी/दि0 14.03.2016

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12.03.2016 को जहानाबाद के नौक गुमटी के पास टेम्पो एवं कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप लाल बाबू, ग्राम-देवकुली की मृत्यु तत्क्षण हो गयी एवं इनके साथ अन्य पांच बुरी तरह घायल हैं । ईलाज सदर अस्पताल, जहानाबाद में चल रहा है ।

अत: मृतक के आश्रित को पांच लाख रूपया मुआवजा एवं नौकरी के साथ घायलों का ईलाज सरकारी खर्च पर करने की मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, डी0एम0सी0एच0,दरभंगा में कैदी वार्ड बनकर तैयार है, परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

अत: सरकार से डी0एम0सी0एच0,दरभंगा में बने कैदी वार्ड में कार्यकलाप प्रारंभ करने की मांग करता हूँ ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी, डोभी एवं आमस प्रखंड के कई गांव में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई होती है ।

अत: शेरघाटी प्रखंड के म0वि0 श्रीरामपुर, कलनदरा, डोभी प्रखंड के चंदा, खरांटी, नीमा एवं घोड़ाघाट को +2 इंटर विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग करता हूँ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है । नगर निगम द्वारा मच्छरों की दवाई का छिड़काव शहर में नहीं हो रहा है, जिससे शहर के आम नागरिक त्रस्त हैं, अविलम्ब शहर में मच्छर की दवाई का छिड़काव किया जाय ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में जुलाई,2015 से सिविल सर्जन तथा अनुमंडल अस्पताल में सितम्बर,2015 से उपाधीक्षक का पद एवं छ: चिकित्सक का पद रिक्त है, जिससे स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही हैं । जनहित में शीघ्र चिकित्सकों का पदस्थापन किया जाय ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के गबिरार पंचायत के अतिपिछड़ी जाति के संभावित मुखिया प्रत्याशी माले नेता संजय चौरसिया की गला रेत कर हत्या राजनीतिक दुर्भावनावश 2मार्च,2016 के रात्रि में कर दी गई । अबतक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है । मृतक के परिजनों को मुआवजा व अपराधियो के गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित लाखों शिक्षकों के सितम्बर,2015 से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई हो ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय,अररिया जिलान्तर्गत फारविसगंज नगर परिषद के रेफरल अस्पताल में 2013-15 में कुल 1200 फेमिली प्लानिंग ऑपरेशन के तहत बारह लाख रूपया आशा कार्यकर्त्ताओं को अबतक प्राप्त नहीं हुई है । आदर्श दम्पति योजना में मिलनेवाली यह राशि लंबित है । डी0पी0एन0 एवं स्वास्थ्य प्रबंधक की लापरवाही के कारण पैसे उगाही में दिक्कतें आ रही हैं ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय,ढ़ाई लाख शिक्षक वेतन के अभाव में ......

अध्यक्ष : श्री विजय जी की ध्यानाकर्षण सूचना है । श्री विजय कुमार सिन्हा जी, एक मिनट बैठिए । नेता प्रतिपक्ष के इस अच्छे व्यवहार से पूरा सदन लाभान्वित हुआ है, इसको आगे दूसरे माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण-सूचना के क्रम में भी इसको याद रखियेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री रविन्द्र यादव एवं श्री दिनकर राम, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिलान्तर्गत सभी पंचायतों में डीलर की बहाली प्रक्रियाधीन है । यहां नियम की अनदेखी कर डीलरों की बहाली हो रही है एवं बहाली में पदाधिकारियों एवं दलाल बिचौलियों के मिलीभगत से अवैध वसूली भी की जा रही है ।

अत: जनहित में लखीसराय में डीलरों की बहाली में हो रही अनियमितता को रोकने तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : स्थगित । सरकार ने समय लिया है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा जिला है । जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर अस्पताल, जो रेफरल अस्पताल के भवन एवं संसाधन से दशकों से संचालित है, बढ़ती जनसंख्या व मरीजों की संख्या को वहन करने में सक्षम नहीं है । जिला में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नहीं होने से लोगों को खासकर गरीबों को ईलाज कराने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं मरीजों को संसाधन के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ती है । जिला में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्थापना की घोषणा विभागीय स्तर पर की जा चुकी है एवं विशेषज्ञों की टीम ने उजियारपुर अंचल स्थित देवखाल चौर जहां लभग 600 सकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है एवं एन0एच0-28 तथा अन्य सड़क मार्गों से काफी करीब है, को उपयुक्त पाया । परन्तु आज तक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है ।

अत: जनहित में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि समस्तीपुर में भारत सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए एक सौ नबासी करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गई है । पदों का सृजन किया जा चुका है । इसके लिए एम0ओ0यू0 एवं प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव (पी0पी0आर0) भारत सरकार को भेजा जा चुका है । मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए पच्चीस एकड़ जमीन सरायरंजन अंचल के मौजा रूपौली में चिन्हित किया गया है । इस पर विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है । भारत सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जानी है, भारत सरकार से राशि प्राप्त होते ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 का, माननीय मंत्री जी बताये कि सरायरंजन अंचल उजियारपुर की एक भूखंड 25 एकड़ है, उसके लिए कमिश्नर, जिला प्रशासन के द्वारा सहमति दे दी गयी है तो हम यह जानना चाह रहे हैं .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जिला प्रशासन या कमिश्नर की बात नहीं की है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस भूखंड पर निर्माण की स्वीकृति, अनुमोदन सरकार के द्वारा किया जा चुका है । माननीय मंत्री जी ने सरकार की बात की है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, जैसी कि मुझे जानकारी है कि जिलास्तर पर जो कार्रवाई हुई है, वह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ । 1 जुलाई, 2015 को 25 एकड़ जमीन था, सारा रेकर्डस भी हमारे पास है तो हम आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके क्या वहां निर्माण कार्य शुरू करायेगी ?

अध्यक्ष : एक तो माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि 189 करोड़ रूपया का पी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को समर्पित किया जा चुका है और बिहार सरकार भारत सरकार के सम्पर्क में है, जैसे-ही अगला क्लीयरेंस होता है तो आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य हो जायेगा, यह हम माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार : महोदय, मैंने बड़ा ही आसन को सहयोग किया है, शून्य-काल बहुत अच्छा से चला, ध्यानाकर्षण भी अच्छा चला तो मेरी बात को सुन लीजिए महोदय । पूरे राज्य में ढ़ाई लाख शिक्षक ...

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....अन्तराल....

टर्न-9/शंभु/14.03.16

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। वित्तीय कार्य।

सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्या संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	- 59 मिनट
जनता दल युनाइटेड	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 02 मिनट
हिन्दुतानी अवाम मोर्चा	- 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 02 मिनट
और निर्दलीय	- 03 मिनट

प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6 अरब 70 करोड़ 21 हजार रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, श्री संजय

सरावगी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह का प्रस्ताव प्रथम है। अतएव श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मेरा समय शुरू होता है अब से। महोदय, आपकी अनुमति से मैं सहकारिता विभाग के वित्तीय वर्ष-2016-17 के व्यय हेतु 670.21 करोड़ रूपये के बजट पर कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं तथा अनुरोध करता हूँ कि मांग सं0-9 से 10/-रू0 की राशि घटायी जाय।

अध्यक्ष : आपका 17 मिनट का समय है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : जी। महोदय, दुनिया का कोई भी देश या देश का कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी जिला या जिला का कोई पैक्स, पंचायत जहां सहकार के माध्यम से सहकारिता है वही क्षेत्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि 2015-16 में 744.99 करोड़ रूपये का बजट सदन में लाया गया था। महोदय, 2016-17 में 670.21 करोड़ रूपये का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है। महोदय, लगभग 75 करोड़ रूपये पिछली बार से इस बार कम राशि इस बजट में प्रावधानित है। एक तरफ जहां हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है लगातार, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है। सुशासन की सरकार विकास की बात करती है और उसमें लगातार बजट को घटाया जाना यह सहकारिता विभाग की और सरकार की उदासीनता का नमूना है। महोदय, बजट घटाना नहीं चाहिए। हमको सहकारिता को और अधिक प्रगति और प्रोत्साहन देना चाहिए। जब इसमें पैसे का प्रावधान अधिक किया जाता तो सहकारिता आगे बढ़ती और सहकारिता के माध्यम से हमारे राज्य का विकास होता। महोदय, उतना ही नहीं पिछली बार जो बजट दिया गया था, पिछली बार जो पैसे का प्रावधान किया गया था सहकारिता विभाग में उसमें से मात्र 56 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ है। इसलिए भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ, मैं सरकार को

कहता हूं और सदन को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मांग से 10/-रू0 घटानी चाहिए। आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है उसको काम में नहीं लगा रहे हैं, लगातार बजट कम कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि सहकारिता के माध्यम से हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, सहकारिता विभाग जिसका मूल काम है अधिप्राप्ति का- धान अधिप्राप्ति में अभी क्या स्थिति है, पूरे बिहार के लोग और सदन के सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र के किसानों की जब समस्या आती है, किसान जब सामने खड़े होते हैं कि मेरा धान नहीं बिका तो माननीय सदस्य अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं और चिंता नहीं, चिंतन भी नहीं, अफसोस करते हैं कि हमारे किसान जिसके वोट के बल पर और जो इस राज्य का सबसे बड़ा आबादी वाला किसान है, शायद उसकी दशा और दिशा बहुत ही खराब है। महोदय, इतना ही नहीं सहकारिता विभाग का घ्यान मैं इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि जहां आपने पूरे बिहार में 95 लाख मेम्बर बनाये हैं वहां आपने कितने किसानों से धान खरीदा है जरा इसपर भी गौर करियेगा। आपने मेम्बर बनाये हैं पूरे बिहार में सहकारिता विभाग के 95 लाख और धान खरीदा है मात्र 1 लाख 35 हजार कृषकों का जो 1.7 प्रतिशत है पूरे सहकारिता विभाग के मेम्बर का मात्र 1.7 प्रतिशत लोगों का ही आप धान खरीद रहे हैं- दुर्भाग्य की बात है महोदय, इस राज्य के लिए सहकारिता जैसा क्षेत्र और उसमें भी जो बड़े किसान हैं- मैं दावे के साथ कहता हूँ आप इसकी जॉच करा सकते हैं-एक भी लघु या मघ्यम वर्गीय किसान का धान अगर खरीदा गया हो, जो बड़े किसान हैं जिनका सौ एकड़ का एल0पी0सी0 बनता है या पैक्स के अघ्यक्ष बना लेते हैं- 40 प्रतिशत उस किसान को धान का लाभ दिया जाता है और 60 प्रतिशत कहीं न कहीं घोटाले किये जाते हैं, 60 परसेंट का अलग से एल0पी0सी0 बनाकर पैक्स के अघ्यक्ष और पदाधिकारी की मिलीभगत से धान का परचेज किया जाता है। महोदय, दुर्भाग्य है बैंक भी कहती है कि धान के पैसे देने में-यह न्यूज कहता है कि धान का पैसा देने में हांफ रहा है बैंक। धान का पैसा नहीं मिला भूसे भाव बिक रहा है धान, किसान

परेशान। यह न्यूज बता रहा है, बैंक भी हांफ रहा है किसानों को धान का पैसा देने में। महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि सहकारिता के माध्यम से अपने राज्य को आगे बढ़ाना है और सहकारिता की यहां उपेक्षा हो रही है। महोदय, सहकारिता विभाग की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आज के दिन में मृतप्राय पड़ी हुई है। मैं पदाधिकारियों का घ्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहूंगा। बिहार राज्य कॉपरेटिव फेडरेशन जिसको आपने सहकारिता के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया था और आज वह मृतप्राय है। महोदय, बिस्कोमान-आपकी उपेक्षा के चलते भारत सरकार ने कृपा करके बिस्कोमान को अपने अंडर में ले लिया। बिस्कोमान की क्या स्थिति है। पहले हमलोग भी जब किसानी के लिए जब खाद खरीदने जाते थे तो यूरिया और डी0ए0पी0 बिस्कोमान से खरीदने जाते थे आज बिस्कोमान की स्थिति देख लीजिए। कन्ज्यूमर फेडरेशन, तंबाकू फेडरेशन, ग्रामीण हाउसिंग कॉपरेटिव फेडरेशन है यह सारे के सारे संस्था मृतप्राय है। इन्हें वित्त पोषित करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगा अनुरोध करना चाहूंगा, अनुनय, विनय, प्रार्थना करना चाहूंगा..........क्रमशः।

टर्न–10/अशोक/14.03.2016

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : क्रमशः इन संस्थाओं को मृत घोषित करिये और दूसरी तरफ आपके माध्यम से मैं सरकार का घ्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस विभाग में 289 राजपतित्र अधिकारी के पद स्वीक्त है और कितने लोग काम कर रहे हैं ? आज काम कर रहे हैं 102 पदाधिकारी, 289 की जगह पर 102 राजपत्रित पदाधिकारियों के माध्यम से पूरा कौओपरेटिव डिपार्टमेंट का काम चल रहा है महोदय । उसमें भी महोदय, कालबद्ध प्रोन्नति नही दी जाती है । तो विभाग के बड़े पदाधिकारी सरकार के आगे पीछे करते हैं, चाहे वह घोटालेवाज ही क्यों न हो, जिन पर सरकार ने किसी न किस प्रकार की आपत्ति दर्ज कराई है, उन्हें प्रोन्नति दे दी जाती है लेकिन इस विभाग के अच्छे काम करने वाले कई पदाधिकारी हैं जिन्हें प्रोन्नति नहीं दी जाती है । महोदय, मैं कुछ नाम भी गिनाना चाहूंगा, आप नाम नोट करिये, पदाधिकारी नाम नोट कर रहे है, बी.के. सिन्हा साहब को कैसे प्रोन्नति दे दी गई सहकारियता विभाग के माध्यम से ? आपने आर.पी. सिंह को कैसे प्रोन्नति दे दी ? शांत रक्षित को आपने कैसे प्रोन्नति दे दी ? इनका कालबद्ध प्रोन्नति भी नहीं हुई है, जो किसी न किसी घोटाले में फंसे हुये हैं, कोई–न–कोई आरोप जिन पर लगा हुआ है और ऐसे लोगों को आप प्रोन्नति देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सहकारित विभाग ऐसे पदाधिकारी के माध्यम से सहकारिता विभाग बहुत अच्छा चलेगा ? जो कहीं से भी सम्भव नहीं लगता है ।

महोदय, सहकारिता विभाग को सिर्फ धान का ही अधिप्राप्ति नहीं करनी है, किसान के अन्य फसलों का भी अधिप्राप्ति करनी है । आपको गेंहू खरीदनी है, मक्का

खरीदनी है, किसानों के अन्य उत्पादन खरीदनी है लेकिन सिर्फ धान ही खरीदते हैं तो धान का क्या लक्ष्य रहा है ? 10 तारीख की रिपोर्ट, इसमें आपका विभाग बतलाता है कि 10 तारीख तक, 10 मार्च तक मात्र 10.55 मैट्रिक टन धान खरीदी गई है, आपको खरीदना था 30 लाख मैट्रिक टन, और आपने 10 तारीख तक मात्र 10.55 मैट्रिक टन ही धान खरीद पाया है, क्या उम्मीद करते हैं कि मार्च का बाकी जो बचा हुआ 15 दिन का समय है, आपने जो समय निर्धारित किया है,

उस तय समय सीमा के अन्दर किसान के जो बाकी धान पड़ हुये हैं, उसको खरीद लेंगे ? माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तों मैं चहूंगा कि आप अपने जवाब में इसको भी शामिल करियेगा कि क्या आप समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं या और कोई किसी प्रकार से इन संस्थाओं का विस्तारीकरण करना चाहते हैं ? या आपका जो लक्ष्य हैं, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के मुतबिक आप धान परचेज कर पाइये ।

महोदय, 2009-10 में सरकार ने एक योजना शुरू की थी, योजना यह थी कि सभी पैक्सों में, सभी पैक्सों को गोदाम बनाना है, सभी पैक्सों को राईस मिल बनाना है,

आप जरा इसकी समीक्षा करेंगे, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, यह जरा आप समीक्षा करेंगे 2009-10 की योजना, आज 2016 चल रहा है और आज भी, मेरी जो जानकारी में है, मैं समझता हूँ कि अभी बिहार में 30 प्रतिशत पैक्सों के पास न तो गोदाम है और न राईस मिल ही लगा पायें हैं । आप इस योजना को और तेजी नहीं करियेगा, तेजी नहीं लाइयेगा, आप पैक्सों में गोदाम नहीं बनायेंगे तो बहुत सारे पैक्स के अध्यक्ष हैं जो धान खरीदते हैं और बाहर कहीं रख देते हैं । मौसम खराब होता है, बारिश होती है, धान उनका सड़ जाता है और वह धान समय पर डिलर के पास नहीं जाता है, चावल नहीं बन पाता है, पैसा उसे नहीं प्राप्त होते हैं । आपने समय सीमा निर्धारित कर दिया है 48 घंटे के अन्दर, हम 48 घंटे के अन्दर हम धान का पैसा पेमेंट करेंगे । कोई भी माननीय सदस्य बता दें कि उनके क्षेत्र में किसी किसान का पैसा 48 घंटा तो छोड़ दीजिए, आपने 50 घंटा, 100 घंटा में भी आपने दिया है, किसी भी किसान का पैसा तीन से चार महीना के अन्दर नहीं देते है।

महोदय, एक समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा , सरकार का भी और पदाधिकारीगण का भी । राजय सरकार राज्य कौओपरेटिव बैंक 9 प्रतिशत इन्टरेस्ट पर रूपया देती है,राज्य कौओपरेटिव बैंक जिला कौओपरेटिव बैंकों को साढ़े 9 प्रतिशत इन्टरेस्ट पर पैसा देती है और जिला कौओपरेटिव बैंक पैक्सों को 11 प्रतिशत इन्टरेस्ट पर पैसा देती है, आप 11 प्रतिशत पर राशि ले जाईये और जिस किसान का आप धान खरीद रहे हैं उस किसान का भुगतान करिये । पैक्स को ऐसी कौन सी आमदनी है, एक तरफ जब पैक्स वाले धान लेकर मिलर के पास जाते हैं तो उनके पैक्स में मिल नहीं है, राईस मिल नहीं लगाया है तो जो राईस मिल हैं, वह राईस मिल के पास धान लेकर

जाते हैं तो कम से कम 100 रूपया क्वींटल, यह रेकर्ड की बात नहीं है लेकिन यह व्यवहारिक भी है और सच्चाई भी है, कम से कम 100 रू0 प्रति क्वींटल, प्रति क्वींटल 100 रूपया पैक्स के अध्यक्ष नहीं देते हैं तबतक उनका धान राईस मिल वाले नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे पैक्स को दूसरा कौन सी आमदनी है, 11 प्रतिशत इन्टरेस्ट के दर पर पैक्स को आप राशि उपलब्ध कराते हैं और पैक्स उससे धान खरीदता है । महोदय, आपके माध्यम से सरकार को और सदन से अनुरोध और अनुमति करता हूँ कि आप अधिक से अधिक तीन से चार प्रतिशत पर पैक्स को पैसा दीजिए, सरकार पैसा दे तकि पैक्स वालें को भी किसानों को पैसा देने में सुविधा हो सके और इन्टरेस्ट का अधिक बोझ नहीं बढ़े, इन्टरेस्ट अधिक नहीं बढ़े, वह धान आसानी से खरीद सके और धान की खरीदगी में किसी प्रकार का घोटाला नहीं हों ।

महोदय, 80 प्रतिशत सहाकरी बैकों में किसान के केडिट कार्ड की प्रथा ही समाप्त हो गई, आपने तय किया था कि बिहार के किसानों को 100 प्रतिशत किसान को केडिट कार्ड देंगे लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी को 20 प्रतिशत से ज्यादा किसान केडिट कार्ड अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है, आपने 100 प्रतिशत की गारन्टी की थी, लेकिन अभी तक आपने पूरा 20 प्रतिशत भी नहीं दे पायें हैं, 80 प्रतिशत किसान को केडिट कार्ड आज तक उपलब्ध नहीं करायें हैं । मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो जरूर बतायेंगे कि आप कितने दिनों के अन्दर 100 में 100 नहीं तो कम से कम 50-60 प्रतिशत किसानों को भी किसान केडिट कार्ड के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध करायेंगे ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज से तीस साल पहले जिन किसानों के कागज-पत्र बैकों में जमा हुये, उनको पेपर्स के माध्यम से, पेपर्स के भेरिफकेशन करके लोन दिया जाता है । आप फ्रेश कागजात प्राप्त नहीं करते हैं, आप अग्रिम लोन उनको देते है और उसी में रिकभरी भी कर लेते है, लोन में से ही रिकभरी कर लेते हैं और पी.टी. के माध्यम से, पेपर ट्रांजेक्शन के माध्यम से आप लोन देते हैं । महोदय, उसका फ्रेश एल.पी.सी. बनवाइये, हो सकता है 20 साल पहले कोई किसान अपना एल.पी.सी. बना कर दिया, आज उसकी जमीन बिक गई हो, लेकिन बैक के पदाधिकारी और पैक्स की मिली भगत से 20 साल पहले जिन्होंने पेपर्स जमा किया है उसी को रिन्युअल करते जाते हैं, और पी.टी. यानी पेपर

ट्रांजेक्शन के माध्यम से उसको आप लोन देते जाते हैं । जो कहीं से भी यथार्थ नहीं है, 20 साल पहले किसान के पास हो सकता है 20 बीघा जमीन रही हो, आज उसके पास जमीन नहीं है, लेकिन आज भी उसी पेपर ट्रांजेक्शन के माध्यम से लोन देते जाते हैं, जो कहीं से भी यथार्थ नहीं है ।

महोदय, मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारा पूर्वी चम्पारण जिला धान उत्पादक जिला भी है और काफी मात्रा में वहां पशुधन भी है जससे दूध निकलता है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा महोदय कि मोतिहारी में एक डेयरी प्रोजेक्ट खुलवाने के लिए आप भारत सरकार से आग्रह भी करिये, आप तो नहीं ही खोल सकते है यह मेरा दावा और विश्वास हॅ, कम से कम आप भारत सरकार से आग्रह कीजिए कि हमारे मोतिहारी जिले में एक डेयरी प्रोजेक्ट लगवाइये । डेयरी प्रोजेक्ट कलिए और अन्य प्रोजेक्ट के लिए भी-अन्य प्रोजेक्ट भी इसलिए नहीं लग पा रहे हैं चूंकि समय पर जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं । बिहार की सरकार समय पर जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है । इसलिए प्रोजेक्ट नहींलग पा रहा है । मैं आश्वस्त करता हॅ आपके माध्यम से मंत्री जी को कि आप भारत सरकार को अनुरोध करिये । डेयरी प्रोजेक्ट मोतिहारी जिले के कोटवा या चकिया या मधुबन, जहां भी आप लगवाना चाहिए, लगवाईये, जमीन वहां उपलब्ध है । जमीन आपको मिल जायेगी महोदय । महोदय...

अध्यक्ष : आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिह : महोदय, पुन: एक बार आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी , एक समस्या है, एक बड़ी समस्या है महोदय, आपको किसानों को जो बी.बी.एम. देने थे, आपको मौसम आधारित बीमा का जो प्रिमियम देना था 254 करोड़ रूपया । क्रमश:

टर्न-11-14-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : 254 करोड़ रुपया यदि आप मौसम आधारित बीमा के लिए जमा कर देते हैं तो इस बिहार के किसानों का 540 करोड़ रुपया प्राप्त होने वाला है इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करुंगा माननीय मंत्री जी से और पदाधिकारीगण से कि इन पैसों को बिहार सरकार से लीजिये और बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगें कि प्रीमियम के जो पैसे हैं 254करोड़ रुपया किसानों का, आप इसको जमा कराईये ताकि 540 करोड़ रुपया किसानों को प्राप्त हो जाय । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया सहकारिता विषय पर बोलने के लिए सरकार को जगाने क लिए इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप सहकारिता को आगे बढ़ाईये और सहकारिता को बिहार में और ठीक से लागू करिये । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य , श्री शक्ति सिंह यादव, 10 मिनट में आपको अपनी पूरी बात कहनी है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता विभाग की तरफ से अनुदान की मांगें जो रखी गयी हैं उसके पक्ष में और प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आज जिन विषयों पर , जिन अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है यह बिहार के गांवों , कस्बों से जुड़ा हुआ विभाग है । पशुपालकों से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए गांव के हर तबकें तक सरकार की लाभकारी योजनाएं सहकारिता के माध्यम से यह पहुंचे इस सवाल पर आज सदन में इस मांग पर चर्चा हो रही है । मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, सहकारी संगठनों के माध्यम से सहकारिता विभाग ने पिछले कई वर्षों से निरंतर राज्य में सहकारिता को बिहार के अंदर एक पहचान दिलायी है जिसका प्रतिफल है कि सहकारिता विभाग हर घर में, हर टोले में हर बसावट में पहुंचा है और सहकारिता विभाग के लोग कोऑपरेटिव विभाग को आज गांव और गवंई के लोग इसको जानने लगे हैं । दूध और गांव में जो पशुपालक हैं, दूधा सहकारी समितियों को देते हैं और वह जो बाजार तक जाते थे, वह बाजार तक

नहीं जाकर अब गांव में ही छोटे छोटे मिनी ` जो कलेक्शन सेंटर है दूध का उसके माध्यम से उनको घर तक पैसे पहुंचते है तो इस क्षेत्र में सहकारिता विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है । हाल ही के दिनों में पिछले दिनों में एक बड़ा डेरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन नालन्दा जिला में हुआ है दूध के संरक्षण के लिए , वह एक राज्य सरकार की पहल के बाद भूमि अधिग्रहण के बाद वह बनकर के सामने तैयार हुआ , यह इनके सामने एक मिसाल है । अभी हमारे एक हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य धान की अधिप्राप्ति के सवाल पर अपनी बात कह रहे थे धान की अधिप्राप्ति निश्चित तौर पर पारदर्शिता के साथ जिन 8463 पैक्स है इस बिहार के अंदर उसके माध्यम से , राज्य की सरकार, उनके माध्यम से किसानों के धान अधिप्राप्ति कर रही है और आ0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों को पैसे दिये जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का बिचौलिया बीच में नहीं आए । सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने के लिए इसमें यह क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे किसानों के एकाउंट में जा रहा है । यह सरकार की पारदर्शिता और विभाग के प्रति गंभीर होने का हम समझते हैं कि ए प्रमाण है , सरकार की गंभीरता को यह दर्शाता है।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,डा0 अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति जी, निश्चित तौर पर धान की अधिप्राप्ति की दिशा में सरकार ने अपनी गंभीरता को निरंतर दर्शाया है और हमारे माननीय बैठे हैं, मंत्री जी आदरणीय आलोक मेहता जी चूँकि वे सहकारी समितियों से लम्बे समय से इनका जुड़ावे़ रहा हैं और एक महती कृपा हुई हमारी आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कि इन्होंने सहकारिता मंत्री के रुप में इनको जिम्मेवारी सौंपी हैं । इससे इनका पुराना लगाव रहा है और आज सहकारिता सही माने में जिसतरह से आगे बढ़ रहा है इसको और आगे बढ़ायें और बिहार के अंदर अगर सही माने में सहकारिता का भाव हम ठान लें तो निश्चित तौर पर अपने पैरो पर हर व्यक्ति खड़ा हो जायेगा सहकारिता के माध्यम से और सहकारिता हर के घरों तक पहुंचा हुआ है और कन कन में ' सहकारिता ' की सहभागिता

होगी और फसल की जब ओलावृष्टि होने बाद , बाढ़ सुखाड़ होने के बाद जब फसल नष्ट उगते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने सहकारिता विभाग ने उसपर भी अपना मापदंड बनाकर उनके आपदा की स्थिति में बीचड़ा उपलब्ध कराने का काम करता है । लेकिन महोदय, सहकारिता विभांग कृषि रोड मैप में सम्मिलित है और कृषि रोड मैप में शामिल होने के चलते कई विभाग कृषि रोड मैप में शामिल है साथ सहकारिता के माध्यम से जैसे मछली पालन भी है , कई ऐसे सहकारी संगठन जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं , हमारे उत्तर बिहार के इलाके में जो तालाबों की बंदोवस्ती होती है उसमें सहकारी संगठन के जो लोग थे खास कर जो मछली पालन की दिशा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते थें । मधुमख्खी पालन , मछली पालन , बकरी पालन यह सभी चीजें उसमें समाहित हैं । सहकारिता, सच माने में इस बिहार राज्य के लिए बिल्कुल महत्वाकांक्षी योजना है । इसकी कई योजना है सहकारिता की तो उन तक पहुंचने के लिए लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार जिस दिशा में काम कर रही है सहकारिता के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कल तक हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सहकारिता उन्हीं के कोटे में हुआ करता था, लम्बे समय तक एक माननीय मंत्री रहे लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का नाम नहीं ले सकता चूँकि वे सदन में नहीं है । अभी भारत सरकार में मंत्री हैं । सहकारिता विभाग के वह मंत्री हुआ करते थे अपने कार्यकाल में सहकारिता को कहाँ तक पहुंचाया उन्होंने ? आज की स्थिति शायद आज का जो बजट का आकार और खास करके गांव गवई और उससे जुड़ी हुई चीजों को किसतरह से इसमें समाहित किया गया है और कल की चीजों को अगर उठायेंगे तो आसमान और जमीन का अंतर दिखायी पड़ेगा । धान की अधिप्राप्ति के प्रश्न पर हंगामा कर रहे हैं लेकिन धान की अधिप्राप्ति के लिए जो मापदंड है सरकार ने बोनस के सवाल पर बड़ा हाय तौबा मचा कि बोनस नहीं मिल रहा है इसके चलते किसान बिल्कुल मजबूर हो रहे है, आन्दोलन की स्थिति में आ गए है । लेकिन बोनस के सवाल पर देश के कोई राज्य हैं जो है बोनस नहीं दे रहे हैं बिहार पहला राज्य था जिसने किसानों को बोनस देने का काम किया लेकिन हम चाहते हैं कि कि जो 70 प्रतिशत तक किसानी हैं देश के शासन में आपका सबसे बड़ा रोल चल रहा है

आप क्यों नहीं ं बिहार सरकार को बोनस की दिशा में आप पहले करते हुए आप केन्द्र े सरकार को सहयोग करने के लिए कहें ें और बोनस जो राज्य की जनता को , किसानों को मिलता है बोनस दिलाने में आप सहयोग करिये । भारत सरकार सहयोग करे । कोई ऐसा राज्य इस देश के अंदर में नहीं है जो बोनस देता है यह पहला राज्य था बिहार जो किसानों को बोनस दे रहा था । इससे बिहार के किसानों के चेहर पर जो े ें खुशहाली आयी और किसान जो फसल उपजाते थे और फसल उपजाने के बाद ें जो उनको समर्थन मूल्य मिल रहा था उसके पर एडीशनल बोनस मिल रहा था तो निश्चित तौर पर बोनस बिहार सरकार ने अपने आंतरिक संसाधन से इसको देने का काम किया । े ं निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को बिहार के कृषकों के हित देने का काम किया इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सहकारिता हमारे बिहार के कण कण में वास है , ा है इसलिए हम माननीय मंत्री जी मौजूद है हम चाहेंगे कि ै कि सहकारिता के क्षेत्र में आप जितना अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव े और सहकारिता के क्षेत्र में आप लायें और इसका बजट और बढ़े । लोग सहकारिता को अंगीकार करें , स्वीकार करे ताकि सहकारिता यहॉ के लोगों के लिए बरदान सिद्ध हो यानी उसका प्रचार प्रसार हो । हालांकि ें प्रचार प्रसार के लिऐं बजट में प्रावधान किया गया है तो निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार की भी जरुरत है और जैसा कि सहकारिता को बहुत ही गंभीरता से लोग ले रहे हैं और जहॉ तक यह नहीं पहुंचा है वहॉ तक इसको पहुंचाने में विभाग अपनी महती भूंमिका अदा करे ताकि लोगों का जुड़ाव सहकारिता से हो ।

क्रमशः

टर्न-12/विजय/14.03.16

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव:क्रमशः महोदय, सहकारिता एक ऐसी क्रांति है सच माने में अगर ठान ले तो निश्चित तौर में खुशहाली आ सकती है समाज के अंदर । घरों में खुशहाली आ सकती है । सहकारिता किसी जात या बिरादरी का नहीं है । सहकारिता वह समूह है जो सबको साथ लेकर चलने का है, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको विस्तृत तौर पर और आगे इसको बढ़ाइये, विस्तार कीजिये ताकि सहकारिता को लोग स्वीकारें क्योंकि इसकी अहम भूमिका है । यहां जितने भी सम्मानित सदस्य सदन के अंदर में मौजूद हैं सबका कहीं न कहीं सहकारिता से जुड़ाव है । इसीलिए माननीय सभापति महोदय हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहेंगे ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव:सभापति महोदय, उच्च स्तर पर इसका विस्तार, प्रचार प्रसार के माध्यम से यह स्वावलंबी कैसे हो सहकारी संगठन । जिस तरह से इसमें आपने पारदर्शिता लाया है और चीजों में धान की अधिप्राप्ति में जो आपने पारदर्शिता लाया है उसी तरह से और सहकारी जो भी समितियां हैं उनको स्वावलंबी बनाइये तो निश्चित तौर पर उसका लाभ जनमानस तक पहुंचेगा । इन्हीं चंद बातों के साथ मैं सहकारिता विभाग का जो अनुदान मांग, बजट मांग रखा है उसका समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं ।

श्री ललन पासवान+ सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के बहुत अच्छे आदमी हैं, विचार भी अच्छा है, काम करने वाले हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): दो मिनट में समाप्त करें, कहीं आपको जाना है न ।

श्री ललन पासवान: विभाग जो है सहकारिता है । पहला तो सवाल है कि पंचायती राज में सभी संवर्गो में पंचायत के डी0डी0सी0 से लेकर मुखिया से लेकर जिला परिषद सब में आरक्षण है । ये पैक्स से पंचायती राज में कौन सा पार्ट है सहकारिता विभाग जिसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं होता है। यहां आरक्षण नहीं है, लगता है कि अनुसूचित जाति के लोग किसान हैं ही

नहीं इस बिहार में और उनकी सहभागिता । इसमें पूरी तरह पैक्स का जो चुनाव हो रहा है वही गलत है । मैं मानता हूं सदन के माध्यम से कि यहां क्यों नहीं आरक्षण है ? बाकी जगह आरक्षण और यहां क्यों नहीं आरक्षण ?

(व्यवधान)

पहले तो मैं आरक्षण की मांग करता हूं । पैक्स चुनाव जो हो रहा है लगातार दलितों, अति पिछड़ों, गरीबों को दलित, महादलित की उपेक्षा कर रहा है । सरकार दिन भर आरक्षण की बात करती है, सरकार आरक्षण लागू करे । तेजस्वी जी माननीय डिप्टी सी0एम0 यहीं बैठे हुए मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आरक्षण लागू हो इसमें । पूरी तरह पंचायती राज में आरक्षण लागू हो । दूसरा सवाल है मेरा कि जितनी भी आपकी समितियां चलती हैं अनुसूचित जाति के साथ अति पिछड़ों को, जो मल्लाह है, बिंद है, नोनिया है, मछली पालन का जो मामला चलता है उसमें इनको इगनोर करके आप बड़े लोगों को हेचरी और जितना खिचड़ी है आप सबको आवंटित करते हैं बड़े बड़े करोड़पतियों को और मल्लाह, बिंद, नोनिया वंचित होता है। तीसरा सवाल है सभापति महोदय, मेरे यहां बंजारी एक उद्याोग है, बंजारी सिमेंट उद्योग हमको लगता एक साल से गरीबों का वेतन मजदूरों का बंद है। उसका पर्यावरण नियमों के खिलाफ है सेंचुरी के बाद वहां जो लीज था वह खत्म हो गया है ।

सभापतिं(डा0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिये ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट में खत्म कर रहे हैं हम जान ही रहे हैं । पी0एफ0 का पांच करोड़ बाकी है । वह अवैध रूप से दो नं0 का सीमेंट बना रहा है उसकी जांच करा लिया जाय । तीसरा है कि रोहतास जिला में दस वर्षो में 600 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ चावल का । धर्मेन्द्र कुमार एफ0सी0आइ0 का मैनेजर है, निगरानी विभाग उसकी जांच की और दो हजार क्वींटल राजपुर से गेहूं गायब हुआ और दो क्वींटल धान गायब हुआ करहगर से, किसी पर कोई कार्रवाई न एफ0सी0आई0 का मैनेजर गिरफ्तार हुआ न किसी पर कार्रवाई हुई ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) बहुत बहुत धन्यवाद । अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री ललन पासवान: न घोटले की जांच हुई और निगरानी विभाग गया और माल लेकर दो करोड़ पटना लौट कर चला आया । यह स्थिति है । और दूसरी इसमें अनुसूचित जाति का जो डेयरी का है जो आपने आवंटन किया है बूथ लिस्टों का उस आवंटन में अनुसूचित जाति का हमको लगता है एक प्रतिशत भी बूथ आवंटन में डेयरी में सुधा में एक प्रतिशत भी अनुसूचित जाति के नहीं हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) माननीय सदस्य, श्री मेवालाल चौधरी ।

(व्यवधान)

श्री मेवालाल चौधरी: सभापति महोदय, हम आसन के प्रति कृतज्ञ हैं कि आपने हमें मौका दिया । आज सरकार के पक्ष में जो सहकारिता विभाग के द्वारा बजट लाया गया है हम उसके पक्ष में बोलना चाह रहे हैं ।

महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है । सहकारिता की भूमिका राज्य को बढ़ाने या देश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है । आज पूरे देश में जो क्रांति हुई है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो दूध की क्रांति हुई डा0 कोरियन ने गुजरात में किया यह सहकारिता का बहुत अच्छा उदाहरण है उसी के बदौलत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि रोड मैप बनाये । इस कृषि रोड मैप को सफलता दिलाने के लिए कोआपरेटिव का बहुत बड़ा रोल है जिससे आज सहकारिता विभाग काम कर रहा है । सबसे बड़ी समस्या कृषि किसानों का आज से दस साल पहले हमलोग अंग्रेजी में कहते थे पोस्ट हारवेस्ट क्लब । जितना भी हम अनाज काटते थे उसको हमलोग अच्छी तरह से रख नहीं पाते थे जिसके कारण हमारा बहुत लौस होता था । एक आंकड़ा भी है महोदय अन्न का जो आंकड़ा है, धान और गेहूं का आंकड़ा है तकरीबन 8 से 10 परसेंट हमलोगों का अनाज खत्म हो जाता था, लौस हो जाता था । अगर हम सब्जी और फल का आंकड़ा देखें तकरीबन 20 परसेंट हमलोग लौस करते थे । उससे तकरीबन पचास हजार करोड़ का लौस होता था । जबकि सहकारिता विभाग जब से हमारे राज्य में काम करने लगा आज हमारे किसान, किसान की उत्पादकता, किसान की उपज बहुत हद तक सुरक्षित है । आज किसान कोआपरेटिव के माध्यम से, पैक्स के

माध्यम से कम से कम अपना धान समय पर बेच लेता है । उसका विपणन कर लेता हैं, उसको उचित मूल्य मिल जाता है । महोदय, बहुत सारी बातें हमारे माननीय सदस्य द्वारा कहा गयी है उन बातों को हम रिपीट करना नहीं चाहते । मेरा अपना एक सोच है महोदय पैक्स एक ऐसी संस्था है पंचायत के स्तर पर जिसके माध्यम से जो सपना हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक विकसित राज्य का देखा है उसको साकार किया जा सके । महोदय, मेरा अपना सोच है कि पैक्स में जितने भी कोआपरेटिव के लोग होते हैं, जितने भी मेम्बरान होते हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने भी कहा इंस्टीच्युशन को रिवाइव कराया जाय, संस्था को रिवाइव करके पैक्स में जितने मेम्बरान होते हैं अगर उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाय तो शायद हमलोग आज जो कृषि में क्रांति किये हैं उससे भी ज्यादा आगे कर सकते हैं । मेरा मतलब था कि बीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादकता के लिए तो हम क्यों नहीं प्रशिक्षण दे अपने पैक्स से लगे हुए जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको प्रशिक्षण दें जिससे अच्छी बीज और उन्नत बीज और गुणवत्ता वाली बीज पैदा की जाय । साथ ही जो किसान उससे जुड़े हुए हैं उनको अच्छी बीज मुहैया किया जाय । आज बीज के अभाव में किसी कारणवश अगर किसान को बीज समय पर नहीं मिल पाता है बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि अगर किसान को बीज समय पर नहीं मिल पाता है तो उसके उत्पादन या उत्पादकता में बहुत कमी आ जाती है ।

क्रमशः

टर्न–13/बिपिन/14.3.2016

श्री मेवालाल चौधरी: क्रमश: अगर आज जो मेम्बरान जो उसके सदस्य पैक्स से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दी जाए और प्रोत्साहित किसानों के माध्यम से गांव के लोगों को जोड़ दिया जाए तो शायद पैक्स के माध्यम से जो बीज पैदा होगा तो किसानों के बीच वितरण होगी और वितरण से बीज उपलब्ध कराकर अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं ।

दूसरा महोदय, आज हमलोग कोऑपरेटिव की बात करते हैं कि कोऑपरेटिव खाद भी देती है, बीज भी देती है, समय से नहीं देती है, बहुत सारे प्रॉबलम्ब होते हैं महोदय । लेकिन आज अगर किसानों का 176 पैक्स के माध्यम से मजबूत कर दिया जाए तो शायद इस तरह की बात जो सुनने को मिलती है तो शायद यह समस्या हमलोग दूर कर सकते हैं । आज महोदय, हमारे क्षेत्र में अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कोऑपरेटिव डेवलप किए हैं मैंने कि जिसको कोई श्रोत नहीं था अपने खाने-पीने का, आज वह बकरी पालन करके 10 किसान, आदिवासी किसान आज अपनी जीविका से बहुत ज्यादा फायदा लिए । वे बकरी पालन के माध्यम से बहुत आय करते हैं । महोदय, उनलोगों ने अपना एक बैंक खाता खोला है और जितना लागत होता है उस लागत से जितना कमाते हैं, आय का पचास प्रतिशत वे बैंक में जमा करते हैं और पचास परसेंट आय का फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाते हैं । जरूरत है महोदय, इस तरह के प्रशिक्षण का । महोदय, जब कृषि की बात आती है तो मत्स्यपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन, सब उसका एक भाग होता है । सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है । आज सबसे बड़ी समस्या पशुपालक को यह है कि जो भी छोटे किसान गांव में बसे हुए हैं उनको अच्छी पशु नहीं है, किसान उससे अच्छा दूध नहीं निकाल पाते हैं । आपसे निवेदन करेंगे महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, हमलोग कभी माइक्रो-फाइनांसिंग के बारे में बात नहीं किए हैं । किसान जिनको धन की कमी है, जिसके बदौलत वे अच्छे दूध देने वाली गाय नहीं खरीद पाते हैं, अगर कोऑपरेटिव और सहकारिता विभाग के माध्यम से उनको माइक्रो-फाइनांसिंग कुछ लो' परसेंटेज पर लोन देकर किया जाए तो शायद हमारे जितने भी पशुपालक हैं, वह अच्छे गाय उत्पादन करके अच्छी जीविका पा

सकते हैं । महोदय, आज अच्छी आय इसलिए जरूरत हो जाती है कि हरेक गांव के हरेक व्यक्ति चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे स्कूल जाएं । उनके भी बच्चे को बहुत बड़ा ख्वाब रहता है, लेकिन आय की कमी के कारण वे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं ।

महोदय, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, चाहे जो चीज हो, हमारे मंत्री महोदय बहुत अच्छे मधुपालक खुद हैं, हनी-बी जिसको कहते हैं । आज हनी-बी महोदय, सबसे ज्यादा मधु का उत्पादन देश में अगर कहीं होता है तो अपने बिहार में होती है लेकिन महोदय, दुर्दशा और दुर्भाग्य यह है कि किसानों में उतना ज्यादा एक दूसरे में ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे आपस में नहीं जुड़े हुए हैं । उनको मार्केट में बहुत बड़ी समस्या आती है जिसके कारण होता क्या है कि व्यापारी मधु को औने-पौने दाम में बाजार में बेच आते हैं, दिल्ली बेच आते हैं और दिल्ली वाले व्यापारी अच्छे-से मधु-प्रौसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं । आज अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो मधु सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बिहार से हो रही है लेकिन किसी कारणवश हमारे किसान को उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है जितना मुनाफा उनको मिलना चाहिए ।

महोदय, आपके माध्यम से अपने मंत्री महोदय से पुन: निवेदन करेंगे कि मधुपालक किसानों को जरूरत है मदद करने की कोऑपरेटिव के माध्यम से ताकि वे भी एक साथ होकर एकत्रित हो सकें ।

अब हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं महोदय । हमारे क्षेत्र में दो पंचायत है जहां अभी तक गोदाम नहीं बन पाई है - एक है मानिकपुर पंचायत और दूसरा है मकवा पंचायत । बहुत प्रौग्रेसिव किसान हैं । महोदय, तारापुर धान का कटोरा है । जैसे हमलोग बक्सर को कहते हैं, उसी तरह तारापुर भी धान का कटोरा है । किसी कारणवश, बहुत जगह हमारे यहां भंडार बने हुए हैं, गोदाउन बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहां मानिकपुर पंचायत और मकवा पंचायत में वहां पर भंडार नहीं बने हुए हैं । दूसरी बात महोदय, हमारा अपना सोच है कि हमारे यहां तारापुर में दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होती है, खासकर असरगंज प्रखंड में बहुत सारा दूध का उत्पादन होता है । किसी कारणवश कलेक्शन तो होती है लेकिन प्रौसेसिंग के अभाव में गांव में किसानों को उतना

मुनाफा नहीं मिल पाता है। दूध कलेक्शन कर मुंगेर जाती है और मुंगेर जाने समय बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। कभी-कभी किसानों को पैसा भी नहीं मिलता है । अगर प्रौसेसिंग प्लांट असरगंज में बना दिया जाए तो तो शायद किसान बहुत अच्छा फायदा ले सकेंगे महोदय । यही आपसे निवेदन है । धन्यवाद ।

सभापति(श्री अशोक कुमार): बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी ।

श्री विद्यासागर केसरी: महोदय, मैं सहकारिता विभाग के लिए दिए गए कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लए खड़ा हुआ हूं । सहकारिता को लेकर मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका प्रापत हुआ है । हम आपका एवं अपने नेता का आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, कृषि एवं सहकारिता का संबंध दीए एवं बाती के समान है और सरकार इस दीप को प्रज्जवलित करने हेतु ईंधन-स्वरूप काम करती है । सहकारिता कृषि का प्राण है । आज वही राज्य कृषि में आगे बढ़ा, जहां सकारिता की भूमिका अच्छी रही । महोदय, हम सभी, ज्यादातार माननीय सदस्य कृषि से जुड़े होने के कारण कृषक परिवार से आते हैं । कृषकों की क्या हालत है, किसी से छिपी नहीं है । सरकार में 'हॉं' पक्ष के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कृषक की आज क्या दुर्दशा है ? लेकिन सरकार कृषक के प्रति उदासीन है ।

महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । आज भी राज्य की 80प्रतिशत् आबादी गांव में बसी है तथा लगभग 77प्रतिशत् आबादी कृषि और इससे संबंधित कार्यों से जीविकोपार्जन करती है । राज्य में कृषि तथा इससे जुड़े अन्य अनुसांगिक कार्यों, यथा, सहकारी कृषि, मत्स्यपालन, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उत्पादन, कृषि विपणन एवं अन्य सहकारी कार्यों को जनता-जनार्दन के बीच बढ़ावा दिए जाने का कार्य सहकारिता विभाग के दायित्वों में प्रमुख दायित्व है ।

महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षोपरांत निदेश दिए थे कि हर हालत में पैक्स ही धान खरीद करेगा तथा जहां पैक्स धान की खरीद नहीं कर रहा है, वहां निकट के पैक्स पर किसान

अपना धान बेच सकते हैं। सहकारिता पदाधिकारी को पत्र भी भेज दी गई थी । सरजमीन पर कितना लाभ हो पाया, वह विदित है ।

महोदय, अब मैं राज्य सरकार के इस विभाग से संबंधित कुछ आंकड़ा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । मेरे पूर्व के वक्ताओं, माननीय लोगों ने जो अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया था सदन में, उन्हीं आंकड़ों में से मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं । 2015-16 के बजट में कुल बजट 744.99 के योजना के तहत 648.33परसेंट जो कुल बजट का 87परसेंट योजना मद में दी गई है, गैर-योजना मद में 96.6जो कुल बजट का 13परसेंट है, 2016-17 में 670.00कुल बजट में 566.8करोड़ 84परसेंट योजनामद में और गैर-योजना मद में 103.92 16परसेंट गैर-योजना मद के तहत यह राशि बजट सत्र में रखी गई है ।

महोदय स्पष्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष में 2015-16 की तुलना में 2016-17 के लिए सहकारिता कुल बजट का लगभग 75परसेंट रूपया हटाया गया है । इस प्रकार, सहकारिता विभाग के लिए चालु वित्तीय वर्ष की योजना के बजट से अगर तुलना किया जाए तो 2016-17 के लिए योजना बजट में 82करोड़ की कमी की गई है । हॉ, यह जरूर है कि इस तुलना में गैर-योजना बजट में लगभग 7करोड़ की बढ़ोत्तरी कर दी गई है । अगर सरकार सहकारिता के विकास के प्रति चिंतित होती तो बजट आकार को नहीं घटाती । और-तो-और, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इस विभाग के लिए प्रावधानित राशि का 56प्रतिशत् राशि बमुश्किल खर्च हो पायी है । महोदय, बिहार हमेशा देश को राह दिखाता आया है । उम्मीदों का सवेरा बिहार से ही होता है । राज्य सरकार ने 2012-17 के लिए कृषि रोड मैप का गठन कर कृषि के विकास की परिकल्पना की थी जिसमें सहकारिता को कृषि के विकास में अग्रणी सहायक बनाने का निर्णय हुआ है.. क्रमशः

टर्न-14/राजेश/14.3.16

श्री विद्यासागर केशरी, क्रमशः- महोदय, अब किसान की खेती की बात है तो खेती करे तो कैसे, जिसके पास मात्र खेती ही गृहस्थी चलाने का जरिया हो, वह बेटी की शादी, बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई, दैनिक जीवन में रोजमर्रा की चीजें, दवा आदि की खर्चे कहाँ से ला पायेंगे, अब तो जमीन बंधक रखकर ही बेटा-बेटी की पढ़ाई, बच्चे-बच्चियों को शादी करनी पड़ेगी, महोदय, आज जितनी लागत कृषि पर लग रही है और उससे जो लागत प्राप्त हो रही है, इसकी वजह से भी सबसे ज्यादा हालत किसान की खराब है,अगर हालात ऐसा ही रहा, तो सोच लेना चाहिए कि आन्ध्र के किसान के जैसा परिस्थिति पैदा न हो जाय बिहार मे, महोदय, एक तो खेत में दौनी करने, काटने में मजदूरों को जितनी मजदूरी चाहिए, देने पर भी नहीं मिलते हैं और दूसरी तरफ अनाज का मूल्य लागत से भी कम किसानों को मिलता है यह कैसा इंसाफ है, इसलिए मेरा कहना है कि कृषि मात्र पहचान ही नहीं बल्कि वह जीवन का आधार भी है, मानव जीवन में अन्न की आवश्यकता काफी है, आप उद्योगपति हो जाय, धनासेठ हो जाय, लेकिन आप जायेंगे कहाँ, किसान खुद पेट नहीं भरता बल्कि प्रकृति को संतुलित करने हेतु सारे जहाँ को भोजन देता है,अगर पेट की आग न बुझे, तो बंदूक की गोली भी फीका पड़ जाती है लेकिन चिंता किसान की नहीं, इसलिए इस बिन्दु पर हम सबों को विचार करने की जरुरत आ पड़ी है। योजना की खानापूर्ति से काम नहीं चलने वाला है, कृषि क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण बिहार की स्थिति विपरीत है और समय पर वर्षा के अभाव में खाद बीज खेतों में नहीं डाला जा सकता और उत्तरी बिहार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, उत्तरी बिहार की खेती हिमालय से आने वाले नदियों से प्रभावित होती है। महोदय, ध्यान रखने की जरुरत है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है और हमारे अन्नदाता का हाल ठीक न हो, तो इस राज्य का क्या होगा, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही इस समस्या का निदान निकाल सकते है, आज हमारे यहाँ जल जमाव, प्राकृतिक आपदा, भगौलिक स्थिति, यह सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संसाधन जुटाये जाते हैं, यह सीमित संसाधनों द्वारा कर पाना

कठिन है। आज बिहार के पास उद्योग एवं खनिज संपदा नहीं रह गया है,अब कृषि के लिए ही समग्र एवं महत्वपूर्ण योजना बनाने की जरुरत आ पड़ी है। महोदय, सहकारिता व्यवस्था किसानों के हित के लिए अत्यावश्यक है, परन्तु पैक्स द्वारा खरीदी जा रही अनाज पर बिचौलियों का राज स्थापित है, जब पैक्स द्वारा धान खरीद ही नहीं होती थी, तो धान अमूमन 1200-1300 क्विंटल बिक जाता था लेकिन पैक्स की खरीद शुरु होते ही धान का मूल्य गिरने लगता है, तो धान अधिप्राप्ति की यह योजना 2011-12 से शुरु की गयी थी, इस योजना का मूल उद्वेश्य राज्य द्वारा कृषकों के धान उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने एवं धान खुले बाजार में अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बिकने को रोकने के उद्वेश्य से की गयी थी। पैक्स द्वारा अपने कृषकों से धान की अधिप्राप्ति कर प्रत्येक प्रखंड में राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थपित धान संग्रह केन्द्रों को उपलब्ध कराना था, पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति की गयी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्सों के माध्यम से मिलना था, पर मिल किसको रहा है बिचौलियों को, क्या होगा, आज किसानों का अनाज पैक्सों तक पहुंचाने में असमर्थ महसूस कर रहे है, इसका मोटा उदाहरण है कि जिले भर के जितने भी पैक्स अध्यक्ष द्वारा बैठक कर अघोषित मूल्य धान की खरीदारी, मतलब धान लेंगे एक क्विंटल, तो रसीद देंगे 85 किलो का, यानि की 1410 रुपये का सरकारी भाव, 1200 रुपये में खरीदारी, महोदय पैक्स द्वारा नियम भी जटिल है, धान खरीदने का पॉच हजार क्विंटल है, तो साईड-बाई-साईड खरीदारी होनी है,उसको चावल बनाना है, भेजना है, परमिशन फिर खरीदारी, ऐसी परिस्थिति में जो हमारा लक्ष्य है, वह कैसे पूरा हो सकता है महोदय, पैक्स से तंग आकर लोगों का कहना है कि इसको बंद कर देना चाहिए, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पैक्स भी किसान की ही संस्था है, इसके लिए मनमानी खत्म करने का एक उपाय यह भी है कि व्यापार मंडल, एफ0सी0आई0, बिस्कोमान, मिलर, सबों को खुले बाजार में धान खरीदने की अनुमति मिले, बिना प्रतिस्पर्धा के किसानों को उचित मूल्य मिलना मुश्किल है। महोदय, समेकित विकास परियोजना अन्तर्गत पैक्सों, व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जाना था, इसके अन्तर्गत गोदाम निर्माण, रोजगारमुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, गव्य

विकास, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन का विकास, महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योग में विस्तार एवं खनन को महत्वपूर्ण स्थान देना, हुआ क्या ? राज्य में सहकारी समितियों की संख्या-25 है, परन्तु जमीन पर मात्र पैक्स व्यापार मंडल, मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ छोड़कर सभी मृतप्राय है, बचे समितियों के बारे में क्या सोच रखती है, महोदय, पैक्स के चुनाव प्रक्रिया में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, सरकार का निर्णय था कि सभी पंचायतों के प्रत्येक घर से इसका सदस्य हो, पर जमीन पर क्या यह दिख रहा है ? पैक्स चलाने वाले खुद अपने परिवारों के सदस्यों को ही सदस्यता ....(व्यवधान)

सभापति (श्री अशोक कुमार):- अब आप समाप्त कीजिये।

श्री विद्यासागर केशरी:- महोदय, बस थोड़ा सा बच गया है, तो महोदय इसका लाभ उठा रहे हैं, तो किसान का क्या होगा, जब किसान धान लेकर क्रय केन्द्र पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि गोदाम भरा रहने के कारण धान खरीद बंद है लेकिन दूसरी ओर बिचौलियों से धान क्रय हो रही है, ये वही बिचौलिये है, जिसका लाभ पैक्स चलाने वाले कर रहे है। संपूर्ण राष्ट्रीय कृषि बीमा, प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़ अदि कारणों से, फसलों की क्षति होने की स्थिति में पीड़ित कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर फसल उगाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना था, परन्तु विभिन्न फसलों का क्षतिपूर्ति क्या किसानों का हो पाता है............(व्यवधान)

सभापति (श्री अशोक कुमार):- धन्यवाद। अब अपना सुझाव लिखकर दे दीजिये न।

श्री विद्यासागर केशरी:- समय है न महोदय ।

सभापति (श्री अशोक कुमार):- नहीं, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विद्यासागर केशरी:- थोड़ा सा महोदय। सहकारिता उपयोगी होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर माफियाओं और बिचौलियों और बाबुओं के कब्जे में है, उससे मुक्त कराया जाय, यही मेरा कहना है, आपने कुछ बातें सहकारिता के बारे में सदन में रखने का हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री अशोक कुमार):- माननीय सदस्यगण, कृपया सदन के अंदर मोबाईल को स्वीच ऑफ रखें,यह बड़ा ही अशोभनीय लगता है। माननीय सदस्य आनंद शंकर सिंह।

श्री आनंद शंकर सिंहः- महोदय, आज मैं सहकारिता विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में अपनी बात को रखने के लिए, आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूँ। महोदय, बिहार एक कृषि प्रदान प्रदेश है और बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं और जब भी किसानों की उन्नति की बात होगी, तो सहकारिता विभाग की चर्चा अवश्यंभावी है। जब हम उन्नत बिहार की बात करते है, तो उन्नत किसान की भी बात करनी होगी, तभी हमारा बिहार उन्नति की ओर अग्रसर होगा। महोदय, सहकारिता विभाग के प्रतिवेदन में, जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर, किसानों के हित को तरजीह दी गयी है, जिस प्रकार से पैक्सों और व्यापार मंडलों को सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर किया है सहकारिता विभाग ने वह काबिलेतारीफ है। अर्द्धकालीन सहकारिता कृषि ऋण के मार्फत से 2015-16 में दो अरब, 68 करोड़ रुपये खरीफ ऋण एवं 51 करोड़ 84 लाख रुपये रब्बी ऋण देना राज्य सरकार के द्वारा जो पहल है, वह काफी सराहनीय है, जिससे किसानों को, मंझोले किसानों को, काफी फायदा मिलेगा। वर्तमान में 2015-16 में किसानों से अधिप्राप्ति किये गये धान पैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा मिलिंग कराके राज्य खाद्य निगम से कराया जा रहा है, वे धन्यवाद के पात्र है, हमारे सहकारिता विभाग के मंत्री उसपर भी किसानों को एन0ई0एफ0टी0 और आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जो भुगतान हो रहा है, तो उससे हमलोगों को पारदर्शिता की ओर समझिये कि हम एक कदम और आगे बढ़ गये हैं।

क्रमशः

टर्न:15/कृष्ण/14.03.2016

श्री आनन्द शंकर सिंह क्रमश : बिचौलियों का एक तरीके से सफाया हो गया है छम्थ्ज और त्ळै के माध्यम से भुगतान होने के कारण । इसके लिए भी मैं सराहना करता हूं सहकारिता विभाग का । उन्होंने डाटा बेस के माध्यम से किसानों के उत्पादों की खरीदारी की है । डाटा बेस में जिन किसानों का इन्लिस्टिंग हुआ है वही किसान खरीद-बिक्री कर सकते हैं । यह एक सराहनीय कदम है । ऑन लाईन मोनिटरिंग सिस्टम और मोबाईल के माध्यम से पारदर्शिता लायी गयी है सहकारिता विभाग के द्वारा । यह भी एक सराहनीय कदम है । छोटे एवं मंझौले किसानों के हितों को देखते हुये 100 क्वींटल प्रति किसान जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, वह भी सराहनीय कदम है । ज्यादा से ज्यादा छोटे एवं मंझोले किसानों को इससे बेनिफिट मिलेगा । सहकारिता विभाग के प्रतिवेदन में कृषि रोड मैप में आधारभूत संरचना हेतु गोदामों का निर्माण किया गया है । 1915-16 में 275 गोदामों का निर्माण किया गया है और 1583 गोदाम निर्माणाधीन है । भंडारण क्षमता का विशेष ख्याल रखा गया है । इसके लिये भी धन्यवाद के पात्र हैं । 225 चावल मिल निर्माण हो चुका है गैसी फायर आधारित और 92 का कार्य प्रगति पर है । विभाग द्वारा सदस्यता अभियान का भी काफी ख्याल रखा गया है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 36.68 लाख से बढ़कर 1 करोड़ सदस्यों की संख्या हो गयी है और महिलाओं की सदस्यता 2 लाख से बढ़कर 6.54 लाख हो गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि व्यापक पैमान पर इस सदस्यता अभियान को एक ओपन फोरम की तरह खोलने की आवश्यकता है । होता यह है कि जब सदस्यता ग्रहण करना होता है तो पैक्स के अध्यक्ष का साईन होना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे लोग सदस्य नहीं बन पाते हैं । पैक्स अध्यक्ष को जिसका मन होता है, उसको सदस्य बनाते हैं और जिनको बनाने का मन नहीं होता है, वह सदस्य नहीं बन पाते हैं । इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि एक ओपन फोरम होना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति या किसान चाहे वह इसका सदस्य बन पाये । जहां तक आरक्षण की बात है, हमारे एक भाई आरक्षण की बात कर रहे थे संविधान के

97वें संशोधन में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम,2013 में 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया है । इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सहकारी समिति में सुनिश्चित किया गया है। इसके लिये भी बधााई के पात्र हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हम किसान की बात करते हैं किसानों को जो सुविधायें मिलनी चाहिये, जब हम किसानों के उत्पाद के खरीद बिक्री की बात करते हैं, धान, गेहूं, चावल की बात करते हैं, जब सिंचाई की व्यवस्था होगी, तभी किसान धान की खरीद-बिक्री कर पायेगा । मैं आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहूंगा कि औरंगाबाद की समस्या सिंचाई की समस्या है । उत्तर भाग को छोड़ दें तो औरंगाबाद का कुछ जगह है, वह सिंचित हो पा रहे हैं बाकी सारा इलाका सुखाड़ से ग्रसित है । हमारे यहां उत्तर कोयल परियोजना है, बटाने कैनाल है, जो भारत सरकार की उदासीनता के कारण आज तक कंप्लीट नहीं हुआ जिसके कारण औरंगाबाद के किसान दंश झेल रहे हैं सुखाड़ का । महोदय, जब एम0पी0 का चुनाव हो रहा था, उस समय मोदी जी गया आये थे । उन्होंने किसानों को कहा था कि हम किसानों के खेतों में लाल पानी पहुंचायेंगे । उसके बाद तुरंत प्रकाश जावेदकर जी आये, उन्होंने दौरा भी किया और वचन दिया । पुराने दौर का एक गाना याद आता है क्या हुआ तेरा वादा, वो वचन वो इरादा । सब कुछ बोल कर गये, लेकिन किसानों के खेतों में लाल पानी नहीं पहुंचा ।

सभापति : अब आप समाप्त कीजिये !

श्री आनन्द शकर सिंह : लेकिन किसान खून के आंसू रोये । सभापति महोदय, वह जो आंसू था, उसका रंग लाल था । यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं । सत्ताधारी दल के लोग भी बैठे हैं । महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि व्हीट और पैडी में 3.5 परसेट का छोटा हाईट दिया है आपलोगों ने और हमारी सरकार के 10 वर्षों के शासन काल में 120 और 130 प्रतिशत का हाईट मिला था। यह भी बोलिये कि हमारी ही देन है । स्वीकार कीजिये इसको । महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे यहां का जो उत्तर कोयल परियोजना है, उस पर सदन के माध्यम से ध्यान जाय, वहां 80

प्रतिशत काम हो चुका है, केवल फाटक लगना है। फाटक लग जायेगा तो हमारे यहां के गोह, रफीगंज, औरंगाबाद, गुरूआ, गया, जहानाबाद और अरवल तक के जो किसानों के खेतों की सिंचाई होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री नन्द कुमार राय : सभापति महोदय, आज मैं सहकारिता विभाग के अनुदान मांग के पक्षमें और प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, नवंबर,15 के अंतिम माह में महागठबंधन की सरकार बनी । चुनाव में महागठबंधन के द्वारा किये गये वादों के आधार पर आवाम की हालत बदलने के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 का 1 लाख 44 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें सहकारिता विभाग का 670 करोड़ रूपये का है । इस बजट में सहकारिता विभाग के माध्यम से चलाये जानीवाली योजनाओं का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों के हित की रक्षा हो सके । इस विभाग के बजट से बिहार के युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने कपर ज्यादा जोर दिया गया है । प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति किसानों के सहकारिता के नाम से वित्तीय सहायता देकर अगली फसल लगाने को प्रोत्साहित करना है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पकालिक ऋण के तहत खरीफ ऋण 268.3 करोड़ रूपये रखी गयी है । ऋण के तहत 10.14 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है । अब तक 9,71,186 किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है । पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के भंडारण क्षमता के विरूद्ध प्रखंड स्तर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है । आज किसानों की ऊपज का न्यनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जिम्मेवारी पैक्स एवं व्यापार मंडल को दिया गया है परन्तु खरीद की जटिल प्रक्रिया के कारण प्रखंडों में गेहूं धान आदि की खरीदारी निर्धारित लक्ष्य को पार नहीं कर पा रही है । सहकारी सदस्यों की सरकार की तरह नीति का निर्धारण कर सरल प्रक्रिया बनाया जा सके, जिसमें किसानों को लाभ हो सके और सरकार द्वारा पैक्सों एवं व्यापार मंडल द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गेहूं एवं धान की खरीदारी हो सके । आज विकास हमारा मूल मंत्र बन चुका है । सहकारिता विभाग को भी इस बदलते परिप्रेक्ष्य

में अपनी सार्थक भूमिका निभानी है । गरीब किसान सामाजिक और आर्थिक रूप से ं पिछड़े लोगों को किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिये सामाजिक न्याय के साथ विकास हमारा नारा है । सहकारिता तो वस्तुतः कमजोर गरीब समाज पिछड़े लोगों के आर्थिक उत्थान का एक विशिष्ट माध्यम है । हमें मिल-जुल कर विकास करना है ।

महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में कुल 385 पैक्स कार्यरत हैं, जिसमें मोतीपुर प्रखंड में 35 पैक्स एवं नगर पंचायत में 1 पैक्स है, सहकारिता विभाग के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला में मोतिपुर प्रखंड के 1 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें आलू एवं लीची का भंडारण हो सके । मुजफ्फरपुर जिला में लीची का उत्पादन काफी होता है । यहां की लीची की बिहार ही नहीं देश-विदेश में मांग अधिक है । लीची उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी सहायता अनुदान एवं बाजार उपलब्धता नहीं होने के कारण लीची उत्पादकों/ किसानों को लीची के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ।

क्रमश :

टर्न-16/सत्येन्द्र/14-3-16 .

श्री नन्द कुमार राय(क्रमशः):सहकारिता के माध्यम से लीची उत्पादक किसानों को तकनीकी सहायता एवं विपणन की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में मोतीपुर प्रखंड के किसानों के रब्बी फसल क्षति का भुगतान विगत दो वर्षों से नहीं मिला है जबकि मुजफ्फरपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में राशि पड़ी हुई है फिर भी रब्बी फसल क्षति का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है जिससे किसानों में आक्रोश है, इस पर सरकार ध्यान दें। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य निर्धारण संबंधी, बायोमास आधारित चावल मिल मोतीपुर प्रखंड में नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, मोतीपुर प्रखंड में भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए, नये गोदाम एवं बायोगैस आधारित चावल मिल खोलने हेतु मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करता हूँ। महोदय, हम आपके माध्यम से लोकप्रिय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के तर्ज पर

सहकारिता के माध्यम से बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने का प्रयास होना चाहिए। सदन की एक समिति बनाकर सरकारी चीनी मिल का अध्ययन कर इस दिशा में सार्थक प्रयास होना चाहिए और मेरा एक अंतिम सुझाव यह भी होगा कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में आरक्षण का जो नीति लागू है, पैक्स में भी सदस्य के रूप में आरक्षण है लेकिन पैक्स के अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं है। यदि संभव हो तो इस पर भी विचार करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र कुमार: सभापति महोदय,आज सहकारिता विभाग के मांग के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और माननीय नीतीश कुमार के रहनुमाई में मुझे चौथी बार विधायक बनने का मौका मिला है लेकिन संसदीय कार्यकाल में मैने देखा है कि पहली वार सहकारिता पर डिबेट हो रहा है इसलिए मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महोदय,बिहार में 8733 पैक्स है, बिहार के तमाम इलाकों में जो पैक्स जुडे हैं और सहकारिता का जो मूल मंत्र है एक दूसरे का सहयोग। एक दूसरे के सहयोग से ही सहकारिता चलता है और कोई भी चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं, कोई भी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। महोदय, सहकारिता एक आन्दोलन है वह रूकता नहीं है, लगातार चलता रहता है और आन्दोलन के तहत चलते रहता है और सहकारिता से बिहार के तमाम गांवों, टोला सभी जुडे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है अगर कहा जाय तो सहकारिता परिवार का, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। यह दुनिया के कोने कोने से,बिहार के कोने कोने से,देश के कोने कोने से जुड़ा हआ है और एक मजबूत परिवार है। इसका उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना में सहकारिता की एक ऐसी भूमिका है न इसमें कोई जात है, न कोई धर्म, न कोई मजहब है, न कोई दल है और सहकारिता का विकास सब लोग मिलकर करते हैं। आप देखेंगे, अदभूत नाजार देखेंगे, भले लोग पार्टी से बंधे रहते हैं आर0जे0डी0 से, जद(यू0) से, बी0जे0पी0 से लेकिन आप देखेंगे आन्दोलन को संगठन को देखियेगा एक ही मंच पर सारे दल के लोग रहते हैं और इसी का नाम सहकारिता है इसमें न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई दल है

सबका एक ही उद्देश्य रहता है हमारे किसानों का विकास, हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, पैक्सों को आत्मनिर्भर करना और बिहार को समृद्ध करना यही हमलोगों का एक मात्र उद्देश्य रहा है। आज माननीय मंत्री जी के रहनुमाई में प्राधिकार के तरफ से चुनाव हुए हैं पहले कई लोग आरोप लगाते थे कि झोला में ही सब कुछ हो जाता था, झोला में ही चुनाव हो जाता था किसी को पता नहीं चलता था। हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इस कलंक को दूर किया और प्राधिकार के द्वारा इसका चुनाव हुआ। अब कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जनता के वह बीच जाता है और उनका काम करता है लेकिन मौके पे मैं कहना चाहूंगा प्राधिकार से चुनाव हुए लेकिन मैं कहना चाहूंगा जैसे मुखिया को, पंचायत समिति को, बार्ड मेम्बर को विधान पार्षद के चुनाव में वोट देने का अधिकार है उसी ढंग का अधिकार पैक्स अध्यक्ष को मिलना चाहिए ताकि वो भी जनप्रतिनधि की हैसियत से मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपनी बातों को कह सकें और किसानों की सेवा कर सकें। मैं कहना चाहूंगा जन प्रतिनधि विभाग का नेतृत्व करते हैं वो किसानों का नेतृत्व करते हैं तो बीस सूत्री की बैठक में उनकी भागीदारी होनी चाहिए ताकि वो वहां अपनी बातों को रख सकें। छोटी छोटी कमिटियों में, जिला स्तर की कमिटी में, राज्य स्तर की कमिटी में उनको मौका मिलना चाहिए। महोदय, अधिप्राप्ति को लेकर हम कह सकते हैं और गौरव भी होता है कि पांच साल, छः साल पहले बिहार में अधिप्राप्ति को कौन जानता था कोई नहीं जानता था। चंद लोगों के हाथों में था अधिप्राप्ति लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में बड़े पैमाने पर अधिप्राप्ति कार्य बिहार में शुरू हुआ है। अधिप्राप्ति के बारे में बिहार में पहले कोई सोचता नहीं था लेकिन उस काम को माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरूआत किया। आज अधिप्राप्ति कार्य हो रहा है जितने भी पैक्स हैं सभी पैक्स अधिप्राप्ति कार्य कर रहे हैं, व्यापार मंडल भी पूरे राज्य में अधिप्राप्ति का कार्य कर रहे हैं और कार्य में पारदर्शिता है, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। यह काम स्वच्छता से हो रहा है। आज हम किसानों को चेक काटकर दे रहे हैं और उसका तत्काल भुगतान हो रहा है। किसानों को आर0टी0जी0एस0 के

माध्यम से भुगतान हो रहा है कोई आरोप नहीं लगा सकता है। अब स्थिति यह है कि धान दीजिये तत्काल चेक लीजिये। भले राजनीति करने वाले राजनीतिक कारणों से विरोध कर सकते हैं लेकिन जब वो घर पर बैठते है तो जरूर सोचते हैं कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह सच में बिहार के विकास के लिए किया है, किसानों के विकास के लिए किया है। अधिप्राप्ति में कुछ समस्यांए हैं लेकिन बहुत हद तक उस पर सफलता भी प्राप्त किये गये हैं। जैसे कि एफ0सी0सी0 के द्वारा पैक्सों को बिलम्ब से भुगतान होना। बिलम्ब से भुगतान होने के कारण पैक्सों पर सूद का बोझ बढ़ता है। आप 2011 से 2014 तक का लीजिये 160 करोड़ रू0 बकाया है। एस0एफ0सी0 द्वारा विलम्ब से भुगतान किया गया पैक्सों को जिस कारण 160 करोड़ का बोझ उन पर पड़ा। हम चाहेंगे कि इसका भी भरपाई हो। महोदय बोरों की भी समस्या है, मैं चाहूंगा कि इसकी समीक्षा की जाय और जिलावार समीक्षा हो ताकि बोरा की कहीं समस्या नहीं हो। अभी हम जिलावार देख रहे थे कई जगहों पर बोरा के कारण अधिप्राप्ति रूका हुआ है तो कई जगह गोदाम भरा हुआ है जिस कारण अधिप्राप्ति रूका हुआ है। इसकी उच्चस्तरीय बैठक होनी चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधान सचिव सहकारिता विभाग को और रजिष्ट्रार साहब को कि वो जिलावार समीक्षा करते हैं और जिला को भी0सी0 के माध्यम से दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। आज सहकारिता पर भी इनकम टैक्स लागू हैं। हम तो कहना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि सहकारिता पर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार को लिखना चाहिए कि सहकारिता से इनकम टैक्स हटायें, इनकम टैक्स का वेभ करें चूंकि यह किसानों को आगे बढ़ाने की संस्था है जबतक गांव का विकास नहीं होगा ग्रामों का विकास नहीं होगा, गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होगा, जबतक किसानों का विकास नहीं होगा तबतक बिहार का विकास संभव नहीं होगा और महोदय,इसी को ध्यान में रखकर हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सब मिलकर यही काम कर रहे हैं। गांव को शिक्षित कर रहे हैं, गांव को बुनियादी सुविधाओं से लैस कर रहे हैं। गांव के लोगों को परेशानी नहीं हो उसके लिए सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस करने

का काम कर रहे हैं। एक बात और हम कहना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि कई पैक्स डिफॉल्टर है पूर्व के अध्यक्षों ने कौन सा ऐसा काम किया कि पैक्स डिफॉल्टर है लेकिन जो नये अध्यक्ष निर्वाचित हुए उनको काम करने से रोक दिया गया। उनका क्या कसूर है? हम चाहेंगे कि डिफॉल्टर पैक्सों को भी अधिप्राप्ति कार्य से जोड़ा जाय ताकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं और उनको भी काम करने का मौका प्राप्त हो।(क्रमशः)

टर्न–17/अंजनी/दि014.03.16

.....क्रमशः....

श्री जितेन्द्र कुमार : हम बधाई देना चाहते हैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को, जब वर्ष 2005–06 और 2006–07 में कितने पैक्सों के पास गोदाम थे, कितने पैक्सों में गैसीफायर थे, कितने पैक्सों में राईस मिल थे लेकिन आज कृषि रोड मैप के तहत आई0सी0डी0सी0 योजना के तहत गांव के पैक्सों में 200 एम0टी0, 100 एम0टी0 गोदाम का निर्माण हो रहा है, राईस मिल का निर्माण हा ेरहा है, गैसीफायर का निर्माण हो रहा है । आई0सी0डी0सी0 योजना के तहत कई कृषि–क्लीनिक का निर्माण हो रहा है, बकरी पालन स्थापित किये जा रहे हैं, रोजगार दिये जा रहे हैं, तरह–तरह की योजनाओं से लैस किया जा रहा हैं लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 500 एम0टी0 का गोदाम, 1000 एम0टी0 का गोदाम बनाने के संबंध में कई कड़े कानून लागू कर दिये गये हैं । मेरा अनुरोध होगा कि उस कानून को शिथिल करने की कृपा की जाय ताकि हम अधिक–से–अधिक गोदाम बना सके और अनाज को रख सके, भंडारण बढ़ा सकें, यह हम कहना चाहते हैं । बिहार राज्य में कॉपरेटिव बैंक है, बैंक में लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । सरकारी पैसा उसमें जमा नहीं किया जाता है । क्यों नहीं जमा किया जाता है ? हम इस संबंध में आपसे यह कहना चाहेंगे कि वह 6 महीना अधिप्राप्ति का कार्य करता है, वह सेवा की भावना से कार्य करता है, कोई व्यवसाय नहीं करता है । हम ए0टी0एम0 लगा रहे हैं, हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, सारी सुविधायें

दे रहे हैं फिर भी कॉपरेटिव बैंक में सरकारी पैसा जमा नहीं हो रहा है, क्या बात है ? कौन-से सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है, इसका औचित्य क्या है ? हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, ध्यानाकृष्ट कराना चाहेंगे कि इसपर विचार किया जाय । हम कई जगह कॉपरेटिव बैंक को देखते हैं, उसके चेक का भेल्यू नहीं है, खाता का भेल्यू नहीं है । हमलोग चुनाव लड़ते हैं विधान सभा का और निर्वाचन आयोग कहता है कि कॉपरेटिव बैंक का खाता नहीं होना चाहिए, कॉपरेटिव बैंक का चेक नहीं होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है? इस सौतेलेपन को दूर करने की जरूरत है, इस दोहरेपन को दूर करने की जरूरत है क्योंकि यह बिहार का अपना बैंक है । यह किसानों का बैंक है, इसको उठाने की आवश्यकता है, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है । लेकिन इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार को दूर किया जाय ताकि इसके खाते का भेल्यू हो, चेक का भेल्यू हो, कॉपरेटिव बैंक में सरकारी राशि जमा हो, यह हम चाहेंगे । कृषि रोड मैप के तहत कई तरह के कार्य हो रहे हैं । कृषि रोड मैप का निर्माण किसलिए किया गया है ? क्योंकि सर्वांगीण विकास हो । इसमें सिर्फ 18 विभाग है और किसानों को उचित मूल्य मिल सके और इसलिए अधिप्राप्ति के कार्य हो रहे हैं । लेकिन अन्य समस्यायें भी हैं । अब कॉपरेटिव में वैद्यनाथन् समिति की अनुशंसा की गयी है, त्रिस्तरीय समझौता किया गया लेकिन सी0ओ0 की बहाली नहीं होने के कारण आज भी केन्द्र सरकार के यहां 369 करोड़ रूपया बकाया है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । 370 करोड़ रूपया हम क्यों छोड़ दें, यह पैसा हमारे पैक्सों को बढ़ने में सहायक होगा । हम क्यों छोड़ दें पैसा केवल सी0ओ0 के बहाली के कारण ? सी0ओ0 की बहाली नहीं होने के कारण, उसके अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई नहीं होने के कारण 370 करोड़ रूपया का हमारा दावा है, जो केन्द्र सरकार के यहां बकाया है तो इसपर काम करने की आवश्यकता है । हमारे यहां पैक्सों का आधुनिकीकरण करने के लिए कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्त्तन किये जा रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय सहकारिता मंत्री जी का प्राथमिकता है कि प्रत्येक पैक्स को डेभलप किया जाय । हरेक पैक्सों का

आधुनिकीकरण किया जाय । कम्प्यूटराइजेशन इसलिए किया गया ताकि कोई उंगुली नहीं उठा सके, सीधे-सीधे कोई भी आदमी देख सके और काम में गुणवत्ता बनी रहे । यह हमलोगों की सोच और यही हमलोगों का काम है । हमलोग अधिप्राप्ति का काम करते हैं और राज्य सरकार 80 कॉपरेटिव बैंक को 9 परसेंट पर सी0सी0 देती है और स्टेट कॉपरेटिव बैंक डिष्ट्रीक कॉपरेटिव बैंक को 9.5 परसेंट पर सी0सी0 देती है और डिष्ट्रीक कॉपरेटिव बैंक पैक्सों को 11 परसेंट पर सी0सी0 देती है तो ऐसा क्यों ? ये अधिप्राप्ति का काम कर रहे हैं, किसानों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और इतना बड़ा बोझ पैक्सों पर 11 परसेंट तो हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि यह सरकार किसानों की सोचने वाली सरकार है, इसलिए इसका सूद दर घटाने की आवश्यकता है । 4 परसेंट पर सी0सी0 दिया जाय, यह हम आपसे आग्रह एवं निवेदन करेंगे । आज पैक्सों के माधयम से कई तरह के काम हो रहे हैं, बकरी पालन किये जा रहे हैं, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति है, वे भी क्रियान्वित हो रहे हैं और वे भी कृषि रोड मैप की तहत हैं । क्योंकि सर्वांगीण विकास हो, किसानों का सर्वांगीण विकास हो, केवल धान और गेहूँ के अलावे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है ताकि मधुमक्खी पालन हो सके, बकरी पालन किया जाय, मत्स्य पालन किया जाय ताकि आमदनी का जरिया बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, यही हमारी सारकार की सोच है । आज हमारे पास एक ही एजेंसी है अधिप्राप्ति का, वह एस0एफ/0सी0 है । कई उंगलियां उठती हैं, कई आवाजें उठती हैं, हम क्यों नहीं दो तीन एजेंसी बना दें । हमारे पास संस्था है, विस्कोमान भी संस्था है, उनके लिए भी काम हो सकता है । पटना का जो सबसे बड़ा टावर है वह है विस्कोमान, उसके पास कोई काम नहीं है । हम एजेंसी बना सकते हैं एस0एफ0सी0 की तरह । दो-तीन एजेंसी रहेंगे तो पारदर्शिता बनी रहेगी, काम होंगे । आज आप देखिए तो आज पैंक्सों को केवल एक खाद इफको खाद मिलता है और कोई निजी खाद नहीं मिलता है, कोई निजी खाद प्राप्त नहीं होता है लेकिन विस्कोमान ही एक संस्था है, जिसके तहत आई0पी0एल0 खाद, कृभको खाद आदि खाद प्राप्त होते हैं । महोदय, खाद के संबंध में एक बड़ी

कठिनाई यह है कि इसका रेक लगता है मोकामा में, इसका रेक लगता है फतुआ में, अब हमारा पैक्स है सरमेरा में, बिहटा मे है और पैक्स अधयक्ष को खाद लेने के लिए जाना पडेगा है मोकामा क्योंकि उनके खाद का रेक लगा हुआ है मोकामा में, उनका रेक लगा है फतुआ में । अब पहुंचायेगा कौन ? कैसे लेने के लिए आयेंगे तो यह सब दिक्कते हैं, मुसिबतें हैं, इसलिए फेडरेशन बनाया जाय । विस्कोमान को ही फेडरेशन बना दिया जाय, पूर्व में लोग काम करते थे और फेडरेशन जब बन जायेगा, विस्कोमान फेडरेशन बन जाये या कोई और संस्था को फेडरेशन बना दिया जाय जो वह पैक्सों को खाद पहुंचाने का काम करेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा ताकि उनको परेशानियों का सामना न करना पड़ सके । आज कई तरह के विचार सदन में आये हैं, हमारे कई माननीय साथी कह रहे थे, ललन पासवान जी कह रहे थे कि आरक्षण नहीं है । लेकिन पूरा आरक्षण लागू है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण लागू हैं, अनु0 जनजाति के लिए आरक्षण लागू हैं और कॉपरेटिव में हन्डरेड परसेंट आरक्षण लागू है, इसमें कोई उंगुली नहीं उठा सकता है । आरक्षण के तहत चुनाव हो रहे हैं और इसमें सभी वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है । आरक्षण के तहत कार्य हो रहे है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि जिस कार्य के बारे में कोई सोचता तक नहीं था, आज वह कार्य किसानों को सहयोग के लिए कर रहे हैं । आज आई0पी0डी0पी0 योजना के तहत काम किये जा रहे हैं, उनके साथ विचार किये जा रहे हैं, किसानों को बुलाया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और तमाम योजनाओं से किसानों को लैस किया जा रहा है ताकि सरकार का जो मकसद है, उसमें आगे बढ़ा जाय । किसानों के लिए वे और तरक्की करना चाहते हैं, इसलिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं । विशेष राज्य की दर्जा का क्या मतलब है ? हम किसी को वेतन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वेतन के लिए या बैठकर खाने के लिए, हम तो यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो, किसानों के तरक्की के लिए, गांव के विकास के लिए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए, पुल-पुलियों के लिए ये सब काम करना चाहते हैं । विशेष राज्य के दर्जा का मतलब है कि बिहारियों का विकास, गांव

का विकास, गांव में रहनेवालों का विकास । हमलोग स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं, गांव की तरक्की करना चाहते हैं, किसानों को उचित मूल्य देना चाहते हैं, किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, वह सब करना चाहते हैं, इसलिए आप तमाम लोगों से यही आग्रह है कि सब मिलकर एक ही मांग रखें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, हमारे किसान आगे बढ़ सके तथा गांव में रहनेवाले लोग विकास कर सकें । आज भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, गांव में जाइए तो रोड नहीं है गांव में जाइए तो बिजली नहीं है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं । बिहार सरकार अपने बजट से निर्माण कार्य कर रही है । बिहार सरकार के पास इतना बड़ा बजट नहीं है, आप भी माननीय विधायक हैं, जाते हैं रोड का निर्माण करने के लिए ग्रामीण पुल के निर्माण की बात करते हैं, बोनस की बात करते हैं और किसानों को और अधिक सूविधाा देने की बात करते हैं तो क्यों हमारा बजट छोटा है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जायेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा । अभी स्थिति वैसी नहीं है, बिहार सरकार का बजट का आकार इतना बड़ा नहीं है, जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाय, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हो ताकि हमारे बिहारी आगे बढ़े, हमारे किसान बंधु आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ते रहे । माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अथक प्रयास किये हैंअधिप्राप्ति को लेकर और कॉपरेटिव को आगे बढ़ाने को लेकर, वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं । मैंएक बार फिर सेआप तमाम लोगों के प्रति और जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल है, उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

क्रमशः....

टर्न-18/आजाद/14.03.2016

श्री जितेन्द्र कुमार : (क्रमशः) लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि आज व्यापार मंडल का कोई काम नहीं रह गया है धान अधिप्राप्ति के अलावा । एक प्रखण्ड स्तरीय समिति है, उसको और भी डेवलप करने की आवश्यकता है । केवल अधिप्राप्ति करे, 6 महीना अधिप्राप्ति करे और उसके बाद कोई काम नहीं है, आज इसको देखने की आवश्यकता है । दूसरी बात मैं एक अहम बात को रखना चाहूँगा कि धान अधिप्राप्ति के काम हो रहे हैं, 31 मार्च तक ही धान खरीदना है । बीच में कई छुट्टियां हैं, होली है, गुड फाईड है, रविवार है और कई तरह की छुट्टियां हैं । अब उसके बाद कोई काम नहीं हो पायेगा और अभी हम धान अधिप्राप्ति में लक्ष्य से बहुत पीछे हैं जो डाटा बताता है। हम चाहेंगे कि किसान हित में, पैक्स हित में ताकि जो लक्ष्य रखा गया था बिहार सरकार की ओर से, जो धान का पैदावार हुआ है, धान को क्रय करने के लिए समय बढ़ाया जाय । हम तो चाहेंगे कि इसको पूरे अप्रील महीना तक लागू किया जाय ताकि कोई किसानों का धान क्रय के लिए बचे नहीं । सभी किसानों का धान खरीद हो जाय ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और कोई ऐसा किसान नहीं रह जाय कि कोई कहे कि मेरा धान नहीं लिया गया है । हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि केन्द्र सरकार एक नियम लागू कर दिया है कि 1 क्विंटल में 67 किलो चावल निकलता है । कोई भी 1 क्विंटल में 67 किलो चावल नहीं निकाल सकता है । यह केन्द्र सरकार का मापदंड है । हम तो चाहेंगे कि इस मापदंड में परिवर्तन किया जाय । कई लोग कह देते हैं कि पैक्स ज्यादा धान ले रहा है । क्यों लेगा ज्यादा धान, क्योंकि 1 क्विंटल में 67 किलो चावल नहीं निकल सकता है । इसलिए इसको देखने की आवश्यकता है, इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है । 100 क्विंटल ही एक किसान से लेना है, बड़े किसान हैं, बड़े जोत वाले हैं......

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : एक मिनट महोदय । उनका धान बच जायेगा तो बाकी धान को क्या करेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो धान बच गये हैं बड़े किसानों का, उन किसानों का भी धान लिया जाय । हम धन्यवाद देते हैं कि छोटे किसानों को

पूरा तरजीह दिया जाय। उन्हीं के लिए यह संस्था बनायी गयी है, उन्हें धान का उचित मूल्य मिल सके, गेहूँ का उचित मूल्य मिल सके लेकिन सारे धान पैक्सों के माध्यम से बिके, हम यही कहना चाहेंगे । मुझे उम्मीद है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी के सकारात्मक सोच एवं समग्र विचार के कारण सहकारिता में आमूल-चूल परिवर्तन होंगे और सहकारिता एक समृद्ध बिहार बनायेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । जयहिन्द ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, सहकारिता के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपका बहुत,बहुत आभार, साथ ही अपने नेता का भी आभार व्यक्त करता हूँ । खासकर मैं पूर्णिया विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ और पूर्णिया विधान सभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ । सभापति महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की समृद्धि के बगैर विकास की बात करना बेईमानी है । सहकारिता की आत्मा है किसान, जिस तरह आत्मा के बगैर शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह सहकारिता किसान के बगैर उसका कोई मतलब नहीं है । सभापति महोदय, जब तक सहकारिता का लाभ खेती,खलिहान और किसानों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक सहकारिता सहकारिता नहीं है । सक्षम किसान समृद्ध सहकारिता । जब तक किसान सक्षम नहीं होगा, तब तक समृद्ध सहकारिता नहीं होगी । जब तक सक्षम किसान नहीं होगा, समृद्ध बिहार नहीं होगा। जब तक सक्षम किसान नहीं होगा, तब तक सक्षम भारत भी नहीं होगा । सभापति महोदय, सरकार की सहकारिता नीति के बिन्दुओं का सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन करना ही सहकारिता का लक्ष्य है । लेकिन सरकार इस लक्ष्य को पाने से भटक गई है । आज सहकारिता की आधारभूत संरचना बिखड़ गई है । मैं पूर्णिया जो सीमावर्त्ती क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आता हूँ । पूर्णिया में 251 पैक्स है लेकिन आधे पैक्स ही कार्यरत हैं । आधे पैक्सों के द्वारा जहां-तहां धान लिया गया लेकिन मैक्सिमम किसान ज्यादा से ज्यादा धान औने-पौने दाम में बेचना पड़ा है । पैक्सों के माध्यम से जिस ढंग से धान की खरीद होनी चाहिए थी, उन क्षेत्रों में नहीं हुई । 31 मार्च तक धान खरीदने का सरकार का निर्णय है और हमारे यहां धान जो खरीद होनी चाहिए थी, उस ढंग से वहां खरीद नहीं हुई और बिचौलिये के माध्यम से किसानों के धान रह गये

और वहां बिचौलिये के माध्यम से पैक्सों को धान पहुॅंचाने का काम हुआ । जिससे कि हमारे यहां जो अखतिया खेती होती है धान की, उसको किसान बेच करके अपने परिवार में जो उत्सव मनाना था, जो शादी-विवाह करना था, उसका काम किये लेकिन पैक्सों में उनका धान बहुत हद तक नहीं पहुॅंचा । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूॅं कि डिस्ट्रिक्ट कॉआपरेटिव जो किसानों का एक माध्यम है, जो कि उसका काम करता है । हमारे यहां भी पूर्णिया में 9 शाखा है, अररिया में 6 और किशनगंज में 4 है। 191 पद स्वीकृत है, जिसमें कि 27 स्थायी है और 50 कंट्रेक्ट पर है और 114 पद अभी भी खाली है । आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूॅं कि 114 पद जो खाली है, तब डिस्ट्रिक्ट कॉआपरेटिव किसानों को किस तरह से सहयोग करेगी, कैसे बढ़ेगा सहकारिता का काम । सभापति महोदय, बिहार हमेशा देश को राह दिखाने का काम करता है और उम्मीद का सवेरा बिहार से ही होता है । परन्तु सहकारिता के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, कैसी प्रगति हुई है, किसकी प्रगति हुई है, किसके लिए प्रगति हुई है, यह निश्चित रूप से पूर्णरूपेण सोचनीय विषय है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय हम सबों के सामने आया है और इसकी काफी बातें होती है । सरकार के मंत्री इसका खूब ढिढ़ोरा भी पिटते हैं । परन्तु प्रदेश की जनता अनिश्चय में है । प्रदेश के किसान अनिश्चय में है । पैक्स के माध्यम से उनका जो धान खरीदा जाना था, उसकी स्थिति कैसी है ? हर विधान सभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, वे हृदय पर हाथ रख कर देखेंगे और क्षेत्र जाते होंगे तो निश्चित रूपेण उनको मालूम पड़ता होगा । सभापति महोदय, धान खरीद में हकमारी और के0सी0सी0 की स्थिति कैसी है, यह भी हमलोगों के सामने हैं । के0सी0सी0 में कमीशनखोरी अगर कोई किसान 50हजार रू0 का लोन के0सी0सी0 के माध्यम से लेता है तो उसके के0सी0सी0 बैंक तक जाते-जाते उसके जूते के शोल खिया जाते हैं और उसमें किस तरह की कमीशनखोरी है, यह हम सबों से छिपा हुआ नहीं है ।

सभापति महोदय, मछली पालन का क्या दशा है ? कोई ठोस प्रगति नहीं है । पूर्णिया में 500 से 550 पोखड़ है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूॅं कि पूर्णिया में 550 पोखड़ है, 1992 से उसकी सफाई नही हुई

है । सफाई नहीं होगा तो सहकारिता का कार्य कैसे पूरा होगा ? बड़े-बड़े जलकर हैं, 8 कि0मी0 से 45 कि0मी0 तक जलकर है । एक तो 68 एकड़ का जलकर है । इतना बड़ा जलकर जो सहकारिता में आता है, उसका भी मुँह बन्द है और सहकारिता के दृष्टिकोण से किसानों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें हम बहुत पीछे हैं । सीमांचल क्षेत्र में एक भी हेचरी मशीन नहीं है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बंगाल जो हमारे बगल में है, बंगाल से बीज बेस्ट सारा आता है। हमारे यहां जो सीमांचल का इतना बड़ा क्षेत्र है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज ये सारे क्षेत्र हैं, बंगाल में जो हेचरी है, वहां से बीज मुहैय्या कराना पड़ता है। सभापति महोदय, किसान और मजदूर के उत्थान के लिए बुनकर, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्यपालन, दूध विकास, कुटिर उद्योग ऐसे अनेक योजनायें जिसको जितना जमीन पर उतरना चाहिए, आज उतना नहीं उतरा हुआ है । इसके कारण भी किसान आज समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं । किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, किसान जब तक सक्षम नहीं होगा तो सहकारिता की भी बात अधूरी रह जाती है । सभापति महोदय, सच पूछा जाय तो सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति अत्यंत धीमी है और यह चिन्तनीय भी है। राज्य सरकार सहकारिता के मोर्चे पर, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूपेण काफी बातें हुई है, हम कहेंगे कि सहकारिता समन्वय का भाव उत्पन्न करता है । सहकारिता में पारदर्शिता होनी चाहिए, सहकारिता सबको जोड़ता है, सहकारिता एक-दूसरे को नजदीक लाता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सहकारिता के मोर्चे पर सरकार पूर्णतः विफल है । . ...क्रमशः

.....

टर्न-19/शंभु/14.03.16

श्री विजय कुमार खेमका : क्रमश:........इसलिए मैं इसके लिए प्रस्तुत बजट हेतु पेश कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मुझे बोलने का कम समय मिला है। मैं अपनी बात को एक शेर कहकर समाप्त करूँगा। बिस्मिल अजीमाबादी का एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ -कहां तमाम उड़ी दास्तान बिस्मिल की, बहुत सी बात तो कहने को रह गयी ऐ दोस्तो। अब मैं पुन: आभर व्यक्त करते हुए सभापति महोदय, एक बार आभार, जय बिहार, जय भारत।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती पूनम पासवान।

श्रीमती पूनम पासवान : सभापति महोदय, मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले पूरे बिहार राज्य में पैक्स के विस्तारीकरण से सहकारिता की विचारधारा को सक्रिय करने के लिए सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। राज्य के सभी 83 प्रतिशत पंचायतों में पैक्स सक्रिय है। इसके निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन प्राधिकार से करवाकर पारदर्शिता लायी गयी है। पहले पैक्स अघ्यक्ष के जेब में चला करते थे, लेकिन अब जनता पैक्स के अधिकारों और दायित्व के प्रति काफी सजग हो गयी है। इतना ही नहीं 50 प्रतिशत से अधिक पैक्स के पास अपना गोदाम भी है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि शेष बाकी बचे हुए पैक्सों में गोदाम निर्माण का काम किया जाय और गोदामों का साइज 200 मी0टन से बढ़ाकर 1000 मी0टन किया जाय। ताकि पर्याप्त मात्रा में धान की खरीद और क्रय हो सके। धान के रख रखाव में भी और सुधार की आवश्यकता है। साथ ही कृषि रोड मैप में भी सभी पंचायतों में गोदाम बनाने का संकल्प लिया गया था उस दृष्टि से भी यह आवश्यक कार्य है। सभापति महोदय, इन पैक्सों में और जो किसान उत्पादन करते हैं उसके हर चरण में सुधार की जरूरत है- खेती बुआई के लिए बीज, खाद, पटवन के लिए डीजल क्रेडिट कार्ड का और अंत में फसल का सही मूल्य, जब तक किसानों को इन सभी चरणों में पैक्स मदद नहीं करते तब तक सहकारिता का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल सकता। ज्यादा से ज्यादा सदस्य भी बनाया जाना चाहिए। सदस्य जितने अधिक होंगे और

भागीदारी जितनी गहरी होगी, सदस्यों की आमदनी जितनी अधिक होगी उतनी ही सहकारिता का उद्देश्य सफल होगा। इसलिए प्रत्येक पैक्स में खाद, बीज, कृषि केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। सभापति महोदय, पैक्स के एक करोड़ सदस्यों में से सिर्फ 5 लाख को ही अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड मिला है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब भूमिहीन किसानों को भी पैक्स का सदस्य बनाया जा रहा है, लेकिन मैं साथ ही यह आग्रह करना चाहती हूँ कि संयुक्त सहायता समूह के माध्यम से भूमिहीन किसानों को भी सामूहिक ऋण दिया जाय। मैं धान खरीद के लिए सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी धान खरीद के लक्ष्य से दूर हैं, इसके लिए धान खरीद की प्रक्रिया पहले से शुरू की जानी चाहिए ताकि किसान के खेत पर बिक्री न करे। धान की खरीद पर प्रति किसान 100 क्वींटल की सीमा जो लगायी गयी है उससे छोटे किसानों को लाभ मिला है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद कहती हूँ। सभापति महोदय, प्रत्येक पैक्स में अपना धान कुटाई मिल लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय रूप से चावल का भंडारण किया जा सके। सभापति महोदय, मैं कॉपरेटिव बैंकों के विषय में कहना चाहती हूं कि खेती में उनकी भागीदारी घट रही है सिर्फ मूल उद्देश्य के लिए इन बैंकों की स्थापना की गयी है और यदि वह पूरा न हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह खुशी की बात है कि अब कॉपरेटिव बैंकों के कर्मचारी भी अन्य सरकारी बैंकों की तरह ही आइ0बी0पी0एस0 से चुनकर आते है। इससे पहले के अध्यक्षों द्वारा चलायी जानेवाली भाई भतीजावाद पर रोक लगी है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कॉपरेटिव बैंक में सरकारी राशि रखने पर लगायी गयी रोक को समाप्त करना चाहिए। सरकार ने ज्यादातर कॉपरेटिव बैंकों के कंप्यूटीकरण का कार्य पूरा कर लिया है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। परन्तु जब सभी कॉपरेटिव बैंक एन0आइ0एफ0टी0 और आर0टी0जी0एस0 कर रही है तो सिर्फ इसलिए कि एक जिले के एक पैक्स में कोई घोटाला हो गया था इसीलिए किसी कॉपरेटिव बैंक में सरकारी राशि नहीं रखा जायेगा यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि कॉपरेटिव बैंकों में सरकारी भुगतान की सुविधा हो तो ग्रामीण शिक्षकों

और अन्य कर्मियों के भुगतान में सुविधा होगी। सभापति महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कृषि सहाकारिता समितियों को ही नहीं बल्कि अन्य सहकारी समितियों खासकर महिला और बुनकर सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सभी सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए नीतीश जी को जितना धन्यवाद दिया जाय, वह कम है। परन्तु जिन महिलाओं के लिए उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन की जरूरत है। मधुबनी पेंटिग, सिलाई, वस्त्र निर्माण, हस्त निर्मित, खाद आदि के लिए महिला सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने की भरपूर जरूरत है। महोदय, इसी तरह से बिहार के कई इलाकों में अंडी के पौधों पर रेशम के कीड़े पालने और रेशमी वस्त्र साधन की असीम संभावनाएं हैं। सभापति महोदय, भारत प्रति वर्ष अरबों का रेशम चीन से आयात करता है, यदि बिहार इसका कुछ हिस्सा भी अंडी के पौधे पर पलने वाले रेशम के कीड़े का उत्पादन कर ले तो किसानों का जीवन खुशहाल हो जायेगा। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। माननीय सभापति जी, कटिहार जिला की कॉपरेटिव बैंक की दो एकड़ व्यवसायिक भूमि शहर के अंदर मुख्य सड़क के किनारे है जो पिछले कई वर्षों से बिना उद्योग का खाली पड़ा है जबकि सरकार भवन हेतु बैंक द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराये जिससे जिले की छोटी छोटी सरकारी संस्था का विकास हो सके। माननीय सभापति महोदय, कटिहार जिला का चयन आइ0बी0पी0 योजना के लिए हुआ है, बिहार के अन्य जिले में इस योजना कार्य समाप्ति पर है, लेकिन कटिहार जिले में यह योजना प्रारंभ भी नहीं हुआ है, यह खेद का विष्य है। इसपर माननीय मंत्री जी घ्यान देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हमारा जिला जो पीछे है वह आगे आ सके और विकास में बिहार के हर जिले की तरह कटिहार भी आगे आ सके। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ...क्रमश:।

टर्न-20/अशोक/13.03.2016

श्रीमती पूनम पासवान : क्रमशः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा विस्तार, इतना अच्छा बजट लाये, हमलोग उनके समर्थन में, सरकार के समर्थन में, महिलाओं को आपने जो 50 प्रतिशत आरक्षण दिये, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जहां तक भूमि की बात है, कटिहार जिला के हमारे कोढ़ा क्षेत्र में महादलितों को, 107 महादलितों को जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसके कारण किसानों के खेत में आज अनाज लगा हुआ है, लेकिन उन्हें अनाज काटने नहीं दिया जा रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है । मैं इस सदन के माध्यम से बतलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी को और हमारे नेता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार):माननीय सदस्य श्री सुदाम प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : सभापति महोदय, सहकारिता विभाग का जो भारी-भरकम बजट आया है कृषि के विकास के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए, लेकिन किसान किसको सरकार कह रही है ? हमारे समझ से किसान वह हैं जो खेत में खटते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं । चाहे जमीन उनकी हो या बटाई पर ली गई हो । मुझे आश्चर्य होता है कि बिहार में 77 प्रतिशत खेती बटाई पर होती है, लेकिन सहकारिता विभाग के पूरे डोकुमेंट में कहीं बटाईदार शब्द का जिक्र नहीं है । मूल खेती बटाईदार कर रहे हैं । खेती घाटे में जा रही है और भूधारी किसानों ने घाटे की खेती को बटाईदार किसानों के कंधे पर डाल दिया है । तो ये भारी भरकम बजट बटाईदार किसानों को कोई मदद नहीं पहुंचाता है, अगर खेती उन्हें उत्साहित नहीं करता है तों मैं समझता हूँ कि इससे उनको कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदना नहीं है, बटाईदार बिल्कुम उपेक्षित हैं । हर साल बटाई की रेट बढ़ रही है, डिजल सबसिडी के लिए जाते हैं तो पूछा जाता है कि क्या प्रमाण है कि आपने खेती किया है । फसल छति का मुआवजा लेने जाते हैं - क्या सबूत है कि आपने खेती किया है ? उनका धान नहीं बिकता है, तो हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार किसान की परिभाषा को सुनिश्चित

करे और इस हिसाब से खेती का लाभ उनके पास पहुंचे । अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में तो बटाईदार किसान भी कॉरपोरेट घरानों के लिए खेती का रास्ता साफ करके भाग जायेंगे खेती से । बिल्कुल भाग जायेंगे, यह हमारी समझ है ।

दूसरी बात कहनी है कि पंजाब में जिस तरह से खेती होती है, जिस तरह से धान की खरीद वहां होती है, हम बिहार में वैसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर सकते हैं ? 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर के बीच में, पंजाब में इस दो माह में धान की सम्पूर्ण खेती होती है और किसानों को कोई कागज-पत्र जमा नहीं करना पड़ता । किसानों को धान बेचने के लिए क्रय केन्द्रों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि गांव-गांव में सरकारी एजेन्सियां क्रय केन्द्र खोलकर कांटा लगाती है और किसानों से धान का क्रय करती है । मैं मांग करता हूँ सहकारिता विभाग से कि ऐसी नीति बनाई जाय कि बिहार में जैसे ही धान की कटनी शुरू हो, धान का क्रय केन्द्र खोल दिया जाय, क्रय केन्द्र खोला जाय । बिचौलियों को मौका नहीं मिलेंगा । क्रय केन्द्र इसलिए नहीं खोले जाते हैं ताकि बिचौलियों को पूरा खेल खेलने का मौका मिले । बिचौलियों खुला खेल खलते हैं । किसान तमाशा देखते हैं ।

तीसरी बात, तीसरी बात यह कि आपने जो पिछले साल धान का क्रय किया था तो 300 रूपया बोनस था । इस साल बोनस की राशि नहीं है । पिछले साल जिन किसानों ने धान दिया, धान का बकाया पैसा है, उसका किस रेट से भुगतान कीजिएगा- 1660 के हिसाब से कीजियेगा या 1410 के हिसाब से कीजियेगा ? हमारे पास कई किसानों ने कहा कि पिछले साल हमने धान दिया है क्रय केन्द्र में, पैक्सों को धान दिया और इस साल वे रिसेंट रसीद मांग रहे हैं, इस साल के रेट से खरीद करेंगे यानी 1410 के रेट पर ये खरीद करेंगे- हम समझते हैं यह किसानों को गला काटने वाली बात है । यह बात नहीं होनी चाहिए । पुराने समय में जो धान लिया गया है, उस हिसाब से धान का भुगतान हो ।

और तीसरी बात कहकर में आपका धन्यवाद करूंगा । आज हमें भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का भी डोकुमेंट मिला तो मैं अस्पष्ट हूँ कि क्या

सरकार इस मामले मं वाद-ववाद नहीं चाहती है ? मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूॅं कि इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार ।

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, सहकारिता विभाग के बजट अनुदान की मांग के विपक्ष में और माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिह के कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में आज बोलने के लिए आपे जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आसन और अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूॅं । सभापति महोदय, सहकारिता एक ऐसा विषय है, सहकारिता का मतलब ही है सहयोग और जब से मानव सभ्यता आई है, उस समय से ही, सहकारिता के माध्यम से ही मानव सभ्यता इस स्थिति तक पहुंची है । इसलिए सहकारिता के महत्व को समझना और अपने पूरे जीवनशैली में और आर्थिक पहलू के हिसाब से और सामाजिक पहलू के हिसाब से सहकारिता को उतारना किसी भी सरकार के लिए प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए ।

सभापति महोदय, बिहार में सहकारिता आंदोलन, सहकारिता की जो भी भूममेंट हुई है, उसमें कई ऐसी खांमियां रह गई है जिसका हम सीधा लाभ - सहकारिता का सबसे मुख्य क्षेत्र जो है, वह कृषि क्षेत्र है, वहां तक हमलोग नहीं पहुंचा पाये हैं । आवश्यक है कि सहकारिता के नीति एवं सिद्धान्तों को समाज के अंतिम बिन्दु तक पहुंचाने का काम करें क्योंकि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है, 80 प्रतिशत आबादी यहां पर कृषि पर आधारित है । इसलिए कृषि के क्षेत्र में और कृषि रोड मैप में भी , रोड मैप-2 में भी सहकारिता को अग्रणी विभाग माना गया था । सइकारिता में सबसे अधिक जो अध्ययन हुये हैं इन्टरनेशलन कॉसिंल एलायेंस ने जब एक बैठक की थी और "रॉचडेल" सिद्धान्त को उन्होंने पारित किया था, सात सिद्धान्त थे उसके, सात प्रिसपल के साथ में सहकारिता का संदेश देने का काम पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था और उन उद्येश्यों को बिहार की सरकार ने भी जब अपनी सहकारिता की सिद्धान्त बनाई तो उन सात उद्येश्यों में से मुझे लगता है कि चार-पांच उद्येश्यों को उन्होंने

अपने प्राथमिक कर्त्तव्य के रूप में जोड़ा था, लेकिन अफसोस इस बात की है कि उन उद्येश्यों में जो सबसे पहला मुख्य उद्येश्य था वह था ओपने मेम्बरशीप का उद्येश्य था, ऑपने मेम्बरशीप में पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से और पूरे भालेन्ट्री तरीके से लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना था, लेकिन आज बिहार की जो स्थिति है, बिहार का जो परिदृश्य है, सहकारिता में जो मेम्बरशीप हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं काफी नियंत्रण है । तो आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि मेम्बरशीप के अभियान को काफी तेज गति से बढ़ाया जाय । आज पैक्सों के माध्यम से लगभग एक करोड़ मेम्बर्स हैं, अगर सरकार और सहकारिता विभाग समय सीमा में सुनिश्चित करे कि अगले दो सालों में या अगले एक साल में इस मेम्बरशीप को दुगनी गति से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया जायेगा तो शायद उस "रॉचडेल" के सिद्धान्तों को हम सहकारिता विभाग में लागू कर पायेंगे और बिहार सरकार की भी यह सिद्धान्त है ।

आज हमारे कई साथी बात कर रहे थे कि सहकारी बैंकों को और पैक्सों को जो ऋण का जो इन्टरेस्ट देना पड़ता है वह ग्यारह प्रतिशत के आस-पास चला जाता है । मेरा भी यह कहना है, पुराने सिद्धान्त में, इन्टरनेशनल कॉसिल के सिद्धान्त की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें एक लिमिटेड इन्टरेस्ट की बात कही गई थी । तो सहकारिता में जब तक लिमिटेड इन्टरेस्ट नहीं होगा तब तक सहकारी उद्येश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है, आप कृषकों के उन उद्येश्यों की पूर्ति नहीं करा सकते है । सहकारिता में, सरकारों को चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल उनको तीन से चार प्रतिशत का व्याज लगे और ऐसी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कराने का काम करे कि- आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि कैश ट्रैडिंग, जो सहकारिता का सबसे बड़ा अमूल्य सिद्धान्त है, कैश ट्रेडिंग में एन.आई.एफ.टी., आर.टी.जी.एस. को बढ़ावा दिया जाय, हर एक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा दी जाय । तो यह एक मुख्य उद्येश्य सहाकारिता विभाग का होना चाहिए, कैश ट्रैडिंग को आप शत-प्रतिशत लागू कर दें । उसे कम्पलिट एन.आई.एफ.टी. और आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लागू कर दें ।

सबसे महत्वपूण जो सहकारिता के विषय में है वह है अधिप्राप्ति । तो इसमें इक्वीलिटी होनी चाहिए, क्या है कि आज सहकारिता मे ? धान की अधिप्राप्ति के लिए जो नियम कानून पैक्सों पर लाद दिये गये तो उसकी समानता कहीं नहीं दिख रही है । आज अगर आपके किसान धान उपजा रहे हैं 100 तो आप ले रहे हैं उनका 20, आप इसके लिए भी पैक्सों को राशि उपलब्ध करा रहे हैं पांच तो इतनी अधिक असमानता रहेगी तो सहकारिता का मुख्य उद्येश्य जो है अधिप्राप्ति का वह कभी पूरा नहीं होगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अधिप्राप्ति के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील रहे और भविष्य में जब सहकारिता विभाग, आज जो आपने धान अधिप्राप्ति का नियम बना दिया उसे शिथिल करे और एक ऐसा नियम बनाने का प्रयास करे क्रमशः

टर्न:21-14-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री मनोज कुमार : और एक ऐसा नियम बनाने का प्रयास करे आप संपूर्ण बजट में जैसे सुदामा जी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में भी होता है दो माह में ही सारा धाान मिल जाता है इसलिए ऐसी नीति बनानी चाहिए कि धान की अधिप्राप्ति पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से हो औार सहकारिता में एक तटस्थ्ता होनी चाहिए । सबसे बड़ी बात है कि सहकारिता में पॉलिटिकल तटस्थता जरुर होनी चाहिए और दुर्भाग्य है बिहार का कि आज हमारे जितने भी सहकारी संस्थान हैं उसमें लोग वर्षो वर्ष से बड़े बड़े लोग काबिज रहते हैं लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 2013 बिहार के सहकारिता के क्षेत्र मे, मैं मानता हूँ कि काफी क्रान्तिकारी दौर था और उस समय की एन0डी0ए0 सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और जहॉ तक मुझे याद है कि 2013 में जब डिमोक्रेटिक कंट्रोल को लाते हुए आप लोगों ने 50 प्रतिशत महिलाओं की सुनिश्चितता सहकारिता के क्षेत्र में सुनिश्चित किया था , उस समय की एन0डी0ए0 सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और जहॉ तक मुझे याद है कि उस समय भाजपा के ही मंत्री सहाकारिता मंत्री हुआ करते थे इसके लिए उनको काफी काफी

धन्यवाद । और काफी माननीय सदस्यों ने 2013 को अपने वक्तव्य में कहा ही है कि हमारा क्रान्तिकारी वर्ष रहा है । कोऔपरेटिव एमौंग कोऑपरेटिव जो बिहार सरकार मानती है क्योकि तमाम कोऔपरेटिव एजेन्सियों , कोऔपरेटिव बैंकों और कोऑपरेटिव पैक्सों के माध्यम में एक कोऔपरेशन की संपूर्ण भावना हो उस मामले में भी सहकारिता विभाग ने ऐसी कुछ योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाए कि सभी पैक्स जैसे कोई डिफौल्टर पैक्स हो जा रहा है तब डिफौल्टर पैक्स को आपलोगों ने कोई अधिकार नहीं दे रखा है , अब आपकी वह कंपलीट कोऔपरेटिव अफसर पर डिपेंड है कि डिफौल्टर पैक्स को किसके साथ में जोड़ता है । अब यहॉ के किसानों ने यहॉ के पैक्स के मेम्बरों ने वोट देकर अपने पैक्स को जिताया है औरे उनके पास में कोई अधिकार नहीं है कोई साधन नहीं है क्योंकि उनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष डिफौल्टर हैं । आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, एक और मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र म, रोजगार के क्षेत्र में लोगों ने शिक्षा मित्र और विकास मित्र और कई मित्रों को बहाल किया , सहाकरी क्षेत्र में भी हर पंचायत स्तर पर एक सहकारिता मित्र बहाल करे क्योंकि सहकारिता के सिद्धान्तों मे, बिहार सरकार के सिद्धांतों में कोऔपरेटिव एजूकेशन एक प्रमुख उद्देश्य है और जबतक पंचायत लेवेल पर सहकारिता मित्र तैयार नहीं करेंगें, बहाल नहीं करेंगे तो कोऔपरेटिव मूभमेंट के कोऔपरेटिव के एजूकेशन के मामले में आप जन जन तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पायेंगे । इन तमाम बातों के साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सहकारी खेती कौरपोरेट खेती ही नहीं लेकिन कोऔपरेटिव खेती करनी बहुत जरुरी है । आज जोतकार हैं , सीमान्त क्षेत्र हो गया है किसान हैं छोटे छोटे हो गए हैं , उस माध्यम से हम बड़ें बड़े जोत में खेती नहीं कर पा रहे हैं ,,उन्नत तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोऔपरेटिव खेती को पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर बढ़ावा दिया जाय । हर प्रखण्ड में कोऔपरेटिव डिपार्टमेंट एक पूरे रकबा को लेकर 5 सौ बीघा के रकबा को लेकर, एक हजार बीघा के रकबा को लेकर कोऔपरेटिव खेती और साथ साथ में उसमें वह औरगेनिक फारमिंग का अगर व्यवस्था करा दे तो शायद सोने पे सुहागा हो जायेगा । आपके माध्यम से सरकार को अध्यक्ष महोदय , मै चाहूॅगा

कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाय कि और्गेनिक फारमिंग को एक कोऔपरेटिव तरीके से हमलोग गांवं के अंचलों में, पंचायतों में एक पॉयलेट प्रोजेक्ट के रुप में चालू करे । साथ साथ में हमलोग ऐसी व्यवस्था बनाये कि जिस गांव में कोऔपरेटिव खेती हो उसी गांव के सारे लोग लाभान्वित हों

सभापति (डा0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त करें ।

श्री मनोज कुमार : हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि बिहार का पूरा इलाका सब्जी उत्पादकों का इलाका है और सब्जी उत्पादक भारी मात्रा में यहॉ रहते हैं लेकिन आजतक बिहार की सरकारों ने और अभी भी आपका जो वक्तव्य मैं देख रहा हूॅं , आपकी जो नीति है मैं पढ़ रहा हूॅं कि उसमें सब्जी उत्पादकों के लिए कोई कोऔपरेटिव नीति नहीं बनायी गयी है । कर्णाटक में एक काफी अच्छा कोऔपरेटिव काम कर रहा है सब्जी के क्षेत्र में , उसे हौट कौर्न्स बोलते हैं उस का अध्ययन किया जाय । कर्णाटक में हार्टिकल्चर के क्षेत्र में कोऔपरेटिव काम कर रहा है जो पूर कोले जीन सिस्टम से खेत से सब्जी लेती है और उसे बाजार के बिन्दु तक पहुंचाते हैं जहॉ रिटेलर तक पहुंचाते हैं जो अंतिम व्यक्ति जो सब्जी खरीदता है , वह पूरी की पूरी व्यवस्था वह कोऔपरेटिव करता है तो हौर्ट कौर्न्स के आधार पर कर्णाटक में जो हौर्टिकल्चर कोऔपरेटिव है उसके आधार पर ही सरकार यहॉ भी काम करे क्योंकि यह सब्जी उत्पादकों का राज्य है , इस बारे में काफी काम करने की आवश्यकता है और कई बातें थी ,समय कम था आगे कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा । धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : माननीय सभापति जी, महोदय, सहकारिता विभाग का जो बजट है उसकी तरफ जो उसका बजट है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूॅं । महोदय, बिहार में सहकारिता विभाग एक नया रुप दिया है । और वह खासकर समाज में जो पैक्स हो या जो उनका बैंक खुला है नये स्तर पर ,सरकार की नयी नीतियों के तहत लग रहा है कि समाज के जो कृषक है या जो धान की अधिप्राप्ति या और जो दो तीन योजना आयी है वह समाज के लिए बड़ा काम कर रहा है और खास कर किसानों के लिए लग रहा है कि आने

वाला समय में एक बुनियाद खड़ा हो जायेगा । उस रुप में जो धान का क्रय का केन्द्र के रुप में लग रहा है कि हमारी कमिटी की विश्वसनीयता के रुप में प्रदर्शन कर रही है । बिहार सरकार के द्वारा अभी जो पैक्स में भंडारण पैक्स के माध्यम से धान खरीद कर इनको मील तक पहुंचा कर फिर या पुनः उसको हम अपने भंडारण करके पुनः हमलोगों को जन वितरण द्वारा जो बांट रहे हैं इससे लगता है कि उद्योग के रुप में भी बढ़ावा मिल रहा है । सबसे बड़ी बात यह है कि सहकारिता विभाग के लिए एक बड़ा काम है । सहकारिता भावना जो जगना चाहिए वह नहीं जग रहा है । हम तो माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि उनका प्रचार प्रसार भी हो और इसका दूसरा पक्ष है कि इनके समाज के अंदर में जो कृषक की भावना के लिए किसान के लिए बरदान साबित हो सकता हे उसके पीछे वैचारिक रुप से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ी चाहे भंडारण हो , फसल के भंडारण से लेकर जो साग सब्जी, मधु मख्खी पालन और जो भी हमारा जो कृषि का उत्पादन है उसको रुप देना चाहिए । हमारे याहँ है ,हमलोग खासकर नेपाल के सीमावर्त्ती सीमा से आते हैं ,मुझको लगता है कि केवल यह बैंक और धान की खरीद तक सीमित रहते हैं । मानसिकता बदलना चाहिए । हमको लगता है कि उसके पीछे लोगों का भावना अभी तक नहीं बन बपायी है । सहकारिता सही रुप से समन्वय बनकर कृषि के उत्थान या सामाजिक रुप में समाज के उद्धार के लिए ,गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा काम आ सकता है इसके लिए हमको लगता है कि प्रचार प्रसार जरुरी है । पुरानी जो पद्धति है उसको खतम करनी चाहिए । और उनका प्रखण्ड स्तर पर और जिला स्तर पर जो भी उनके कर्मचारी हैं निश्चित रुप से उनका अन्तरजिला ट्रांसफर होना चाहिए जिससे उनका रिन्यूअल और काम करने का उनके अंदर भावना बनी रहे । हो क्या रहा है अभी कि कमी यह है कि जो कर्मचारी के स्थनान्तरण नहीं होने के चलते लोग कोऔपरेटिव को अपना विरासत मान रहे हैं और कुछ लोग उसमें अपना स्थापित होकर काम कर रहे हैं । जिजससे काम में तेजी नहीं आ रही है । दूसरी तरफ स्टाफ की भी भारी कमी है । हमको लगता हे कि कर्मचारी का निश्चित रुप से हर स्तर पर बहाल होना चाहिए । इससे काम की अधिकता होगी और बैंक का काम संयोग से सुन्दर चल रहा है और आने वाले

समय में कोऑपरेटिव सुन्दर व्यवस्था के रुप में चलेगा और बिहार को वह एक नयी दिशा देगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । हमको समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सिद्धार्थ : सभापति महोदय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने के लिए अवसर प्राप्त हुआ । सहकारिता विभाग बिहार की सबसे बड़ी आबादी जो कृषि पर आधारित है उसी से जुड़ा हुआ यह विभाग है और अगर बिहार की इकोनॉमी में सुधाार लाना है तो निश्चित रुप से सहकारिता विभाग को और ज्यादा मजबूत और सक्रिय होना पड़ेगा । वर्तमान महागठबंधन की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय मंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए हैं निश्चित रुप से आगे आने वाले समय में इस विभाग को एक नयी दिशा दे पायेंगे और इतना ज्यादा सुदृढ़ कर पायेंगे कि समाज के हर कोने को और इस बिहार की जनता के हर परिवार के सदस्य को इस विभाग का एक सदस्य बनाया जा पायेगा । मैं आशा करता हूँ कि धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धाारित लक्ष्य जो कि 90 प्रतिशत भाग इस बार सहकारिता विभाग ने पैक्स अथवा व्यापार मंडल के माधयम से खरीदने का निर्णय किया है वह निश्चित रुप से पूरा किया जायेगा । साथ ही इस वर्ष किसानो से लिया गया धान अधिप्राप्ति का शत प्रतिशत चावल तैयार करके सीधे राज्य खाद्य निगम को उपलब्धा कराने की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण रुप से पूरी की जायेगी । इससे बड़ी समस्या जो पूर्व में हो रही थी कि बहुत से ऐसे किसान थे जिन्हें पैक्स के माध्यम से उन्हें उनका समुचित समर्थन मूल्यय नहीं मिल पा रहा था । इस बार सरकार ने घोषणा की है और यह निर्णय लिया है कि पूर्ण रुप से किसानों के समर्थन मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से बैंकों द्वारा किया जायेगा ।

क्रमशः

टर्न-22/विजय/14.03.16

श्री सिद्धार्थः क्रमशः इन तीन चीजों के कारण आज किसानों में एक विश्वास है जिस विश्वास के साथ उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनायी और लोक हित के लिए यह सरकार काम कर रही है । साथ ही एक सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण बहुत दूर के राइस मिल में टैग कर देते हैं । इसके लिए नियम बनाया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो तभी बहुत ज्यादा किसानों को फायदा हो सकेगा । साथ ही एक और सुझाव देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैक्स सदस्य बनाने के लिए नियम को आसान बनाया जाय । पैक्स अध्यक्ष राजनितिक लाभ के लिए उन्हीं लोगों को अवसर देते हैं जो उनके निजी लोग रहते हैं इसलिए ऐसी प्रक्रिया लायी जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा पैक्स सदस्य बन सकें बल्कि परिवार का हर सदस्य पैक्स का सदस्य बन सके इससे सहकारिता विभाग की तरफ लोगों की जागृति बढ़ेगी साथ ही आवश्यकता है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी हो । बहुत ऐसे पैक्स हैं जो डिफाल्टर रह चुके हैं उन डिफाल्टर पर जनता का विश्वास कम गया है । तो एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जाय बिस्कोमान के माध्यम से एस0बी0आइ0 के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से कि किसान जो भी चाहे अपना धान जिस चीज में चाहे उसे बेचने का अवसर प्राप्त हो । आज सबसे दूसरी उपलब्धि जो सरकार की है कि 300 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है साथ ही 600 ऐसे गोदाम हैं जिनका काम निर्माणाधीन है और बहुत निकट समय में पूरा हो जाएगा । इसके पूर्ण होते ही 1.3 लाख क्षमता का सृजन हो पायेगा । साथ ही 40 चावल मिल का निर्माण पूरा हो चुका है । और आगे आने वाले समय में 93 चावल मिल का निर्माण पूरा हो जाएगा । ये इतनी बड़ी उपलब्धि है आज कि किसान को यह समझ में नहीं आता था कि अपना धान कहां रखें इतनी बड़ी उपलब्धि आज सरकार के माध्यम से उन्हें दिया जा रहा है । आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक बहुत बड़ा संतोष रहता है किसान परिवार में । आम बैंक किसान को लोन देना नहीं चाहता है । किसान क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसा माध्यम है जो कोई भी किसान हो गरीब से गरीब किसान हो उसे विश्वास होता है कि किसी भी समय हमें सरकार सहायता करेगी

। यह बहुत बड़ा सहकारिता के माध्यम से कृषकों को एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की गयी है और आज इस योजना के माध्यम से 9 लाख 72 हजार किसान केडिट कार्ड निगर्त किये गये हैं जिसमें 1354 करोड़ की राशि भी दी गयी है । मैं आशा करता हूं कि सहकारिता विभाग के माध्यम से सिर्फ की अधिप्राप्ति ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आगे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा जैसे मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी से मध का निकालना हो । आज बहुत से हमलोग के बिहार में अंडा इम्पोर्ट हो कर आ रहा था लेकिन ऐसी ऐसी योजनायें हमारी सरकार के द्वारा बनायी जा रही हैं जो कि निकट समय में हमलोग अंडा एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे । तो मै बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को और आपके माध्यम से आशा रखता हूं कि आने वाले समय में इस राज्य का हर परिवार इस विभाग से जुड़ेगा और यह विभाग और ज्यादा काम कर पायेगा । बहुत बहुत धन्यवाद ।

<u>श्री मुन्द्रिका सिंह यादव:</u> माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने सदन में सहकारिता विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने के लिए आपने समय दिया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक सहकारिता परिवार से आने वाले माननीय मंत्री को सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी देने का काम किया है और माननीय मंत्री जी बड़े जिम्मेवारी के साथ इस विभाग का संचालन करने का काम कर रहे हैं । निश्चित रूप से सहकारिता शब्द मानव जीवन के चारों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है । समाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या यों कहें कोई भी मानव समूह सहकारिता से अलग नहीं हो सकता है । मनुष्य जब पैदा लेता है उस समय भी उसे सहकारिता के माध्यम से उसकी मॉं दूध पिलाने का काम करती है । सहकारिता कानून के माध्यम से भी दिया जाता है । सहकारिता परंपरागत तरीके से सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से मानव समूह को सहयोग किया जाता है । बात घर से जब प्रारंभ होती है तो सहकारिता का मामला यू0एन0ओ0 तक जाता है । हर अवसर पर सहकारिता कायम रहता है । और सहकारिता से ही मानव जब प्रारंम्भिक अवस्था में था तो बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में

पहुंचने का काम किया है । जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे सहकारिता का भी महत्व बढ़ते जा रहा है । आज किसान की बात हो रही है निश्चित रूप से इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, सहकारिता मंत्री को धन्यवाद देते हैं किसानों के धानों की अधिप्राप्ति के लिए जो पैक्स के माध्यम से इन्होंने व्यवस्था किया है जिसके चलते किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है और किसान अपने धान का जो कड़ी मिहनत कर उपज उपजाता है उसे 1410 रू0 मूल्य उसे प्रति क्वींटल प्राप्त हो रहा है । आइ0डी0एस0 के माध्यम से बैक में जो खाता होता है वहां पहुंचने का काम कर रहा है । निश्चित रूप से सहकारिता समितियों के माध्यम से बहुत सारे जन कल्याण कार्य हो रहे हैं । दुग्ध उत्पादन जो कोआपरेटिव सोसाइटी है उससे किसान जुड़कर के, बेरोजगार जुड़ करके किसान इस माध्यम से पशुपालन का रोजगार कर रहा है । सरकार के माध्यम से उसे दुधारू पशुओं को खरीदने का सबसिडी देने का काम कर रही है । यह सरकार का सराहनीय कदम है । इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है । आज जिन किसानों के पास, जिन पशुपालकों के पास पूंजी नहीं होती है सरकार उसे पूंजी उपलब्ध कराती है । दुधारू गाय देने का काम करती है और उसके माध्यम से वह अपने परिवार के भरण पोषण करता है । महोदय, इतना ही नहीं और जो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो महादलित हैं, सुअर के लिए उन्हें सरकार पैसा देती है, अनुदान देती है, पूंजी देती है । मुर्गी पालन के लिए, मत्स्य पालन के देती है इस तरह से सरकार कल्याणकारी कार्यो की ओर आगे बढ़ रही है और जो सहकारिता का उद्देश्य है उसकी पूर्त्ति करने में सरकार लगी हुई है । किसानों के लिए सरकार समय समय पर मेला लगाकर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है।

(इस अवसर पर मा0 अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

और वही नहीं किसानों को हरियाणा, पंजाब भेजकर के कृषि का जो आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने का काम कर रही है और बाहर भेजने का भी काम कर रही है । बाहर से बुलाकर जो वैज्ञानिक हैं उनको बुलाकर भी प्रशिक्षण किसानों को दिलाने का काम किया जा रहा है । अभी गांधी मैदान में

कृषि यंत्र मेला लगा था और उस मेले में भी बाहर से किसान आये थे पंजाब से, हरियाणा से और पूरे बिहार भर के किसान वहां आये थे कृषि यंत्र खरीदने के लिए । इस तरह से सरकार समय समय पर कृषि यंत्र प्रदर्शनी लगाकर के किसानों को लाभान्वित करने का काम कर रही है । और महोदय आज का जो बजट है उसमें आपका राजस्व एवं भूमि सुधार भी जुड़ा हुआ है ।

क्रमशः

टर्न-23/बिपिन/14.3.2016

श्री मुंद्रिका सिंह यादवः क्रमशः हम इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं । निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और इसके माध्यम से भी बहुत सारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण काम जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही, जो भूमि-सुधार कानून है, लम्बे काल से कई सरकार भूमि-सुधार के स्तर पर काम कर रही है लेकिन आज तक सही मायने में भूमि पर जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है । सरकार की योजना थी कि जिनके पास हदबंदी से अधिक भूमि है, वह लेकर भूमिहीन के बीच बांटने की भी योजना है लेकिन हमने देखा कि बड़े-बड़े भूमिपति रहे थे, अपनी भूमि को कुत्ता के नाम पर, बिल्ली के नाम पर, गाय के नाम पर इस तरह से उन्होंने खर्च करने का काम किया है और अपनी भूमि को बचाने का काम किया । इसलिए सही मायने में सरकार की योजना को हम भूमिहीन के बीच में भूमि देने का काम करेंगे, वह सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है । समाजवादी पार्टियां नारा देती थी- धन और धरती बॉट कर रहेंगे लेकिन अपनी-अपनी छोड़कर महोदय, इसीलिए आज जो बड़े-बड़े साम्यवादी दल के नेता रहे थे, उनके पास हजार बीघा, पांच सौ बीघा, जो जोतदार रहे थे बड़े-बड़े, उन्होंने अपनी भूमि बचाने का काम किया । इसीलिए जो गरीब रहे थे, भूमिहीन थे, दलित थे, पिछड़े थे, अकलियत थे, आज भी वह भूमिहीन भूमिहीन ही रह गए और आज भी उन गरीबों के पास, दलितों के पास, महादलितों के पास रहने के लिए जमीन आज तक नहीं मिल सका, इसलिए सरकार विशेष रूप से इस ओर ध्यान दे क्योंकि जो भूमिहीन हैं, उसे रहने के लिए, घर बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध नहीं है ।

सरकार की योजना भी है कि जो भूमिहीन हैं, जिसे बासगीत जमीन नहीं है, उनके लिए जमीन उपलब्ध कराकर मकान बनाने का काम करेंगे । सरकार इस दिशा में तेजी से काम करे । अब बात रही उद्योग की, तो निश्चित रूप से बिहार उद्योग के क्षेत्र में उन्नत राज्य नहीं है और खास कर जब झारखंड अलग हो गया महोदय तो उसमें बहुत सारे बड़ी-बड़ी फैक्टरियां चली गई और बहुत-सारे उद्योग-धंधे चले गए । अब केवल कृषि पर ही बिहार को मुअस्सर करना है लेकिन सरकार, अभी उद्योग मंत्री नहीं हैं, शायद चाय पी रहे होंगे बगल में, हम कहना चाहते हैं कि उद्योग के लिए भी सरकार प्रयत्नशीन है । बाहर के उद्योगपतियों को बुलाकर सरकार प्रयास कर रही है कि बिहार में हम उद्योग का जाल बिछाने का काम करें । उसके लिए समय-समय पर कॉफ्रेंस करके सरकार उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही है और यहां भी पूंजीनिवेश करने के लिए सरकार आमंत्रित करने का काम कर रही है । इस संदर्भ में बहुत बड़ी सफलता बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए तो नहीं हुआ है लेकिन हम कहना चाहेंगे कि सरकार के स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए कि छोटे-छोटे उद्योग भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उद्योग नहीं है, जहां गरीबी है, जहां लाचारी है, बेवसी है, जहां नौजवान बेरोजबार हैं वैसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग भी स्थापित कराकर नौजवानों को उद्योग लगाने का काम किया जाए और बहुत सारे इंजीनियर सब बेरोजगार भटक रहे हैं इधर से उधर, उन्हें भी हर क्षेत्र में, उनके माध्यम से भी सरकार को चाहिए कि जो बेरोजगार अभियंता हैं, उन्हें पूँजी उपलब्ध कराने का काम करें और छोटे-छोटे उद्योग लगा कर वे अपने रोजगार सृजन का काम करें । यह सरकार को चाहिए । आज सहकारिता विभाग की बात हो रही है लेकिन हम देखते हैं कि भारत सरकार इस मामले में निश्चित रूप से पिछड़ रही है । भारत सरकार बिहार जैसे राज्यों के साथ सहयोग नहीं कर रही है, उनका कोऑपरेशन बिहार के साथ नहीं है । अगर सहयोग होता तो बहुत सारे जो विभिन्न विभाग में उनके द्वारा कटौती की जा रही है जिसके चलते महोदय, आज कहा जाता है, आसन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं महोदय कि सच बात कड़वी होती है । महोदय, मैं देखता हूं सदन में कि जब सहकारिता की बात पर बोलते हैं केन्द्र सरकरर के बारे में, तो सामने बैठे हुए

लोगों को कुरकुरी बरता है, तीखा लगता है, लेकिन सच बात कहूंगा ही महोदय कि आज भारत सरकार बिहार सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है । इसीलिए हर क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत सरकार असहयोग कर रही है और सारे विभागों की राशि को भारत सरकार काटने का काम कर रही है । महोदय, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे बिहार के दौरे पर और बिहार की साढ़े दस करोड़ जनता आशा लगाए हुए थी महोदय । सारी राजनैतिक पार्टियां, सारे संगठन के लोग आशा लगाए हुए थे महोदय कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी आ रहे है, माननीय प्रधान मंत्रीजी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार में किसी तरह की घोषणा करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि महोदय, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उन्होंने कहा था हम सवा लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम करेंगे तो शायद महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी भी सवा लाख भूल गए महोदय, उन्हें याद भी नहीं है कि बिहार में महोदय, जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव और गरीबों के लिए, हमने इस तरह की घोषणा किया था महोदय । शायद इसीलिए मंच पर देखा था, हम तो टी.भी. पर देख रहे थे, शायद उदास चेहरे से माननीय प्रधान मंत्री जी मंच पर बैठे हुए थे । निश्चित रूप से उन्हें अफसोस लगता होगा कि हम घोषणा किए थे, हम घोषणा किए थे कि हम सवा लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम करेंगे । बिहार की जनता के सामने आज उनका सर झुक रहा था, नजरें झुक रही थी महोदय कि हमने तो बिहार की जनता के सामने वादा पूरा करने का काम नहीं किया । इसीलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि महान जनता के सामने धोखा आपने दिया है, तो जनता आने वाले दिनों में माफ करने वाली नहीं है और आपने देखा कि उसी वादाखिलाफी का नतीजा था कि बिहार की जनता ने आपको बिहार की धरती पर धूल चटाने का काम किया है महोदय और हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देते हैं, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि जिस मंसूबा के साथ कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देते हैं महोदय, सोनिया गांधी को

भी धन्यवाद देते हैं कि जिस मनोवल के साथ सूबे बिहार में आपने धूल चटाने का काम किया, आगे आने वाले दिनों में महोदय, दिल्ली में भी धूल चटाने का काम करेंगे । इसीलिए सचेत हो जाइए, इसीलिए होशियार हो जाइए। बिहार के चुनाव से सबक लीजिए और अपने नेता को बताइये कि दिल्ली की सरकार को बताने का काम करिए कि बिहार की जनता गुस्से में है, बिहार के किसान गुस्से में है, बिहार के मजदूर गुस्से में है, बिहार के शोषित-पीड़ित-दलित गुस्से में है । आप इन्दिरा आवास का पैसा नहीं दे रहे हैं, गांव के गरीबों का घर नहीं बन रहा है । महोदय, ये कहते हैं केन्द्र का बहुत बड़ा बजट है । महोदय,

'बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे तार खजूर,
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।'

अरे ! गांव के गरीबों को आपने राहत देने का काम नहीं किया, किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का काम किया । आज चर्चा हो रही है किसानों के सवाल पर, धान की अधिप्राप्ति पर हो रही है, बिहार सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि पैक्स के माध्यम से किसानों के गाढ़ी कमाई का धान का 1410 रूपए देकर उन्हें विचौलियों से बचाने का काम किया है और दिल्ली की सरकार ने धोखा देने का काम किया है । वादा किया था, हम देश के किसानों के उपज का डेढ़ गुणा मूल्य देने का काम करेंगे, डेढ़ गुणा मूल्य कहां गया ? बताइये बिहार की जनता को, देश की जनता को बताने का काम करिए । राजीव गांधी योजना का नाम बदल रहे हैं । नाम बदलने से क्या होगा । अरे पैसा तो दीजिए । नाम जो मन आए रख लीजिए । दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रख रहे हैं । नाम परिवर्त्तन करने से क्या होगा ? आप पैसा तो दीजिए । आपने कहा था, मैं उस बात को याद दिलाता हूं । आपने...

अध्यक्षः मुंद्रिका बाबू, अब एक मिनट में समाप्त करिए ।

श्री मुंद्रिका सिंह यादवः महोदय, अभी तो शुरू किए हैं ।

अध्यक्षः इसीलिए न समाप्त करिए ।

श्री मुंद्रिका सिंह यादवः इसीलिए महोदय, इनको हम हमेशा सचेत करते हैं कि बिहार की जनता की तबियत को समझ लीजिए कि बिहार की जनता कहां जा रही है और इसी लाइन पर पूरे देश की जनता सोच रही है महोदय । चूंकि देश की जनता के

साथ वादाखिलाफी, फिर मैं कहता हूं महोदय, संसदीय लोकतंत्र में जनता ही महान है महोदय ... क्रमशः

टर्न-24/राजेश/14.3.16

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, क्रमशः- जनता के साथ जो विश्वासघात करेगा, उस विश्वासघात का बदला संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली है महोदय, चुनाव का माहौल है, अगले आने वाले दिनों मे, निश्चित रुप से महोदय, इन्हें सीख देने का काम करेगी और भारत सरकार पैक्स को तोड़ना चाहती है, गरीबों को धोखा दे रही है, किसानों को धोखा दे रही है, मजदूरों को धोखा देने का काम कर रही है, तो आगे आने वाले दिनों में भारत की जनता इन्हें यमुना में डुबो देगी महोदय और इनका अता-पता भी नहीं रहेगा .... (व्यवधान)

अध्यक्षः- अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादवः- महोदय, और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी सामाजिक न्याय की सरकार आयेगी। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

श्री संजय सरावगीः- महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ। आपकी आमदनी 28 हजार करोड़ है, तो बताना चाहिए मुन्द्रिका बाबू को कि किसके बलबूते पर डेढ़ लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, अपना तो बिहार का आमदनी 28 ही हजार करोड़ का है।

श्री भाई वीरेन्द्रः- आपको तो देना ही होगा, हम कोई भीख नहीं माँगते हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं..........(व्यवधान)

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण, अब कृपया शांत रहे। अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग।

श्री आलोक कुमार मेहताः- माननीय अध्यक्ष महोदय,

"आओ मिल सरकार बनाये, सर्वजनों को साथ मिलाकर,
कृषि उपज का मूल्य दिलाये, फसल बीमा का लाभ दिलाकर,
हम समृद्ध बिहार बनाये, आओ हम सरकार बनाये।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा जिन विषयों की ओर इंगित किया गया है, उन विषयों के संबंध में आपके माध्यम से, मैं सरकार का मंतव्य रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी सम्मानित माननीय सदस्यों का, जिन लोगों ने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया। माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, शक्ति सिंह यादव जी, ललन पासवान जी, मेवा लाल चौधरी जी, विद्यासागर केशरी जी, आनंद शंकर सिंह जी, नंदकिशोर राय जी, जितेन्द्र कुमार जी, विजय कुमार खेमका जी, पूनम पासवान जी, मनोज कुमार जी, लक्ष्मेश्वर राय जी, सिद्धार्थ जी और आदरणीय मुन्द्रिका सिंह यादव जी। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वाद-विवाद के माध्यम से सहकारिता में अपने इन्टरेस्ट को दिखाने का काम किया। महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जिन विषयों को इंगित किया गया है,उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि सरकार का लक्ष्य सहकारिता को कृषकों एवं समाज के वंचित लोगों के हित में गठित एवं सक्रिय करना है, जिसके लिए सहकारी संस्थाओं को आधुनिक एवं तकनीकि रुप से सक्षम बनाना होगा, ताकि उनके माध्यम से समाज के हर वर्ग एवं पेशे से जुड़े, हर वर्ग में न्याय के साथ विकास का किरण पहुंच सके, इस दिशा में राज्य सरकार सचेष्ट है तथा इन्हीं उद्धेश्यों को दृष्टि में रखकर सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं प्रयोजनों के कार्यान्वयन एवं सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत प्रयत्नशील है। संविधान के 97वें संशोधन के आलोक में वर्ष 2013 में सहकारी अधिनियम में व्यापक संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कार्य प्रणाली में स्वायतता प्रदान करने का प्रयास किया गया। सहकारी समितियों के प्रबंध कारिणी में अन्य वर्गो के आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, अभी माननीय सदस्य ललन पासवान जी नहीं है, उन्होंने यह सवाल उठाया था, तो महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, अन्य आरक्षण के अलावा पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति से दो-दो सदस्यों का पद उसमें आरक्षित किया गया है, कुल संख्या-12 की है, जिसमें 12 में 6 आरक्षित हैं और 6 स्वतंत्र हैं, तो यह व्यवस्था इसके अंदर की गयी है तथा प्रबंध कारिणी के अवक्रमण, समितियों के अंकेक्षण, अन्य निकाय की

बैठक, अपराध, शास्त्री आदि बिन्दुओं पर विस्तृत प्रावधान किये गये हैं। सहकारी समितियों के निर्वाचन में पारदर्शिता लाने के उद्धेश्य से सहकारी नियमों में संशोधन करते हुए सहकारी समितियों में निर्वाचन हेतु एक स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया, इस निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा पैक्स, व्यापार मंडल, मत्स्यजीवी सहयोग समितियॉं, केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक के अतिरिक्त सभी सहकारी समितियों का निर्वाचन संपन्न कराया जाता है, सरकार का लक्ष्य घर-घर तक सहकारिता को पहुंचाने का है एवं सरकार इस ओर सतत् प्रयत्नशील है, यही कारण है कि पैक्सों की सदस्यता विगत 10 वर्षो में 36.36 लाख से बढ़कर 1.60 करोड़ हो गयी है, साथ ही पैक्सों में महिला सदस्यों की संख्या दो लाख से भी कम थी, वह बढ़कर 6 लाख 54 हजार हो गयी है, पुनः सरकार प्रयासरत है कि पैक्सों में सदस्य बनाने की प्रक्रिया को एक अभियान का रुप दिया जाय, कई माननीय सदस्यों की चिंता थी कि उसका मेम्बरशीप ओपेन किया जाय, इसको किसी के नियंत्रण में नहीं रखा जाय, इस दिशा में सरकार की पहल है कि इसको एक अभियान का रुप दिया जायेगा और इस संस्था में आम आदमी का प्रतिनिधित्व व्यापक हो, इसको सुनिश्चित किया जायेगा, उस दिशा में एक कदम, टेनटेटिव, एक योजना बनायी जा रही है ताकि हर परिवार के एक महिला और एक पुरुष को कम से कम सदस्य बनाये जायेंगे और यह एक अभियान के तहत किया जायेगा, यह कोई कम्पलसन नहीं लेकिन एक अभियान सरकार की मंशा है कि इस दिशा में हम इसे स्वतंत्र करें, जो व्यक्ति बनना चाहें, वे निश्चित रुप से बने, इसको सुनिश्चित किया जायेगा, पुनः कृषि कार्य में पैक्स से जुड़े सहकारी समितियों तथा पैक्स एवं व्यापार मंडलों को सुदृढ़ एवं सक्षम सेवा प्रदायी के रुप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इन्हीं साधनों के आधारभूत संरचनाओं के विकास में प्रभावशाली प्रयास किया गया है तथा कृषि रोडमैप के तहत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता के सृजन की व्यापक योजना बनायी गयी है और योजना ही नहीं बनायी गयी है, अब तक सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इसके इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, अभी-अभी गोदाम की क्षमता की बात कही जा रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि विभिन्न योजनाओं के तहत

ई0ई0सी0 योजना, आई0ए0पी0, आई0सी0डी0पी0, आर0के0भी0वाई0 तथा कृषि रोडमैप के तहत कुल मिलाकर 4531 गोदामों का निर्माण कराया जा चुका है और जिसकी कैपेसिटी 7 लाख, 75 हजार मिट्रिक टन है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो धान अधिप्राप्ति हो या अन्य चीजों के कार्य में कृषि उत्पादों के संरक्षण के संबंध में, यह एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। भंडारण क्षमता के सृजन की एक व्यापक योजना बनाते हुए इसकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है, कृषि रोडमैप के तहत 2483 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम बनाते हुए 5.70 लाख मिट्रिक टन क्षमता का सृजन किया गया है, साथ ही बिहार राज्य भंडार निगम में भी बड़ी क्षमता का गोदाम का निर्माण हो रहा है, अब तक निगम में कृषि रोडमैप की अवधि में 1.28 लाख क्षमता के गोदाम बन चुके हैं, इसके अतिरिक्त कृषि रोडमैप अन्तर्गत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति कार्य में स्वावलंबी बनाने के उद्वेश्य से चावल मिल सह गैसिफायर की स्थापना का कार्य भी हो रहा है।

क्रमशः

टर्नः 25/कृष्ण/14.03.2016

श्री आलोक कुमार मेहता क्रमश : अब तक 228 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में भी ऐसे चावल मिल स्थापित हो चुके हैं । कई माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर इशारा किया कि गैसीफायर आधारित चावल मिल और गोदाम बनाने के लिये उनके आवेदन लंबित हैं या देना चाहते हैं । हम उन्हें सरकार की ओर से आमंत्रित करते हैं कि उसका जो क्राईटेरिया फिक्स है, उस क्राईटेरिया के तहत यदि आप आवेंगे, सरकार उस कार्य को पूरा करने के लिय त्वरित गति से कदम बढ़ायेगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा पैक्सों में व्यवसाय विकास के लिये तथा राज्य के किसानों को उर्वरक की स्थानीय स्तर पर सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये 3,209 पैक्सों को प्रति पैक्स दो लाख रूपये की दर से मार्जिन मनी उपलब्ध कराया गया है ताकि पैक्स ऑफ-सीजन में उर्वरक का उठाव कर सके ओर पीक सीजन में उर्वरक की उपलब्धता किसानों के बीच

सुनिश्चित करा सकें । राज्य के किसानों विशेष कर लघु एवं सीमांत किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिये पैक्सों के द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है । इसका सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है । राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में किसानों को तुरंत भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये अब तक 600 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2014-15 में 6,359 पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से 18.18 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी थी और आज पुनः प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों की हुई क्षति की प्रतिपूर्त्ति के लिये फसल बीमा योजना की भी व्यवस्था की गयी है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में 38.74 लाख किसानों को फसल बीमा के तहत आच्छादित किया गया है । इसमें से 24.95 लाख किसानें को 1091.70 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान किया जाना है । राज्य सरकार द्वारा चयनित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (प्ब्क्च) चलाई जा रही है जिसके तहत सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में जैसे बुनकर, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध विकास कार्य किये जाते हैं । इस परियोजनान्तर्गत समितियों के पदधारकों, सदस्यों तथा कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था है । वर्तमान में यह परियोजना राज्य में कैमूर, खगड़िया, शिवहर, नालन्दा, वैशालाी, जहानाबाद, अररिया और पूर्वी चम्पारण जिले में चलाई जा रही है । इस वर्ष 5 नये जिलों - औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्णियां को इस परियोजना में शामिल किया जा रहा है । पूर्णियां के हमारे एक माननीय सदस्य ने इस सवाल को उठाया था तो इसको इस बार शामिल किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा सहकारी साख संरचना के तहत कृषि साख प्रभाग के विकास पर भी विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । राज्य के सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है एवं वे सभी बैंक कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं तथा ब्ठै सिस्टम में कार्यरत हैं । इन बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड अन्तर्गत कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । किसान क्रेडिट कार्ड का एक लक्ष्य विभिन्न तरह के बैंकों को दिया गया है

जिसमें अपेक्षाकृत सहकारी बैंकों को उसका लक्ष्य कम दिया गया है । फिर भी सहकारी बैंक में तत्परता के साथ ज्ञब्ब बनाने का अभियान शुरू किया है । अब तक जनवरी,2016 में 9 लाख । सुन तो लीजिये ।

व्यवधाान

अध्यक्ष : अभी 15 मिनट बाकी है ।

श्री प्रमोद कुमार : को-ऑपरेटीव विभाग में जो पेड मैनेजर काम किये हैं हुजूर, पैक्स के मैनेजर जो पुराना काम किये थे, उनका वेतन, वे रिटायर कर गये, वैसे पेड मैनेजरों का वेतन करोड़ों करोड़ में बकाया है । उसके बारे में मंत्री महोदय कुछ जवाब दें । दूसरी बात किसानों की क्षतिपूर्त्ति, जो को-ऑपरेटीव इन्श्योरेंस का है, उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : सहकारी बैंकों के माध्यम से बिहार में कुल 9,72,069 किसान क्रेटिड कार्ड निर्गत किये गये हैं और इसमें 1,359.45 करोड़ रूपये की साख सीमा स्वीकृत की गयी है । कृषि साख संरचना के सुदृढ़ीकरण ...

श्री संजय सरावगी : लक्ष्य कितना था और उस लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति कितना हुआ ?

श्री आलोक कुमार मेहता : लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं ।

व्यवधान

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0) के मा0सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया)

इसी कृषि क्षेत्र में भारत सरकार ने मैचिंग ग्रांट बहुत कम कर दिया है । भारत सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट कम कर दिये जाने की वजह से इसी कृषि क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में इस बार का बजट पिछली बार से कम किया गया है । कटौती सरकार ने भारत सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की वजह से किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि साख संरचना के सुदृढ़ीकरण के

उद्देश्य से बैजनाथन कमिटी की अनुशंसा पर आधारित पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ वर्ष 2007 में त्रिपक्षीय समझौता किया था । इस पैकेज के तहत तत्कालीन सहकारी साख संस्थानों के लिये भारत सरकार के द्वारा 634.48 करोड़ तथा राज्य सरकार के द्वारा 46.37 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जाने थे । राज्य सरकार द्वारा अपना अंश लगभग 45.20 करोड़ उपलब्ध करा दिया गया । लेकिन भारत सरकार द्वारा 2010 से लेकर अभी तक 369.42 करोड़ रूपये बाकी है । भारत सरकार नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

2010 से लेकर अभी तक ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री सच्चिदानन्द सिंह जी ने कहा था कि 2015-16 हेतु योजना का व्यय अभी तक 86 प्रतिशत है । भारत सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट कम करने की वजह से बजट का साईज इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को हम जवाब दे रहे हैं । लेकिन माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं । बिहार सहकारिता सेवा में वैसे सभी पदाधिकारी, जिन्हें नियमानुसार ए0सी0पी0,एम0एस0सी0पी0 अनुमान्य होता है, उन्हें ए0सी0पी0,एम0एस0सी0पी0 स्वीकृत किया जा चुका है। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत जिन पैक्सों के माध्यम से जमीन थी, उन्हें गोदाम स्वीकृत किया जा चुका है ।

(क्रमशः)

टर्न-26/सत्येन्द्र/14-3-16

श्री आलोक कुमार मेहता(क्रमशः) अब तक 2485 पैक्सों, व्यापार मंडलों में गोदाम बन चुका है, 233 पैक्सों में चावल मिल निर्मित हो चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जा रहा था। महोदय..

अध्यक्षः माननीय सदस्य, सुनिये मंत्री जी बिन्दुवार जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहताः जवाब देंगे महोदय,जवाब देंगे।

अध्यक्षः मंत्री जी चाहते हैं कि आपलोग अंत तक रहिये इसलिए आपके इंटरेस्ट वाली बात अंत में बोलेंगे।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय,सहकारिता पर कई सम्मानित माननीय सदस्यों ने कहा कि सहकारिता तो नेचर का हिस्सा है, ये प्रकृति में है और यह कल्चर का हिस्सा है। किसी भी देश की, राज्य की जो संस्कृति है उसमें एक दूसरे से सहयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है तभी समाज आगे बढ़ता है और उसकी आर्थिक व्यवस्था आगे अच्छी होती है, समृद्धि बढ़ती है और जब उसको स्पेशलाईज कर दिया जाता है तो वह सहकारिता के इंस्टीच्यूशन का रूप ले लेता है इसलिए और मैं.....

(व्यवधान)

भारत के संविधान में भारत का संविधान समाजवाद और प्रजातंत्र पर आधारित है, उसमें सन्निहित है और यह एक बेलफेयर स्टेट है और उसका एक रिफलेक्शन सहकारी संस्थाओं में और उसकी नीतियों में मिलता है। महोदय,गांधी, लोहिया और जयप्रकाश तीनों महान हस्तियों ने जिनके विचार समाजवादी और गांव से जुड़े हुए थे उन सब लोगों ने सहकारिता...

श्री प्रेम कुमारः अध्यक्ष महोदय,राज्य सरकार धान अधिप्राप्ति में पूरी तरह से विफल रही है। सरकार ने बोनस की घोषणा नहीं की महोदय और किसानों ने बिचौलियों के माध्यम से कौड़ी के भाव में 1000-900 रू0 प्रति क्विंटल धान बेचने का काम किया है और सरकार ने महोदय धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य तय किया था उसका 25 प्रतिशत धान भी नहीं खरीदा नहीं गया और न ही बोनस की घोषणा की गयी इसलिए हमलोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से वाक आउट कर गये)

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, गैर समाजवादी सोच के हमारे माननीय सदस्य समाजवादी विचारधारा वाले सहकारी वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते है, जो दूर्भाग्य की बात है। सहकारी संस्थाओं के बारे में सहकारी खेती हो और सहकारी विस्तृत बाजार समाजवाद और प्रजातंत्र का व्यवसायी सपना साकार यह इसके हृदय में है। समाजवादी और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत ही सहकारी संस्थाओं को विकसित किया गया है और सरकार द्वारा राज्य के किसानों के बेहतरी के लिए को-ऑपरेटिव फार्मिंग अभी माननीय सदस्य मनोज कुमार जी जो बात कह रहे है वो सारी बात पहले से वक्तव्य में है और हमारी योजनाओं में दिया हुआ है कि हम को-ऑपरेटिव फार्मिंग मतलब कई किसान मिलकर एक जगह उन्नत एडवांस हाई टेक्नोलोजी के साथ खेती शुरू करेंगे। यदि हम उसमें ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इसके माध्यम से होगी और बिहार सरकार कुछ फार्म को अपना एक ब्रांड नेम देगी और इस तरह से बिहार में यदि 100 50 को-ऑपरेटिव फार्म बन गये तो मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहां नहीं विदेश का व्यापा,र विदेश का मार्केट, चाईना का मार्केट आपके दरवाजे से आप के उस उत्पाद को खरीदने के लिए आयेगा इसलिए कि इसे हम ऑर्गेनाईज फार्मिंग कहते हैं उसको हम सहकारी खेती के माध्यम से कर सकते हैं, सरकार ऐसा विचार रखती है। इस वर्ष हम इन क्षेत्रों में चाहे वह सहकारी फार्मिंग हो, पैक्सों की कार्यप्रणाली में कम्प्यूटरीकरण का मामला हो, इसके तहत हम पूरे बिहार के पैक्सों को हम कम्प्यूटरीकृत करना चाहते हैं और इसकी योजना अग्रसर हो चुकी है और आगे एन0सी0डी0सी0 के माध्यम ये और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हर पैक्स के अध्यक्ष वहां के प्रबंधक को ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी ताकि बहुत तरह की जो अनियमितताएं या फिर डिफॉल्टर होने का जो केस आ रहा है या अधिप्राप्ति से संबंधित या दूसरे से संबंधित व्यापार से संबंधित उसके लिए पैक्स के प्रबंधक और अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो अपना व्यवसाय का भी विकास

कर सके और उस पैक्स के माध्यम से केन्द्र सरकार राज्य सरकार कई योजनाओं को चैनलाईज कर सके। उस रूप में हम उसको स्वीकार करना चाहते हैं और पारदर्शी बनाने के लिए जैसे हमलोगों ने धान अधिप्राप्ति के क्षेत्र में महोदय मोबाईल ऐप का ऐप्लिकेशन इस बार हमलोागें ने किया और हर क्षण अभी भी मोबाईल खोलकर हम बतला सकते हैं अभी 11 लाख 23 हजार मे0 टन धान की अधिप्राप्ति अभी के समय 15 मिनट पहले तक हो चुका है और यह सूचना यदि आवश्यकता पड़ी तो हम पब्लिक डोमेन में भी देना चाहेंगे ताकि हर व्यक्ति जान सके कि कितना खरीद हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वह साईकिल टाईम को घटाने की है। पैसा सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स को दिया जाता है और फिर उनको उस किसान को पैसा देकर के किसान की धान अधिप्राप्ति होती है लेकिन एस0एफ0सी0 को जबतक हम चावल कुटकर देंगे नहीं तबतक एस0एफ0सी0 पैसा नही देगा इसका कारण जो मिलिंग कैपिसिटी है बिहार में वह अपेक्षाकृत कम है जिसको हर साल तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। महोदय, आई0सी0डी0पी0 योजना के माध्यम से और दूसरी योजनाओं के माध्यम से हम मिलिंग कैपिसिटी बिहार में बढ़ा रहे हैं। पैक्स को वो पैसा पैक्स के माध्यम से अनुदान पैक्स को और दूसरी संस्थाओं को ऋण देकर हम राईस मिल की स्थापना का पूरा पूरा प्रयास करेंगे ताकि कैपिसिटी बढ़े। एक तरफ गोदाम की कैपिसिटी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हम मिलिंग कैपिसिटी भी बढ़ा रहे है जब दोनों की कैपिसिटी बढ़ेगी तो ये जो साईकिल टाईम है जो अभी एक से डेढ़ महीना लगता है पैसा को वापस एस0एफ0सी0 से किसान के खाते में जाने में वह टाईम घटकर 15 दिन 18 दिन हो जायेगा और उसके बाद इसी पैसे में एक चौथाई, एक तिहाई पैसे में पूरे सीजन का धान खरीदना संभव हो सकेगा। महोदय हम चाहेंगे, अभी हम अपने बिहार के पी0डी0एस0 सिस्टम को सस्टेन कराने की, धान की अधिप्राप्ति बहुत हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में अगर हमारा साईकिल टाईम घट जायेगा तो इस बार 80 लाख मे0 टन बिहार में धान हुआ है हम क्यों नहीं चाहेंगे कि 80 लाख मे0टन हम अधिप्राप्ति कर लें और दूसरे राज्यों का भी पी0डी0एस0 बिहार चलावे। इससे गौरव की और क्या बात हो सकती है, हम इस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। हम

अंत में कहना चाहेंगे प्रत्येक अनुमंडल में एक मॉडल पैक्स का चयन, जिलों में सहकारिता विभाग के सभी कार्यालयों में समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक जिले में सहकारिता भवन का निर्माण करा रहे हैं जिसके एक तल में जिला के अन्दर सभी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित जो सामान है उसके एक्जीविशन और बिक्री का केन्द्र होगा और वहां पर बैंक होगा सहकारिता बैंक दूसरे तल पर डी0सी0ओ0 और ए0आर0 जैसे पदाधिकारियों के बेठने की व्यवस्था और उसके ऊपर मीटिंग हॉल प्रशिक्षण केन्द्र होगा और इस तरह से हर जिले में हम व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष: मंत्री जी अब समाप्त करें।

श्री आलोक कुमार मेहता: फल सब्जी की वर्बादी को रोकने के लिए सब्जी का कृषकों को उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने की योजना पर बिहार सरकार काम कर रही है।(क्रमशः)

टर्न-27/मधुप/14.3.16

श्री आलोक कुमार मेहता : ...क्रमशः... और हम जल्द ही इन तमाम योजनाओं का एक-एक मोडल इस वर्ष के अंत तक पूरा करना चाहेंगे । उस दिशा में काम हो रहा है ।

महोदय, जो हमारा वक्तव्य है, उसे प्रोसिडींग का पार्ट बनाया जाय, हम पटल पर स्वीकृति हेतु रखते हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि समाज के वंचित वर्गो का सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास के लिए अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10 रूपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि

"सहकारिता विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 6,70,00,21,000/- (छः अरब सत्तर करोड़ इक्कीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माँग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 14 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 30 (तीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट-1

माननीय सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों द्वारा जिस विषय की ओर इंगित किया गया है उस विषय के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार का लक्ष्य सहकारिता को कृषकों एवं समाज के वंचित लोगों के हित में संगठित एवं सक्रिय करना है जिसके लिए सहकारी संस्थाओं को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा ताकि उनके माध्यम से समाज के हर वर्ग एवं पेशे से जुड़े लोगों तक न्याय के साथ विकास की किरण पहुँच सके। इस दिशा में राज्य सरकार सचेष्ट है तथा इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

संविधान के 97वें संशोधन के आलोक में वर्ष 2013 में सहकारी अधिनियम में व्यापक संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कार्यप्रणाली में स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया। सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी में अन्य वर्गो के आरक्षण के साथ–साथ महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था की गई तथा प्रबंधकारिणी के अवक्रमण, समितियों के अंकेक्षण, सामान्य निकाय की बैठक, अपराध / शास्ति आदि बिन्दुओं पर विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। सहकारी समितियों के निर्वाचन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सहकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए सहकारी समितियों में निर्वाचन हेतु एक स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। इस निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा पैक्स, व्यापार मंडल, मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ, केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारिता बैंक के अतिरिक्त सभी सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाता है।

सरकार का लक्ष्य घर–घर तक सहकारिता को पहुँचाने का है एवं सरकार इस ओर सतत् प्रयत्नशील रही है। यही कारण है कि पैक्सों की सदस्यता विगत 10 वर्षों में 36.36 लाख से बढ़कर 1.06 करोड़ हो गई है। साथ ही, पैक्सों में महिला सदस्यों की संख्या जो 2 लाख से कम थी, बढ़कर 6.54 लाख हो गई है। पुनः सरकार प्रयासरत है कि पैक्सों में सदस्य बनाने की प्रक्रिया को एक अभियान का रूप दिया जाय ताकि इन संस्थाओं में आम आदमी का प्रतिनिधित्व और व्यापक हो सके।

पुनः कृषि कार्य से जुड़े सहकारी समितियों यथा पैक्स एवं व्यापार मंडलों को सुदृढ़ एवं सक्षम सेवा प्रदायी संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा इन संस्थानों के आधारभूत संरचनाओं के विकास में प्रभावशाली प्रयास किया गया है तथा कृषि रोड मैप के तहत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता के सृजन की व्यापक योजना

बनाते हुए सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के तहत 2483 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम बनवाते हुए 5.70 लाख मे. टन क्षमता का सृजन किया गया है। साथ ही, बिहार राज्य भंडार निगम में भी बड़ी क्षमता के गोदाम निर्माण का कार्य हो रहा है। अब तक निगम में कृषि रोड मैप की अवधि में 1.28 लाख मे. टन क्षमता के गोदाम बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त कृषि रोड मैप अन्तर्गत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति कार्य में स्वाबलंबी बनाने के उद्देश्य से चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना का कार्य भी हो रहा है। अब तक 228 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में ऐसे चावल मिल स्थापित हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा पैक्सों में व्यवसाय विकास के लिए तथा राज्य के किसानों को उर्वरक की स्थानीय स्तर पर सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3209 पैक्सों को प्रति पैक्स 2.00 लाख रूपये की दर से मार्जिन मनी उपलब्ध कराया गया है ताकि पैक्स ऑफ सीजन में उर्वरक का उठाव कर पीक सीजन में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करा सकें।

राज्य के किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमान्त किसानों, को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पैक्सों के द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में किसानों को तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने हेतु अब तक 600.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2014–15 में 6359 पैक्सों/व्यापार मंडलों के माध्यम से 18.18 लाख मे. टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी।

पुनः राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 38.74 लाख किसानों को फसल बीमा योजना के तहत आच्छादित किया गया। इसमें से 24.95 लाख किसानों को 1091.70 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा चयनित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना भी चलायी जा रही है जिसके तहत सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा बुनकर, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास आदि कार्यो का विकास किया जाता है। इस परियोजना अन्तर्गत समितियों के पदधारकों, सदस्यों तथा कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। वर्तमान में यह परियोजना राज्य के कैमूर, खगड़िया, शिवहर, नालन्दा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया एवं पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलों में चलाई जा रही है। इस वर्ष पाँच नये जिलों औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) एवं पूर्णियाँ में यह परियोजना शुरू की जा रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा सहकारी साख संरचना के तहत कृषि साख प्रवाह के विकास पर भी विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है एवं ये सभी बैंक वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं तथा CBS System में कार्यरत हैं। इन बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड अन्तर्गत कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक (जनवरी,2016)

कुल 9,72,069 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 1359.45 करोड़ रूपये की साख सीमा स्वीकृत की गई है। कृषि साख संरचना क सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा पर आधारित पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ वर्ष 2007 में त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस पैकेज के तहत अल्पकालीन सहकारी साख संस्थानों के लिए भारत सरकार के द्वारा 634.48 करोड़ तथा राज्य सरकार के द्वारा 46.37 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जाने थे। राज्य सरकार द्वारा अपना अंश लगभग (45.20 करोड़) दे दिया गया है, परन्तु भारत सरकार के द्वारा अभी तक 369.42 करोड़ रूपये बकाया रखा गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए को–ऑपरेटिव फार्मिंग, पैक्सों की कार्य प्रणाली पारदर्शी बनाने हेतु पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण, प्रत्येक अनुमंडल में एक मॉडल पैक्स का चयन, जिलों में सहकारिता विभाग के सभी कार्यालयों में समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक जिले में सहकार भवन का निर्माण एवं पैक्सों के अध्यक्ष तथा प्रबंधकों के प्रशिक्षण जैसी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही, फल–सब्जी की बर्बादी को रोकने, सब्जी कृषकों को फसल का वास्तविक मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने की योजनाओं पर भी कार्य किए जा रहे हैं।

महोदय, राज्य सरकार इन्हीं नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समाज के वंचित वर्गो के सदस्यों को सहकारिता के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में लाने एवं उन्हें एक सम्मानजनक मुकाम पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आप प्रतिनिधियों के सहयोग से सफल होंगे इसका हमे पूर्ण विश्वास है।

महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे समाज के वंचित वर्गो का सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास के लिए अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।